लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

...vation Unit
1-6-92
20-12-83
...ment Library

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16—मंगलवार 7 सितम्बर, 1965/16 भाद्र, 1887 (शक)

No. 16—*Tuesday, September* 7, 1965/*Bhadra* 16, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
449	कच्चे तेल की ढुलाई के लिये तेलवाहक जहाजों की खरीद	Purchase of Tankers for Transport of Crude Oil . . .	1639–40
450	कृषि उद्योग निगम	Agro-Industrial Corporation .	1640–42
451	कृषि परियोजनाओं के लिये आस्ट्रेलिया की सहायता	Australian Aid for Agricultural Projects	1642–46
452	कृषि उत्पादन	Agricultural Production . .	1646–48
453	सेतुसमुद्रम परियोजना	Sethusamudram Project . .	1649–50
454	मध्य प्रदेश को आयात किये गेहूं की सप्लाई	Supply of Imported Wheat to M.P.	6150–53
455	अनाज का कोटा	Quota of Foodgrains . .	1653–57

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
457	चुनाव व्यय में कटौती	Cut in Election Expenditure .	1658
458	वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme . .	1658
459	कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान	Employees' Provident Fund Contributions	1658–59
460	ग्रामीण ऋणग्रस्तता	Rural Indebtedness . . .	1659
461	प्रदीप पत्तन परियोजना	Paradeep Port Project . .	1659
462	सूखे की स्थिति	Drought Conditions . .	1659–60
463	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संसदीय चुनाव क्षेत्र सुरक्षित करना	Reservation of Parliamentary Constituencies for S.C. & S.T.	1660
464	मोटे अनाज के बाहर भेजे जाने पर प्रतिबन्ध	Ban on Movement of Coarse Grains	1660
465	उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति	Drought conditions in U.P.	1661
466	दिल्ली में दालों के दाम	Prices of Pulses in Delhi .	1661

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या			पृष्ठ
S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
467	साउथ इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन	South India Shipping Corporation	1662
468	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को रिआयत	Concession to Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	1662
469	दूध, मक्खन तथा घी के मूल्य	Price of Milk, Butter and Ghee	1662–63
470	आन्ध्र प्रदेश में पुल दुर्घटना	Bridge Mishap in Andhra Pradesh	1663
471	उत्तर प्रदेश तथा बिहार को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to U.P. and Bihar	1663–64
472	बिहार में सीमा सड़कें	Border Roads in Bihar . .	1664
473	अनाज की वसूली तथा वितरण	Procurement and Distribution of Foodgrains	1664–65
474	तटीय भाड़ा दरें	Coastal Freight Rates . .	1665
475	भोज्य तेल	Edible Oils . . .	1665–66
476	कृषि का औद्योगीकरण	Industrialisation of Agriculture	1666
477	मछली पकड़ने के बन्दरगाह	Fishing Harbours .	1666–67
478	सामान्य माल पर अतिभार	Surcharge on General Cargo	1667
अता० प्र० संख्या			
U. Q. Nos.			
1595	अलप्पी जिला (केरल) में अकाल स्थिति	Scarcity conditions in Alleppey District (Kerala) . . .	1667
1596	वृत्ताकार बांधों का निर्माण	Construction of Ring Bunds	1668
1597	केरल में अनाज रखने के गोदाम	Food Storage Godowns in Kerala .	1668
1598	चालक्कुड़ि (केरल) में सड़क का पुल	Road Bridge at Chalakkaudy (Kerala)	1669
1599	कृषि उत्पादन	Agricultural Production .	1669–70
1600	नलकूप	Tube Wells	1670–71
1601	पंजाब की अनुसूचित आदिम जातियों की सूची	List of Scheduled Tribes in Punjab	1672
1602	केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund . .	1672
1603	दिल्ली के इर्द-गिर्द कृषि योग्य भूमि	Cultivable Land around Delhi	1672–73
1604	कनाडा से गेहूं	Wheat from Canada	1673
1605	अखिल भारतीय राष्ट्रीय कृषि मेला	All-India National Agricultural Fair	1673–74
1606	परिसीमन आयोग	Delimitation Commission .	1674
1607	संघ राज्य क्षेत्रों में गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता	Free Legal aid to the Poor Union Territories . .	1674
1608	अनुसूचित आदिम जातियों का उत्थान	Uplift of Scheduled Tribes .	1674–75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1609	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी	Scheduled Castes and Scheduled Tribe Students . . .	1675
1610	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण	Revision of List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	1675–76
1611	गोआ को गहूं और चावल की सप्लाई	Wheat and Rice Supply to Goa .	1676
1612	काश्मीर जानेवाली सभी मौसमों में चलने योग्य नई सड़क	New All Weather Road to Kashmir	1676
1613	जापान से सुपर टैंकर	Super-tanker from Japan . .	1676–77
1614	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था, जोधपुर	Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur . . .	1677–78
1615	मद्रास बन्दरगाह	Madras Port . . .	1678
1616	उत्तर प्रदेश में पैकेज प्रोग्राम	Package Programme in U.P.	1678–79
1617	फसलों को हानि	Damage to Crops . .	1679
1618	उत्तर प्रदेश को उर्वरक का सम्भरण	Supply of fertilizers to U.P. . .	1679–80
1619	उत्तर प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in U.P.	1680–81
1620	राज्यों में अनाज का वितरण	Distribution of Foodgrains in States	1681–82
1621	आदिम जाति विकास खंड	Tribal Development Blocks .	1682
1622	कृषि एवं सिंचाई तथा विद्युत् योजनायें	Agriculture-*cum*-Irrigation-*cum*-Power Plans . . .	1682–83
1623	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में प्रकाश स्तम्भ	Light Houses in Andaman and Nicobar Islands . . .	1683
1624	गुलमर्ग (काश्मीर) का विकास	Development of Gulmarg (Kashmir)	1683–84
1625	अन्तर्राज्य परिवहन आयोग	Inter-State Transport Commission	1684
1626	त्रिपुरा को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Tripura .	1684–85
1627	केरल में चावल की कमी	Shortage of Rice in Kerala .	1685
1628	म्यूनिख में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन तथा संचार प्रदर्शनी	International Transport and Communications Exhibition at Munich	1685–86
1629	कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये पंजाब को सहायता	Assistance to Punjab for increasing farm output . . .	1685
1630	कृषि विभाग में परिवर्तन	Changes in Agriculture Department	1686
1631	राजस्थान का रेगिस्तान	Rajasthan Desert . . .	1687
1632	सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिचारिका प्रतियोगिता	Miss International Air Hostess Contest	1687

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1633	होटल उद्योग	Hotel Industry . . .	1688
1634	भूमि में काश्त	Cultivation of Land . . .	1688
1635	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors . . .	1688-89
1636	समुद्र तटवर्ती गोपालपुर का विकास करने की योजना	Scheme to Develop Gopalpur-on sea	1689
1637	अमरीका से चावल का आयात	Import of Rice from U.S.A. . .	1689-90
1638	कलकत्ता और बम्बई हवाई अड्डों पर विमान यातायात	Air Traffic at Calcutta and Bombay	1690
1639	अनाज का आयात	Import of Foodgrains . .	1690
1640	आयात किये गये गेहूं को बेचने के लिये डिपो	Depots for Sale of Imported Wheat	1690-91
1641	सरसों के तेल का मूल्य	Price of Mustard Oil . .	1691
1642	मत्स्यपालन	Pisciculture	1691-92
1643	आयात किये गये गेहूं का खराब होना	Contamination of Imported Wheat	1692
1644	प्लास्टिक के भाण्डागार	Plastic Warehouses . . .	1692
1645	खाद्यान्न रखने के वैज्ञानिक तरीकों का प्रदर्शन	Demonstration in Scientific Methods of Storage of Foodgrains .	1692-93
1646	आदिवासी किसान परिवार	Adivasi Kisan Families . .	1693
1647	आदिवासी परिवार	Adivasi Families . . .	1693-94
1648	बम्बई आगरा राष्ट्रीय राजपथ पर दुर्घटनायें	Accidents on Bombay-Agra National Highway . . .	1694
1649	पौधों के रोगों के कारण फसलों की हानि	Crops damaged due to Plant Disease	1694-95
1650	राजस्थान में नलकूप	Tube-wells in Rajasthan . .	1695
1651	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees in Ministry of Food and Agriculture	1696
1652	स्वेज़ नहर से गुजरने वाले जहाजों पर अधिकर	Surcharge on ships passing through Suez Canal . .	1696
1653	पर्यटन का विकास	Development of Tourism . .	1696-97
1655	खादी के ऊनी कपड़े का उत्पादन	Production of Woolen Khadi Cloth	1697
1656	मोटरगाड़ियों पर करारोपण	Taxation on Motor Vehicles .	1697-98
1658	पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा	Audit of Accounts of Panchayati Raj Bodies	1698

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1659	दिल्ली में रिंग रोड पर बिजली की व्यवस्था	Installation of Lights on Ring Road, Delhi	1698–99
1660	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भैंस के दूध की सप्लाई	Supply of Buffalo Milk by D.M.S.	1699
1661	दक्षिण भारत में अकाल वाली स्थिति	Famine Conditions in South India	1699
1662	हरिजनों के लिये सस्ते मकान	Cheap Houses for the Harijans	1699–1700
1663	एन०पी० 852-गेहूं	NP-852 Wheat	1700
1664	मैसूर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	Mysore Khadi and Village Industries Board	1700
1665	तुंगभद्रा घाटी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र	Tractor Training Centre in Tungabhadra Valley	1701
1666	भेड़ों की नस्ल सुधारणा	Upgrading of Sheep	1701
1667	आगरा में राष्ट्रीय पार्क	National Park at Agra	1701–02
1668	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	1702–03
1669	दूध उत्पादन पर संगीत का प्रभाव	Effect of Music on Milk Yield	1703
1670	सघन खेती	Intensive Cultivation	1703
1671	दिल्ली में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये "क्रैश प्रोग्राम"	Crash Programme to Increase Milk Yield in Delhi	1704
1672	चीनी का कोटा	Sugar Quota	1704
1673	केरल में स्विट्जरलैण्ड की सहायत से कृषि का विकास	Agricultural development in Kerala with Swiss assistance	1705
1674	कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सहकारी क्षेत्र पर लागू किया जाना	Application of Employees Provident Funds Scheme to Co-operative Sector	1705
1675	राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सभापति	Chairman of State Social Welfare Boards	1706
1676	मजदूरों को ठेका तथा भवन निर्माण सहकारी समितियां	Labour Contract and Construction Co-operative	1706
1677	"अधिक अन्न उपजाओं" प्रतियोगिता	Grow More Food Competition	1706–07
1678	सोवियत संघ से जहाज की खरीद	Ships from Russia	1707
1679	गुजरात में दाहेज पत्तन	Dahej Port in Gujerat	1707
1680	वर्कशाप कर्मचारियों के वेतन	Wages of Workshop Employees	1707–08
1681	असैनिक उड्डयन विभाग के स्टोरों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन-क्रम	Pay Scales of Store Keeping Staff in Civil Aviation Deptt.	1708
1682	नमक ले जाने के लिये नौवहन सुविधायें	Shipping facilities for despatch of Salt	1709

ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1683	असैनिक उड्डयन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक पद	Scientific posts in Civil Aviation Laboratories	1709
1684	मछली पकड़ने वाली नाव "कल्याणी" का डूब जाना	Capsizing of "Kalyani" Fishing Trawler	1710
1685	बाढ़ के कारण अनाज की हानि	Loss of Foodgrains due to Floods	1710
1686	राजधानी में दुध की सप्लाई	Supply of Milk in Capital . .	1710-11
1687	राष्ट्रीय राजपथ का तेजपुर से आगे बढ़ाया जाना	Extension of National Highway from Tezpur	1711
1688	मनीपुर को चावल का सम्भरण	Rice Supply to Manipur . .	1711-12
1689	दिल्ली में डबल रोटी की कमी	Shortage of Bread in Delhi .	1712
1690	अहमदाबाद में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	Income-tax Appellate Tribunal at Ahmedabad . . .	1712
प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य के बारे में		Re : Statement by the Defence Minister	1712
सभा पलट पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table . .	1713
राज्य सभा से संदेश		Message from Rajya Sabha .	1713
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रुप में सभा पटल पर रखा गया		Representation of the People (Second Amendment) Bill laid on the Table as returned by Rajya Sabha	1713
अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अधिलाभांश की अदायगी विधेयक		Statutory Resolution Re : Payment of Bonus Ordinance; and Payment of Bonus Bill	
विचार करने का प्रस्ताव—		Motion to consider—	
श्री सेझियान		Shri Sezhiyan . . .	1714
श्री स०मो० बनर्जी		Shri S. M. Banerjee . .	1715
श्रीमती सुभद्रा जोशी		Shrimati Subhadra Joshi .	1715-16
श्री मौर्य		Shri Maurya . . .	1716
श्री प्रभात कार		Shri Prabhat Kar . .	1716-17
श्री हुकम चन्द कछवाय		Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . .	1717
श्री प्र०रं० चक्रवर्ती		Shri P. R. Chakraverti .	1717
श्री प्र०चं० बरुआ		Shri P. C. Borooah . .	1717-18
श्री संजीवय्या		Shri D. Sanjivayya . .	1718-19
श्री मो० रु० मसानी		Shri M. R. Masani . .	1719
खण्ड 2 से 20		Clauses 2 to 20 . . .	1720-22
सैनिक कार्यवाही के बार में वक्तव्य—		Statement Re : Defence Operations—	
श्री त्यागी		Shri Tyagi	1722-23
बैठक वाले दिन के लिये उसी दिन पास देने पर प्रतिबन्ध		Restriction on issue of same day passes.	1743-44

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 7 सितम्बर, 1965/16 भाद्र, 1887 (शक)
Tuesday, September 7, 1965/Bhadra 16, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कच्चे तेल की ढुलाई के लिये तेलवाहक जहाजों की खरीद

*449. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री 24 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न सं० 543 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा बचाने के हेतु कच्चे तेल की ढुलाई के लिये तेलवाहक जहाज खरीदने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : कच्चा तेल आयात करने के लिये टैंकर तभी प्राप्त किये जा सकते हैं जब उनके लिये उपलब्ध काम की आश्वासन हो। कोचीन रिफाइनरी के मामले में पहले पांच वर्षों का टैंकर ठेका (कुछ परिस्थितियों में कम करके 4 वर्ष किया जाने वाला) एक विदेशी फर्म को दे दिया गया है क्योंकि उसकी दरें निम्नतम भारतीय दरों से भी बहुत नीचे थी। फिर भी, कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड मौजूदा ठेका समाप्त हो जाने के बाद के समय के लिए कुछ भारतीय नौचालन कम्पनियों के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। यदि ठेका किसी भारतीय नौचालन कम्पनी को दिया जाता है तो सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों पर उसे टैंकरों की आवश्यक संख्या प्राप्त करने की अनुमति दे दी जायेगी।

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know the terms of the Contract awarded to the foreign firm and the quotations submitted by that firm.

Shri Raj Bahadur : In spite of certain concessions granted to the Indian firm at Cochin port the quotations offered by the Indian firm was 37 cents per barrel, while that offered by the foreign firm was 21·75 cents per barrel. The quotation at the rate of 37 cents per barrel offered by the Indian firm was more costly than the quotation of 21·75 cents per barrel offered by the foreign firm.

Shri M. L. Dwivedi : Had the Government of India made efforts to obtain information at Government level? If not the reasons therefor and if so, the outcome thereof ?

Shri Raj Bahadur : The Indian quotation was based on Government collaboration. It had co-operation from public as well as private sector and as such it included adequate efforts on the part of Government.

श्री स० चं० सामन्त : पेट्रोलियम मंत्री ने हमें बताया कि तेलवाहक जाहज़ पर लगाई गई पूंजी की चार पांच वर्ष में उसी से स्वयंपूर्ति हो जाती है। यदि ऐसा है तो निजी कम्पनियाँ उन्हें क्यों नहीं खरीदती ? एक तेलवाहक जाहज़ का मूल्य लगभग कितना है ?

श्री राज बहादुर : इस का मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपये या इस से भी अधिक होता है जो इस के आकार पर निर्भर है। यदि यह 1,50,000 टन का हुआ तो इस का मूल्य और भी अधिक यानी 4 करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक होगा। जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, उनके बारे में पैट्रोलियम मंत्रालय से जानकारी प्राप्त की जाये क्योंकि यह निर्णय उन्होंने लिया था।

Shri Bhagwat Jha Azad : Although our present demands are not clearly specified, had Government worked out an estimate, keeping in view the demand for transportation of crude oil in the country and if so, whether they have formulated any schemes to be implemented in future ?

Shri Raj Bahadur : Yes, Sir, The estimates have been worked out and a scheme has been formulated on that basis. But it is sure that unless refineries do not themselves assure full employment of the tankers, the Government do not think it necessary to purchase the tankers.

कृषि-उद्योग निगम

*450. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि-उद्योग निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस प्रकार के उद्योगों का विकास करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) केन्द्रीय सहायता जिसमें बराबर की पूंजी लगेगी, के साथ कुछ राज्यों में कृषि-उद्योग निगमों की स्थापना का प्रस्ताव है। अब तक महाराष्ट्र, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और बिहार की सरकारों ने हमारी सलाह से प्रस्ताव तैयार किये हैं। महाराष्ट्र और मद्रास की योजनाएं लगभग तैयार हैं।

(ख) तथा (ग) : शुरू में इन निगमों का मुख्य उद्देश्य ये होंगे :

(1) मांग तथा कृषि के लिए आवश्यक उन्नत कृषि औज़ारों तथा उपकरणों के निर्माण के आयोजन का निश्चय करना।

(2) पम्प सैट, डीज़ल इंजिन, ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर ड्रान औज़ार, पावर टिलर्स जैसे उपकरणों तथा औज़ारों और अन्य औद्योगिक आदानों की बिक्री को अर्थयुक्त करना।

(3) कृषि-मितव्ययी उद्योग की स्थापना के लिए योजनाओं को अर्थयुक्त करना।

(4) कृषि उपकरणों तथा औज़ारों की बिक्री के लिए प्रोत्साहन-सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन करना।

श्री श्रीनारायण दास : इन निगमों में वित्तीय रूप से तथा अन्यथा केन्द्रीय सरकार का कितना अंशदान होगा ?

श्री शाहनवाज खाँ : यह आधा आधा होगा।

श्री श्रीनारायण दास : किन राज्यों में इन निगमों को बनाये जाने की सम्भावना है ?

श्री शाहनवाज खाँ : आशा है कि महाराष्ट्र और मद्रास राज्यों में यह निगम शीघ्र ही बन जायेंगे। अन्य राज्य भी इस में रुचि ले रहे हैं, परन्तु वहां अभी कुछ समय लगेगा।

Shri Ram Harak Yadav : Whether the Government of U.P. have also made a proposal for establishment of such a corporation in that State ?

Shri Shahnawaz Khan : No information has been received from them so far.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा के लिये बड़े पैमाने के क्षेत्रों के उद्योगों की अपेक्षा छोटे पैमाने के उद्योगों पर कम ध्यान दिया जाता है जिस का एक कारण यह है कि उन की क्षमता के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं होती।

श्री शाहनवाज खाँ : प्रत्येक राज्य में इस क्षेत्र के उद्योगों के आकार तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा दी जाती है।

Shri A. P. Sharma : Whether any direction has been issued to the States where these Agro-Industrial Corporations are being set up, *i.e.* in Bihar and Madras States as stated by the Minister that these industries should be set up more in rural areas than in urban areas.

Shri Shahnawaz Khan : It will be better if the Agro-industries are set up in the rural areas as far as possible.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि यह ऐग्रो इंडस्ट्रीज केवल इन्जीनियरिंग इंडस्ट्रीज तक ही सीमित रहेगी या इस से कृषि-उत्पादन के दूसरे क्षेत्र भी शामिल है जैसा कि माल तैयार करना और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इन को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार चलायेगी।

श्री शाहनवाज खाँ : ख्याल यह है कि यह निगम ट्रैक्टर, विद्युत टिलर, पैस्ट्रीसाइज के सयंत्र, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण और दूसरी ऐसी ही चीजो का निर्माण करेगा। इन निगमों को राज्य सरकारें चलायेंगी।

Shri Yudhvir Singh : The basic aim of this corporation appears to satisfy the requirements if the farmers for such industries and to co-ordinate them. As it has just been stated by the Government that the co-ordination stage has not yet reached because some states have not agreed to it. May I know the intention of the government for setting up these agro-industries to satisfy the requirements of the farmers before this Scheme is made operative and the corporation is set up.

Shri Shahnawaz Khan : At present we are meeting the needs of these industries which are in private sector partly by indigenous production and partly by imports. The idea is to stop these imports after the setting up of this corporation.

Shri Yashpal Singh : Whenever such Corporation Boards or Committees are set up they come under the influence of Government officers and farmers remain aloof from them. They are not represented in them. May I know the proportion of representations of farmers and other people in them.

Shri Shahnawaz Khan : Details will be prepared by the State Government. Board of Directors will also be formed by the State Governments.

Shri Shiv Narain : I would like to know the total production of our country and imports made from abroad. I would also like to know the total demand of the country ?

Shri Shahnawaz Knan : It will be easy to answer if the hon. Member asks a specific question about the production of a thing which he wants to know.

Shri Shiv Narain : I want to know about the implements and tractors which are imported. What else I can ask.

Mr. Speaker : There are so many things Hon. Member should not become angry.

Shri Shahnawaz Khan : We require about twenty thousand tractors and we manufacture about fifty per cent of them.

श्री दी० चं० शर्मा : स्पष्टत: इस ऐग्रो-इण्डस्ट्रीज निगम के बनने की अधिक अच्छी सम्भावनाये नही है क्यूंकि केवल दो राज्य ही इस को बनाने के लिये सहमत हुये हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : दो से अधिक ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या आप मन्त्री है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस ऐग्रो-इन्डस्ट्रीज निगम को जिस से कि छोटे किसानों को कुछ आशा बंदी है, सफल संस्था बनाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री शाहनवाज खाँ : हम ने राज्यों को लिखा है और उन की क्या कठिनाईयां हैं इस पर विचार कर रहे है। आरम्भ में केन्द्र की सहायता 25 प्रतिशत होगी और बाद में राज्यों के कहने पर इस को 50 प्रतिशत कर दिया जायेगा। हम ऐसे निगमों के बनाये जाने की अविलम्बता पर जोर दे रहे हैं और आशा करते हैं कि राज्य सरकारे मैदान में आयेंगी।

श्री म० र० कृष्ण : बिरला भाईयों ने आंध्र प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर अंगूरों की उपज का काम आरम्भ कर दिया है और उनको मद्यशाला के लिये एक लाईसेंस भी दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि मद्यशालायें को भी एग्रो-इन्डस्ट्रीज के अन्तर्गत समझा जाता है।

श्री शाहनवाज खाँ : यह उस के अन्तर्गत नहीं आती।

Shri Gulshan : May I know whether proposals from farmers have also been sought about their needs and the things they require at particular time in connection with the setting up of the Agro-industries corporation ?

Shri Shahnawaz Khan : The needs of the farmers are being assessed.

कृषि परियोजनाओं के लिये आस्ट्रेलिया की सहायता

*451. **श्री विभूति मिश्र:**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागडी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया की भूख से मुक्ति आन्दोलन समिति अनाज का उत्पादन बढ़ाने और किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के हेतु पांच बड़ी कृषि परियोजनाओं में भारत को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी हां।

(ख) पांच परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4767/65।]

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir. from item No. 2 of this statement it appears that Government will impart training to 750 persons every year under this scheme for catering arrangements in Hotels. In village families the food left over at the end of the day is allowed to be consumed by the cattles. Whereas the food left over in Hotels in the cities is either wasted or allowed to rot. Whether Government has taken care of these things that the cattles may also be kept wherever the hotels are run so that the food left over in the hotels may be consumed by the cattles ?

Shri Shahnawaz Khan : The food left over in these hotels is not wasted. In big hotels of Delhi it is fully utilized. Partly it is given to the employees and partly is taken by the people for their cattles.

Mr. Speaker : It can also be proposed that men and animals may be tied side by side.

Shri Bibhuti Mishra : It appears from item No. 4 of this statement that the suggestion for the scheme has come from Young Farmers Association of India and that under this Scheme arrangements will be made for the production of fruits, vegetables, eggs and for poultries. There is a mention of poultry breeding on another place in this statement but it has not been mentioned that what will be about the production of fruits and vegetables. I would like to know whether the government is neglecting fruits and vegetables.

Shri Shahnawaz Khan : It will also be included in that. We have kept one hundred acres of land for the production of fruits, vegetables and poultry farming.

Shri K. N. Tiwary : It has also been stated in the statement that 15 centres will be opened under F. A. O. and Australian Scheme. May I know that at how many places these have already been established. Secondaly whether training centres will be opened in Madras, Andhra and Izat Nagar. May I know whether it has been proposed to establish such centres in each state so that people of all those states may be got benefitted by them.

Shri Shahnawaz Khan : There are different schemes. First is mainly about the poultry for which we have already opened centre in Balingarh and necessary machinery for poultry breeding and food has also been installed so that cheaper food may be supplied to poultry breeders. The idea is to establish one centre in each state but for the time being only one established in Balingarh. Another centre for controlling rinderpest will be opened in Izat Nagar where people from all places can come for training purposes.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भूक से छुटकार आन्दोलन के द्वारा बहुत से पच्छिमी देशों में पिचके हुये पेट वाले बच्चों की, आदमी और औरतों की आधी नग्गी फोटो दिखा कर भारत की बहुत ही निराशा जनक स्थिति बताई जाती है। ऐसी फोटो को दिखा कर ही इस आन्दोलन के लिये पैसे लेते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि इस आन्दोलन के लिये पैसा लेते समय भारत की ऐसी निराशा जनक स्थिति न बताई जाये।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : मैंने यह विज्ञापन देखे हैं, यह विशेषकर भारत के बारे में नहीं हैं. इन में आम तौर पर पिछड़े हुये, अल्प विकसित देशों में वर्तमान हालतों को बताया गया है। विशेषत: किसी देश का उल्लेख नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने स्वयं इन्हे देखा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : फिर भी, हमारे देश में कुछ निराशाजनक परिस्थितियां हैं और हमें अवश्य ही उनको दूर करना है। हम वर्तमान हालतों की उपेक्षा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल, श्री कपूर सिंह।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने खाद्य समस्या को हल करने की दृष्टि से कभी इस साधीसी बात पर भी विचार किया है कि जहां कृषक को बीज, खाद इत्यादि मिलती रहे वहां कृषक के पास अपना खेत हो। और वह उस को जैसे चाहे जोते।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह एक पृथक चीज है। यह टैकनालोजी में सुधार के लिये है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने कभी इस साधारण बात पर विचार किया है। यदि हां, तो इस के क्या परिणाम हैं। बात सरल है और प्रश्न भी सरल है फिर भी उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर शायद अधिक सरल था।

श्री कपूर सिंह : यह टालने वाला था।

Shri Bade : Lakhs of cattle died with rinderpest every year in India. May I know the arrangements being made by government for its research in India or whether the government sending the students abroad for its research as is written in the statement ?

Shri Shahnawaz Khan : I could not understand the first part of the question.

Mr. Speaker : He says many animals die with Rinderpest.

Shri Shahnawaz Khan : Rindupest is a very dangerous desease which harm animals of India. We have started a national programme for eradication of Rinderpest and almost in all states of the Country we have worked much on it.

Mr. Speaker : Whether some body has been sent abroad for it.

Shri Shahnawaz Khan : We have much technical know-how about it and there is no need for sending anybody abroad.

श्री भागवत झा आज़ाद : श्री शर्मा के प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ कर और उद्देश्यों को सुन कर क्या यह मान लेना ठीक नहीं कि यह पांच योजनायें अधिकतर प्रचार और प्रदर्शन के लिये हैं न कि कुछ देने के लिये, यदि नहीं तो जनता और राज्यों पर इस का कहां प्रभाव पड़ेगा।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह सच है कि यह प्रदर्शन के लिये है परन्तु इस लिये कि इस से दुसरे भी उत्पादन और दूसरी चीजों को प्रविधि सीख सकें।

Mr. Speaker : Sardar Buta Singh.

Shri Yashpal Singh : Mr. Speaker. My name was also there.

Mr. Speaker : You can see the records. I called you but you did not.

Shri Yashpal Singh : I beg your pardon. You may give me an opportunity afterwards for asking one question.

Shri Buta Singh : Every day food is served to thousands of people in Sikh Gurudwara irrespective of the caste, colour & race to solve this food problem. These 'Langers' are being run on the production of the lands which belong to Gurudwaras; keeping in view this fact whether the Government will issue such instructions that these lands may not under the purview of the Land Requisition Act.

Mr. Speaker : Hon. Member has gone far off. You are now giving invitation so that question of Gurudwara lands may also be brought in it.

श्री कपूर सिंह : प्रश्न खुराक उत्पादन पर है इस लिये इस से इस का सीधा सम्बन्ध है।

Shri Yash Pal Singh : It has not been made clear whether this land will be taken from Co-operatives or from private owners ? From which source this land will come for the establishment of Government farms and whether the farmers will have the right to make experiments on it.

Shri Shahnawaz Khan : Land will be distributed according to the circumstances prevailing in different places. If the in any state government has its own land it can be given free and if land is to be acquired then the proceedings will be adopted to acquire the land.

श्री रामसहाय पाण्डेय : इस परियोजना का उद्देश्य कृषकों के जीवन स्तर को बढ़ाना है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बात से अवगत है कि कृषक अण्डे और दूध जैसी कई चीजों का उत्पादन करते हैं और क्योंकि नगरोंमें में इस की अच्छी मार्केट है इस लिये यह सब चोजें नगरों में जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कृषकों को सुविधायें देने पर विचार कर रही है ताकि वह इन चीजों का स्वयं उपयोग करें और जो बच जायें उन को बेचें।

श्री शाहनवाज खाँ : इस बात का फैसला कृषकों को करना है कि वह उत्पादन का क्या करना चाहते हैं। यदि वह सोचता है कि पोलट्री को बेचने से कोई ऐसी चीज खरीद कर सकता है जिसकी उसको अधिक आवश्यकता है तो वह ऐसा कर सकता है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस परियोजना की वित्तीय आवश्यकताओं को केन्द्र और राज्य किस हद तक पूरा करेंगे।

श्री शाहनवाज खाँ : कुछ रुपया तो राज्य सरकारें ही देंगी और कुछ दाता देशों की ओर से प्राप्त हुआ है।

श्री श्रीनारायण दास : यह उत्तर स्पष्ट नहीं है। आंकड़े क्या हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): विदेशी मुद्रा और आन्तरिक वित्त के आंकड़े वक्तव्य में दिये गये हैं।

Shri Chandramani Lal Chaudhry : Mr. Speaker, Government has much barren land if that is cultivated it can be of much benefit to the Country. May I know if some proposal is being considered to give this land to the political sufferers who fought shoulder to shoulder with you and bore many difficulties during the war for independence, so that by cultivating this land they may increase the production.

Mr. Speaker : Here we were discussing fodder for the hens and you have taken up the question of political sufferers.

Shri Sarjoo Pandey : It appears from the second part of the statement that Australian freedom from Hunger Campaign Committee has given aid worth 93500 Dollars to fifteen centres. May I know which these centres are and the kind of machines which will be given to these centres.

Shri Shahnawaz Khan : As I have stated that one of these centres will be opened at Bahugarh which is about 30 miles from here and we propose to open one such centre in each centre. There is one feed mixture plant which mixes many elements of fodder for hens and then it is supplied to farmer at cheaper rates.

कृषि उत्पादन

*452. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न उत्पादन के लिए राजसहायता देने तथा योजनावार धन व्यय करने की योजनायें चालू होने से लेकर जून 1965 के अन्त तक कहां तक पूरी हुई; और

(ख) खाद्य उत्पादन के लिये राजसहायता देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को दी गई निधि का राज्यों में अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4768/65**।]

श्री अ० ना० विद्यालंकार : उत्पादन वृद्धि के सम्बन्ध में विवरण के (क) भाग में कहा गया है कि योजनाओं का प्रभाव क्या हुआ है इसका पता उत्पादन वृद्धि के मात्रा से स्पष्ट है। क्या यह बात केवल अनुदान के आधार पर ही कही जा रही है अथवा सरकार के पास वैज्ञानिक ढंग से किये गये अनुमान के कुछ आंकड़े हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : अभी हाल ही में यह अनुमान डा० अेस०आर० सेन ने किया है जैसा कि विवरण में कहा गया है। उसके परिणामों को लगभग ठीक ही मान लिया गया है।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : विवरण में कहा गया है कि अनुमान नियमित रूप से नहीं लगाया जा सकता। इसी कारण से मैंने यह प्रश्न पूछा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इसी लिए तो हम कह रहे है कि हमने सामान्य रूप से अनुमान लगाया है और उसके परिणाम लगभग ठीक ही सिद्ध हुए हैं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास कोई आंकडे हैं। और कि इन योजनाओं के लिए दिया गया धन ठीक ढंग से प्रयोग हुआ है अथवा उनका दुरुपयोग किया गया है। यह सिद्ध करने के लिए सरकार के पास कोई आंकड़े हैं जिन से दुरुपयोग के आरोप का उत्तर दिया जा सके।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : विशिष्ट योजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष यह धन दिया जाता है। इसमें छोटी सिंचाई की योजनाओं और भूमि संरक्षण योजनाओं को लिया जाता है। अब हम इस बात का अनुमान लगाते है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए किस हद तक धन व्यय किया गया है। विशेष रूप से 1963-64 के बाद। कृषि उत्पादन के लिए जब हम विशेष रूप से धन अलाट करते है, तो हम इस बात का ध्यान रखते है कि इस धन का प्रयोग कहीं और न हो। 1963-64 से पूर्व कोई विशेष नियन्त्रण इस दिशा

में नहीं था। राज्य सरकारें इन्हें जैसे चाहे प्रयोग में ले आती थीं। परन्तु 1963-64 से हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन निधियों को केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत हुई है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह ठीक है कि राज्य सरकारों को इस दिशा में जो निधि दी गयी थी, उसे कई एक राज्यों ने उस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया और यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इन निधियों के बारे में राज्य सरकारों की नीति में हाल ही में काफी सुधार हुआ है। बल्कि अब यह मांग अधिक से अधिक हो रही है कि छोटी सिंचाई योजनाओं और भूमि संरक्षण के लिए धन दिया जाये।

Shri Hukam Chand Kacchavaiya : As it has been stated in the Statement that for purposes of irrigation Madhya Pradesh has been allotted Rs. 320 crores and Maharashtra Rs. 415 crores. Madhya Pradesh is bigger than Maharashtra, I want to know what are the basis of allotment of m nies for this purpose ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह राज्य द्वारा की गयी मांग के आधार पर किया जाता है। शायद मध्य प्रदेश अन्य मदों के लिए अधिक धन मांग रहा है। यह सब योजना के अन्तर्गत किया जाता है।

श्री दाजी : क्या यह ठीक है कि मध्य भारत से जो गेहूं और चावल लिया जाता है उसे महाराष्ट्र में नफो से बेचा जाता है। मध्य प्रदेश उस नफो में से अपना अंश मांगता है, जो कि उसे कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए सहायता के रूप में दिया जा सकता है ? यदि हां, तो भारत सरकार की इस प्रस्थापना के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस से यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। यदि माननीय सदस्य अलग से इसका नोटिस दे तो मैं इसकी जांच करूंगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अधिक अनाज उगाओं आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुत सा धन नष्ट किया जाता है। बहुत सी परियोजनाओं के लिए जो धन निर्धारित किया जाता है उसे उनके लिए ही ठीक प्रकार से व्यय नहीं किया जाता, और यह भी हैं क्योंकि यह निर्धारण मुख्यतः राजनीतिक आधार पर किया जाता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस विचार में राजनीतिक का कोई प्रश्न नहीं है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि राज्य सरकारें इन परियोजनाओं के लिए दिये जा रहे धन का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करते।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इसमें सोचना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, हम यह जानते हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम भी समझा रहे हैं। हमारे अध्यायन दल राज्यों में जाते हैं, और वे इस बात को अच्छी प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। इस बात का मुझे हर्ष है कि कृषि कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों ने कुछ जागरूकता दिखाई है और वे कार्यक्रमों को अधिक से अधिक रूप में ले रहे हैं।

श्री रंगा : राज्यों के स्तर पर जो लेखापरीक्षण के प्रतिवेदन प्रस्तुत होते है, क्या उनका अध्यापन किया जाता है, ताकि कमियों का पता लगे और उन्हें महालेखापाल और राज्य विधान मंडलों के नोटिस में लाया जाय ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी हां, हम धन के प्रयोग के ऊपर से पूरा नियंत्रण करते हैं। हमने इस बारे में चर्चा भी करते रहे है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अध्ययन दल समय समय पर विभिन्न राज्यों में जाकर वहां अपना अनुमान लगाते है।

श्री रंगा : यह तो वही बात है जो वह पहले कह चुके हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों पर भी इस संदर्भ में विचार करते है।

श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि जो भी अनुदान अथवा राशि किसी एक योजना में किसी विशेष परियोजना के लिए निर्धारित की जाती है, और वह परियोजना उस योजना काल में पूरी होती नहीं, तो उसके लिए आगे की योजना के अन्तर्गत उसके लिए धन नहीं दिया जाता, अत: वे सभी अपूर्ण रह जाती है। उस का उपचार करने के लिए सरकार क्या ढंग अपनाने का विचार रखती है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस दोष को दूर कर दिया गया है। यदि किसी एक वित्तीय वर्ष में कोई योजना पूर्ण नहीं होती, तो इसे अगले वर्ष और अगली योजना तक भी पूर्ण करने के लिए धन दिया जाता है। अब जो भी अनुदान निर्धारण किया जाता है उसका आधार परियोजना होती है। यदि परियोजना समय विशेष के अन्तर्गत पूरी नहीं होती तो उसे पूर्ण करने के लिए धन दिया जाता है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार ने परियोजनाओं के लिए धन निर्धारित करते समय कोई राशि उर्वरकों के लिए भी अलाट की है, क्योंकि उर्वरक बाजार में बड़ी ऊंची कीमत पर मिलते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : आज की स्थिति यह है कि उर्वरक उपलब्ध ही नहीं है। मूल्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इस सम्बन्ध में अभी हाल एक समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। उन सिफारिशों का परीक्षण किया जायेगा और शीघ्र ही इस दिशा में हम कुछ निर्णय करेंगे।

श्री जयपाल सिंह : जिस प्रकार से छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर धन कम होता है, उसे देखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार को किस प्रकार यह आश्वासन प्राप्त हुआ है कि इन परियोजनाओं को कार्यन्वित करने से कुछ लाभ होगा, और यह पानी के अभाव में समाप्त नहीं होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इन परियोजनाओं को आरम्भ करने से पूर्व जल सर्वेक्षण तथा भूजल सर्वेक्षण कर लिया जाता है इसके बिना इसके लिए कुछ करना सम्भव नहीं है। परन्तु इस पर भी कई एक मामलों पर असफलता मिल जाती है। ऐसा होता है कि कुयें को खोदने पर पता चलता है की पानी नहीं है। हम इस बात का प्रयास कर रहे है कि सर्वेक्षण ठीक ढंग से किये जाय।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार द्वारा कोई इस प्रकार के संगठन का निर्माण किया गया है जो यह देखे कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिए जो धन अलाट किया जाता है वे राज्यों द्वारा अन्य किसी और दिशा में खर्च न होकर इस दिशा में ही खर्च हो।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यही बात मैंने कही है कि 1963-64 से यह बात आश्वस्त कर दी गयी है कि दिया गया धन केवल इसी उद्देश्य के लिए ही खर्च हो।

श्री भागवत झा आज़ाद : यह तो विवरण में स्पष्ट लिखा है कि विभिन्न मदों के अन्तर्गत क्या खर्च होगा। परन्तु इतना खर्च कर देने के बाद भी जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उनमें से आधे भी प्राप्त नहीं किये गये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतने व्यय के बाद भी ठीक परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हुए ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : कृषि क्षेत्र में कई एक बातों का ध्यान रखना होता है। यद्यपि हम लघु सिंचाई योजनाओं पर खर्च करते हैं, परन्तु फिर भी वर्षा के हो जाने पर सब कुछ आश्रित रहता है। यदि वर्षा नहीं होती, तो सफलता नहीं होती। यही कारण है कि इस दिशा में मौसम का काफी प्रभाव रहता है।

+ **सेतुसमुद्रम परियोजना**

*453. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **परिवहन** मंत्री 23 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेतुसमुद्रम परियोजना संबंधी तकनीकी रिपोर्ट तथा आर्थिक पहलुओं का अध्ययन शीघ्रता से निपटाने के लिये नियुक्त की गयी उच्चस्तरीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक और क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

एक उच्चस्तरीय समिति के विचार विमर्ष पर आधारित, इस परियोजना के लिये एक पूरे समय के लिये मुख्य इंजीनियर की नियुक्ति की गई है। उसका मौजूदा काम, परियोजना को अध्ययन किये हुए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा स्थापित विभिन्न विचारों के प्रकाश में तथा उसके द्वारा किये गये और जांच पड़ताल के प्रकाश में एक आधुनिकतम परियोजना प्राक्कलन तैयार करना है। इसके अलावा मुख्य इंजीनियर को सहायता देने के लिये मद्रास सरकार ने एक परियोजना अधिकारी भी नियुक्त किया है। इस प्रयोजन के लिये मद्रास सरकार ने एक विशेष इंजीनियरी परिमंडल की भी स्थापना की है। इसका व्यय केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है। आजकल मुख्य इंजीनियर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने और जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस परियोजना के आर्थिक पक्ष पर विचार करने के लिए कोई कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था, यदि हो, तो उस दल के निष्कर्ष क्या थे ?

श्री राज बहादूर : उनके निष्कर्ष अभी हमें मिले नहीं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह ठीक नही है कि गत 5 जुलाई को राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सभापति इस परियोजना को देखने गये थे और इन्होंने इसके बारे में कहा है कि लड़ रही नौसेना का जो महत्व है उसी तरह का महत्व वाणिज्य नौसेना का है, इस लिए प्रतिरक्षा विभाग को इस निर्माण की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि हो, तो क्या यह बात प्रतिरिक्षा मंत्रालय से कही गयी है ?

श्री राज बहादूर : यही मत राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का है।

श्री रामनाथन् चेंटियार : क्या प्राक्कलनों का पुनरीक्षण कर लिया गया है और यदि हां, तो ये पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या हैं ?

श्री राज बहादूर : इन प्राक्कलनों का आधार तकनीकी समिति का अध्ययन होगा, इसके पश्चात् ही हम कोई ठोस आकड़े प्रस्तुत कर सकेंगे।

श्री मुथिया : क्यों हमारे व्यापार और प्रतिरक्षा के लिए इस परियोजना का बड़ा महत्व है, अतः क्या इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा ?

श्री राज बहादूर : इसे चौथी योजना के अन्तर्गत ले लिया जाय इसी उद्देश्य से इसका अध्ययन किया जा रहा है। आर्थिक अध्ययन के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। देश की आर्थिक स्थिति को सामने रखते हुए ही इसका व्यय भी आंका जायेगा।

श्री कन्डप्पन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा?

श्री राज बहादूर : हम जलदी तो नहीं कर सकते, विभिन्न दिशाओं का पता करके हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक पर क्या खर्च होगा?

मध्य प्रदेश को आयात किये गये गेहूं की सप्लाई

+

*454. **श्री विद्याचरण शुक्ल** :
श्रीमति सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री वारियर:
श्री दाजी :
श्री गुलशन :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हरि विष्णु कामत:

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने **की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सर्दियों में वर्षा न होने के कारण इस वर्ष उत्पन्न हुए संकट को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार से आयात किये गये गेहूं की सप्लाई में अविलम्ब वृद्धि करने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने कितना गेहूं मांगा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार कितना गेहूं सप्लाई करेंगी?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) : यह सच है कि मध्य प्रदेश में 1965 के आरम्भ में सर्दी की वर्षा सामान्य से नीची हुई थी। तथापि, गेहूं की उपज को अधिक हानि नहीं पहुंची और मध्य प्रदेश में इस वर्ष गेहूं की उपज गत वर्ष की उपज की अपेक्षा थोड़ी अधिक हुई थी। जून के लिये मांगी गयी आयातित गेहूं की मात्रा 8000 मीट्रिक टन थी। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि उन्हें जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक माह 20,000 मीट्रिक टन गेहू की जरूरत पड़ेगी।

(ग) जून, जुलाई और अगस्त के तीन महीनों में वास्तव में की गयी सप्लाई निम्न प्रकार थी :—

(हजार मीट्रिक टन में)

जून, 1965	8.4
जुलाई, 1965	4.7
अगस्त, 1965	5.4

सितम्बर के लिये उन्हें 8,000 मीट्रिक टन का कोटा नियत किया गया है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश की रोलर आटा, मिलों को गेहूं के पदार्थ बनाने के लिये जो कि मध्य प्रदेश में वितरण किये जाएंगे, अलग कोटे लिये जा रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : गेहूं की कमी के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो खाद्य सम्बन्धी व्यापक दंगे हुए हैं उसे सरकार ने देखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं मांगा परन्तु सरकार का सम्भरण बहुत कम रहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि काफी मात्रा में गेहूं का सम्भरण हो, ताकि यह कमी दूर हो जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, वह तो ज्यादा उपज वाला राज्य है .....

श्री विद्याचरण शुक्ल : कभी था।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह तो अधिक उपज वाला क्षेत्र है। सामान्यत: मध्य प्रदेश से गेहूं गुजरात और महाराष्ट्र की ओर जाता था। अब तो उस पर भी रोक लगा दी गयी है। अत: वह गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने की व्यवस्था कर सकते है। परन्तु इस वर्ष मौनसून में देरी हो जाने के कारण कुछ सूखा हुआ और मंडी में बहुत कम गेहूं आया। यही कारण है कि अधिक उपज वाला राज्य होते हुए हमने उसे हजारों टन आयात किया हुआ गेहूं दिया। परन्तु इस दृष्टि से और भी बहुत से कमी वाले राज्य है, जिन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या गत चार वर्षों के मध्य प्रदेश के गेहूं के अधिक उपज के आंकड़े मंत्री महोदय प्रस्तुत कर सकते है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हमने पहले ही कहा है कि 1964–65 के उत्पादन आकड़े 19 लाख टन के लगभग है। इस वर्ष उसमें कुछ वृद्धि भी हो गयी है। पहले इससे भी कम उत्पादन होने पर भी मध्य प्रदेश से कुछ लाख टन गेहूं महाराष्ट्र और गुजरात को जाता था। अब ऐसा नहीं होता।

श्री राम सहाय पांडे : कई बार आँकड़े बहुत भ्रांतिपूर्ण होते हैं। मध्य प्रदेश का समाहार के मामले में बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। 5 लाख टन गेहूं इस वर्ष भी केन्द्र को दिया गया है। क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश ने 5 लाख टन आयात गेहूं मांगा था जिसे खाद्य तथा कृषि मंत्री ने देने से इन्कार कर दिया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह 5 लाख टन की मांग नहीं है। यह मांग तो माननीय सदस्य करने लगते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की मांग तो यह है कि उसे प्रति मास 1,000 टन गेहूं दिया जाय। परन्तु यह असम्भव मांग है। हमने अन्य भी कमी वाले क्षेत्रों को गेहूं देना है जिनका उत्पादन निश्चित रूप से कम है। उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री दाजी : क्या सरकार को पता है कि लोग सुबह से लेकर रात तक लाइन में खड़े, गेहूं लेने के लिए खड़े रहते है। कई बार बारी दूसरे और तीसरे दिन आती हैं। कई राशन दूकान पर खड़े खड़े मर ही गये हैं। इन हालात में केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश को गेहूं देना चाहिए। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां लोगों को लाइन में लग कर गेहूं लेना होता है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं नहीं कह सकता कि कहा तक यह सब सत्य है जो कि माननीय सदस्य ने कहा है। अधिक उपज वाला क्षेत्र होने पर भी हम मध्य प्रदेश को आयात किया हुआ गेहूं दे रहे हैं। यदि माननीय सदस्य यह कहेंगे कि पी० ऐल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से गेहूं मत लो तो हम कहां से गेहूं लायेंगे ?

श्री प्र० चं० बरुआ : मध्य प्रदेश का उत्पादन और उसकी वास्तविक आवश्यकतायें क्या हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : 1963-64 में कुछ उत्पादन 9,375,000 टन था। 1964-65 में यह 10,140,000 टन था। 1964-65 में काफी वृद्धि हुई । इस लिए सामान्यत: उसे अपनी व्यवस्था कर ही लेनी चाहिए।

Shri J. P. Jyotishi : Whether any assessment has been made for the Production of wheat in Madhya Pradesh and whether the Supply given was sufficient to meet the Situation?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह कमी ख्याली ही है। 1963-64 में वहां गेहूं का उत्पादन 19.97 लाख टन था। 1964-65 में 19.97 लाख टन था। यह राज्य सरकार के आकड़े हैं। मध्य प्रदेश में उत्पादन की वृद्धि हुई है। अत: उन्हें अपने उत्पादन से काम चलाना चाहिए।

Shri Bade : Whether Government have received report that everybody is getting a chattak wheat everyday? Whether it is not a fact that the Prisoners are getting 4 chattaks. Whether this is also a fact that people are not in a position to get wheat for week's together? Government of Madhya Pradesh has written to the centre that they have no stock. How much wheat has been supplied to Madhya Pradesh for the last three or four months?

Mr. Speaker : This has been answered.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : सस्ती दुकानोंको तो इस मतलब के लिए केवल उन क्षेत्रों में खोला जाता हैं। कुछ ऐसे स्थानों में उन्हें चालू किया गया है। जिन क्षेत्रों में उत्पादन काफी हैं वहां ऐसा नहीं किया जाता है।

श्री बडे : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती

Shri Bade : I have asked the quantity of production before riots, the quantity demanded and the quantity supplied.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं समझा नहीं।

श्री बड़े : मध्य प्रदेश ने कितनी गेहूं आयात की हुई केन्द्रीय सरकार से मांगी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हमने आंकड़े दे दिये हैं।

Shri Bade : How much was demanded and how much given.

Mr. Speaker : Figures have already been given.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या केन्द्रीय सरकार ने जमाखोरों, व्यापारियों तथा अमीर किसानों के स्टाक छीनने की अनुमति मध्य प्रदेश सरकार को दी है क्योंकि उन्होंने इस बारे में असन्तोषजनक व्यवहार नही किया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत उन्हें पूरे अधिकार प्राप्त है। वह साठे बाजों और बड़े उत्पादकों से स्टाक छीन सकते हैं।

श्री राधेलाल व्यास : यह ठीक है कि मध्य प्रदेश का उत्पादन अधिक है, परन्तु वहां गेहूं नहीं, चावल अधिक होता है। इस बार सरकार ने अपने सभी प्रकार के कर्मचारियों को गेहूं प्राप्त करने पर लगाया, परन्तु फिर भी कमी दूर नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति बड़ी बिकट हो गयी है। क्या इस स्थिति में भारत सरकार कुछ गेहूं का सम्भरण मध्य प्रदेश को करेंगी ताकि यह कठिनाई का सामना किया जा सके ?

श्री भागवत झा आजाद : यह क्षेत्रीय रोक को क्यों नहीं हटा दिया जाता।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने कहा भी है कि हमने कुछ मात्रा में गेहूं दिया है। मध्य प्रदेश की हालत इस दिशा में बुरी नहीं। राष्ट्रीय उपलब्धता 14.4 औंस है। मध्य प्रदेश में यह आकड़ा 19 औंस फैलता है। इस हालत में भी यदि गेहूं की मांगे हो तो वह कहा से आये।

Shri Sheo Narain : Are Government prepared to supply wheat in exhange of surplus rice ?

Shri Vidya Charan Shukla : That would be highly appreciated. Rice is procured by Government, while wheat is not supplied.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : अब मध्यप्रदेश एक पृथक क्षेत्र बना दिया गया है। फालतू चावल की उपलब्धि उन की अपनी गणना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि चार लाख टन चावल फालतू है, जिसको प्राप्त कर लिया गया है और उपलब्ध कर दिया गया है। यदि वे गेंहू के बदले चावल देने की स्थिति में हैं तो मैं प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हूं।

अनाज का कोटा

+

*455. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकुमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री दे० शि० पाटील :

क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र से राज्यों को अनाज के दिये जाने वाले मासिक कोटे में कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कोटे में कितनी कटौती की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिये कोई मासिक कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है। चावल की सप्लाई की जाने वाली मात्रा एक वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाती है। जहां तक आयातित गेहूं का सम्बन्ध है, केन्द्र के पास गेहूं की संभावित उपलब्धि और प्रत्येक राज्य में खाद्य की सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रख कर प्रत्येक मास सप्लाई की जाने वाली मात्रा निश्चित की जाती है। चूंकि कोई निर्धारित मासिक कोटा नहीं है, इसी लिये विभिन्न राज्यों के कोटों में कटौती या बढ़ोतरी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का ध्यान मुख्य मंत्रियों के उस सम्मेलन की ओर आकर्षित किया गया है जिस का सभापतित्व प्रधान मंत्री ने किया था और जिसमें उन्होंने राज्यों से कोटा कम करने का अनुरोध किया था ? यदि हां तो, उन्होंने कितनी मात्रा कम करने का अनुरोध किया था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : प्रधान मंत्री ने आयात की जाने वाली मात्रा के वितरण के बारे में कहा है कि जितनी मात्रा हम प्रति मास प्राप्त करते हैं उतनी मात्रा का प्रतिमास वितरण नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर हमारे लिये यह संभव होना चाहिए कि रक्षित भंडार बनाने के हेतु हम कुछ बचायें। उन्होंने इसी सिलसिले में राज्य सरकारों से यह अपील की थी कि वे अपनी मांगों को बढ़ाते न जायें अपितु थोड़ी मात्रा से ही काम चलाने का प्रयत्न करें। इसी आधार पर हम हिसाब लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मुख्य मंत्री स्वयं खाद्य मंत्री से मिले हैं और उन से प्रार्थना की है कि बिहार की अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति पर काबू पाने के लिये एक लाख टन खाद्यान्न की बहुत शीघ्र आवश्यकता है? इस प्रार्थना के आधार पर क्या कुछ अन्न दिया गया है, यदि हां तो कितना?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : बिहार के मुख्य मंत्री मुझसे मिले थे और उन्ह ने मुझे राज्य की अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति के बारे में अवगत कराया। इस आधार पर हम उन्हें यथा शक्ति आयातीत गेहूं देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस मास हम ने उन्हें कुछ आयाती मिलो (Milo) भी दिया है। इसके अतिरिक्त, जितना हो सकता है, उतना देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अभी तक कितना दिया जा चुका है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : कुल मिला कर 75,000 टन।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Had the Government supplied full quota to those States, as are supplying foodgrains to other States under the orders of the Centre? Has Madhya Pradesh been supplied the quota of foodgrains in lieu of its supply to Gujrat, Maharashtra and Andhra etc.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी हां, उन्होंने हमें चार लाख टन चावल देने का वचन दिया था और वह हमें दे दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या अन्य राज्यों ने जो कोटा मांगा था, वह पूरा कर दिया गया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझा कि वह जानना चाहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश जितना कोटा देने को सहमत हुआ था, उसने दे दिया है। वह दे दिया गया है।

Shri Vishwa Nath Pandey : I want to know the basis on which quotas are allotted to different States.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हर राज्य की आन्तरिक उपज, जनसंख्या तथा वहां के परम्परागत उपभोग पर विचार किया जाता है और इस आधार पर कमी की भाग निश्चित की जाती है। इस कमी की पूर्ती हेतु कोटा निश्चित किया जाता है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या राज्यों को दिये जाने वाले वर्तमान वार्षिक कोटे से खाद्यान्न का बराबर वितरण हो जाता है? यदि हां, तो खुले बाज़ार के भावों तथा प्रति व्यक्ति राशन की उपलब्धि में इतने बड़े अन्तर का क्या कारण है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक संभव है, हर राज्य में आयातित गेहूं तथा बहुतायत वाले राज्यों से प्राप्त चावल की भी उपलब्धि गणना के आधार पर की जाती है। 1961–63 के परम्परागत उपभोग को देखने से यह पता चलता है कि हर राज्य को कमी वाला तथा बहुतायत वाला क्षेत्र घोषित करने और इस आधार पर कमी वाले क्षेत्र को निश्चित मात्रा में खाद्यान्न देने तथा बहुतायत वाले क्षेत्र से प्राप्त करने से उपलब्धि की व्यवस्था सुधरी है। परन्तु इसके बावजूद हर राज्य में क्रय शक्ति भिन्न भिन्न है। भावों के उतार चढ़ाव का भी यही कारण है।

श्री के० दे० मालवीय : किसी राज्य के मुख्य मंत्री की मांग पर क्या केन्द्रीय सरकार इस बात की जांच करती है कि अचानक केन्द्र से इतनी बड़ी मात्रा में मांग क्यों की जा रही है और क्या केन्द्रीय सरकार के लिये यह वांछनीय नहीं होगा कि वह निरन्तर इस बात को देखें कि राज्य सरकारें इस प्रकार कुशलता पूर्वक कार्य करें कि केन्द्र से इस प्रकार की मांग की ही न जाये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम इन बातों को देखते तो हैं परन्तु केन्द्र से तो हम राज्य सरकारों के प्रशासन में कुशलता नहीं दे सकते। यह राज्य सरकारों का मामला है, परन्तु हम यथासंभव उन की सहायता करने का प्रयत्न करते है।

श्री बासप्पा : क्या मैसूर के मुख्य मंत्री ने राज्य के दक्षिण भाग में खाद्यान्न और वर्षा की कमी के बारे में बताते हुए यह कहा है कि उस राज्य को खाद्यान्न देने के लिये कुछ किया जाना चाहिए ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं आम जवाब दे सकता हूं। प्रत्येक राज्य यह मांग कर रहा है कि उन्हें अधिक कोटा दिया जाये।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्यों कि राज्य सरकारें केन्द्र से अधिक अनाज मांग रही हैं, अत: क्या चावल के 7 लाख टन और गेहूं के दस लाख टन का रक्षित भंडार बनाने में कठिनाई नहीं होगी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस वर्ष कोई बड़ा रक्षित भंडार नहीं बनाया जा सका है।

श्री बड़े : विभिन्न राज्यों के कोटे में कमी करने के स्थान पर क्या सरकार के सामने ऐसा कोई सुझाव है कि खाद्य क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाये और राज्य के अन्दर आनाज ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही। आप इन चीजों को समाप्त क्यों नहीं करते ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : दर असल इस के बहुत से वैकल्पिक उपाय हैं—सारे देश को एक क्षेत्र बना दिया जाये अथवा देश में विभिन्न क्षेत्र बना दिये जायें अथवा राज्यों को ही क्षेत्र बना दिया जाये। इन सब उपायों पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और एक निर्णय किया गया था। अब हर समय तो इसी पर चर्चा नहीं की जा सकती।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has stated just now that there is no fixed quota for the supply of foodgrains to any of the States. The Food Ministers of the States and specially the Food Minister of Uttar Pradesh, are making statements regularly to the effect that the Centre is not supplying full quota fixed for them. I would like to know that keeping in view the draught situation, is there any proposal to supply foodgrains to Uttar Pradesh immediately ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष उत्पादन में 25 लाख टन की कमी हुई। इसी लिए कुछ महीनों तक हम उन्हें एक लाख टन प्रति मास के हिसाब से खाद्यान्न देते रहे। उन्होंने इसे स्थायी कोटा समझा है और हालांकि इस वर्ष उपज में कुछ लाख टनों की वृद्धि हुई है, वे यह मांग कर रहे है कि उन्हें एक लाख टन प्रतिमास के हिसाब से कोटा दिया जाये। परन्तु हम ने वही वितरण करना है जो केन्द्र के पास है और इसी कारणवश हम उत्तर प्रदेश को लगभग 60,000 से 65,000 टन प्रति मास दे रहे हैं।

Shri Gulshan : May I know whether the Punjab Government have demanded a quota of foodgrains from the Centre ? If so the quantity thereof and the quantity supplied by the Central Government ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जी हां, पंजाब भी जो कि भारत का अन्न भंडार है, आयातीत गेहूं लेना चाहता है।

श्री रंगा : यह आप की सरकार की असफलता का द्योतक है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी मांग क्या है, और उन्हें क्या दिया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : पंजाब की मांग मुख्यतया रोलर फ्लोर मिलों की आवश्यकता पूरी करने के लिये है, ताकि गेहूं के उत्पाद बनाये जा सकें। उनकी मासिक क्षमता लगभग 19 हज़ार से 20 हज़ार टन है। वे हमेशा 19 हज़ार से 20 हज़ार टन के पूरे कोटे की मांग करते है परन्तु हम इसे पूरी करने में असमर्थ हैं। हम 7 हज़ार से 8 हज़ार टन तक देते हैं।

श्री पु० र० पटेल : इन छः महीनों में गुजरात को कितना गेहूं देने का वचन दिया था, कितना दे दिया गया है, तथा कितनी कमी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम गुज़रात को 60,000 टन प्रति मास देने को सहमत हुए हैं। सम्भरण हर मास उपलब्धि के आधार पर 50 हजार से 60 हज़ार टन रहा है।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न राज्यों में अनाज़ उपलब्ध न होने संबंधी बहुत सी कठिनाइयों का कारण राज्यवार खाद्या क्षेत्रों का बनाया जाना है और कुछ मुख्य मंत्रियों ने भी इन खाद्य क्षेत्रों को जारी रखने के संबंध में आपत्ति की है ? इन्हें समाप्त करने में सरकार के रास्ते में क्या विशेष रुकावट है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, विभिन्न मत व्यक्त किये गये थे परन्तु अन्ततः मुख्य मंत्रियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि राज्यवार खाद्य क्षेत्रों को जारी रखा जाये।

श्री भागवत झा आज़ाद : बहुतायत वाले राज्यों जैसे मध्य प्रदेश की कठिनाईयों के साथ पूर्ण सहानुभूति प्रकट करते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि कमी वाले खाद्य क्षेत्रों के साथ अपनी कठिनाईयों में हिस्सा बटाने में मध्य प्रदेश भी जिस की ओर से इतने सदस्य बोले हैं अथवा अन्य बहुतायत वाले राज्यों की कठिनाईयां क्या हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, फिर भी हर कोई अपने लिए अच्छी स्थिति का इच्छा करेगा और इस लिए हर कोई चाहता है कि उसके राज्य में स्थिति अधिक अच्छी हो।

श्री भागवत झा आज़ाद : राष्ट्र में नहीं, परन्तु केवल उस राज्य में ऐसा है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकती हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में जहां कि खाद्य फालतू है और कि उसका उपयोग केवल 13 औंस है जहां कि दुसरे राज्यों में यह 18 औंस से भी अधिक है और भारत वर्ष की औसत 15 औंस है और कि अधिशेष राज्य लोगों को भूका रख कर हो यह अधिशेष बनाये हुये हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : अन्य पदार्थों का उपयोग लोगों के जीवन स्तर पर निर्भर है, अधिक विकसित राज्यों में अन्न के पदार्थों का उपयोग कम हैं। इस लिये इस में कोई चिंता की बात नहीं है।

श्री दा० ना० तिवारी : भारतवर्ष में सब से कम कोटा बिहार राज्य का है : 10 औंस प्रति दिन और कि यह भी उन को नहीं मिलता।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम जो कुछ उन को दे रहें हैं उस के आधार पर यह 11.8 औंस के लगभग है। बिहार राज्य में दुसरे कई राज्यों से प्राप्यता कम हैं इस से मैं सहमत हूं।

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : महाराष्ट्र का घाटा राष्ट्र के घाटे का $\frac{1}{3}$ है। क्या यह सच है कि छः महीने की कमी 1.5 लाख टन है और इस को केन्द्र ने पूरा करने का वचन दिया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हमारे लिये क्या सम्भव है यह हमने उन्हे बता दिया है और हम अपने निशाने रखे हुय हैं।

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : प्रश्न यह था कि जब कमी 1.5 लाख टन की हद तक है तब वचन क्या है। उत्तर यह है कि जो कुछ सम्भव है हम ने बता दिया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : केन्द्र कोई खाद्यान्नों का उत्पादक नहीं है। हम उन राज्यों से जिन के पास फालतू है या जहां तक सम्भव हो आयात करने का प्रयत्न करेंगे और इस को कमी वाले राज्यों में बराबर बांट दिया जायगा। मैंने सभी मुख्य मन्त्रीयों को विशेषकर कमी वाले राज्यों के मुख्य मन्त्रीयों को आंकड़े दे दिये हैं कि इस का कैसे पुनः बंटवारा किया जा सकता है परन्तु किसी ने इस का उत्तर नहीं दिया है। वे लगभग सन्तुष्ट है कि बराबर बराबर वितरण किया गया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि फालतू अन्न वाले राज्य ही इस क्षेत्रों के उस सिद्धान्त को, जिसका पहले ही खण्डन हो चुका है, बनाये रखना चाहते हैं।

Shri D. S. Patil : I want to know whether Indian Government has any National Food Budget. If so, then on what basis the National Food Budget and State Food Budgets are prepared.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हमारा फूड बजट एक प्रकार से इस तरह है कि हम देश में औसत प्राप्यता का अनुमान लगाने का, और किस राज्य में कितना अधिशेष है, का प्रयत्न करते है और इस बात का भी हिसाब लगाते है कि कितना आयात करना सम्भव है। कमी वाले विभिन्न राज्यों को वितरण के लिये हम यह फूड बजट बनाते हैं।

श्री क० न० तिवारी : यहां की कमी को ध्यान में रखते हुये क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 480 पर हस्ताक्षर किये गये थे।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह एक अलग प्रश्न है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मन्त्री ने पर्याप्त समीकरण भण्डार बनाने का सुझाव दिया है और कि कोटे का बंटवारा करने से पहले इस पर विचार करने को कहा है। यदि हां, तो अब तक कितना भण्डार बना लिया गया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें तुरन्त मांग को भी पूरा करना है। यदि मुख्य मन्त्री यह कहते हैं कि उन को अन्न की तुरन्त आवश्यकता है तो हम समीकरण भण्डार के बारे में नहीं सोच सकते। इस विषय पर अगले वर्ष विचार किया जायेगा।

श्री दी० च० शर्मा : जहां तक पंजाब सरकार का सम्बन्ध है वह केन्द्र को गेहूं, चावल, बाजरा और दुसरी बहुत सी चीज़ें भेज रही है। क्या माननीय मन्त्री से मैं यह जान सकता हूं कि दुसरे राज्यों में वितरण के लिये पंजाब ने कितना अन्न दिया है और दुसरी चीज़ें जो पंजाब सरकार मांग रही है जिस के लिये माननीय मन्त्री यह कह रहे हैं कि पंजाब जैसे राज्य भी अधिक से अधिक के लिये कह रहा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हम इस को क्रय करते हैं यह कोई उपहार नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि पंजाब अपना फालतू अन्न बेचना चाहता है। यह फालतू ही है जिस को बाहर भेजा जाता है यह पंजाब से किसी दुसरे राज्य को उपहार नहीं है। यह एक व्यापारी सौदा है।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि वांछित था हमने फूड पर नियमित वाद-विवाद काफी लम्बे समय तक कर लिया है और यही मेरा उद्देश्य था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चुनाव व्यय में कटौती

*457. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि चुनाव व्यय कम करने, चुनाव से भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समिति के सही सही निर्देष-पद क्या हैं और इसके कौन कौन सदस्य होंगे ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वृद्धावस्था पेन्शन योजना

*458. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिमंडल ने योजना आयोग को वृद्धावस्था पेंशन योजना भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) हां।

(ख) योजना पर विचार लगभग अन्तिम स्तर पर हो रहा है और योजना आयोग द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) 30.32 करोड़ रुपए।

कर्मचारी भविष्य-निधि अंशदान

*459. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से संस्थान तथा कम्पनियां सरकार की अपने भविष्य निधि अंशदानों का भुगतान नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अंशदान का भुगतान न करने वाली कम्पनियों से देयराशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 30-4-1965 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना द्वारा आवृत्त 28,015 छूट विमुक्त संस्थानों में से लगभग 12% अपने भविष्य निधि अंशदानों का भुगतान नहीं कर रहे थे।

(ख) उक्त अंशदान का भुगतान न करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन के रुप में तथा भविष्य निधि देयराशि को भूमि राजस्व के बकाए के रुप में वसूल करने के लिये कानूनी कार्यवाही की गई है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

*460. **श्री हेडा :**
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्त ऋणग्रस्तता तथा साहूकारों द्वारा लिये जाने वाले बहुत अधिक ब्याज के भार का अध्ययन करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) जरूरतमन्द किसानों तथा आदिम जाति के लोगों को दिये गये ऋण पर साहूकारों द्वारा बहुत अधिक ब्याज लिया जाना रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुछेक राज्य सरकारों ने सूदखोरी को रोकने के लिए साहूकारी के लेन-देन सम्बन्धी कार्य के नियमन के बारे में कानून बनाए हैं। काश्तकारों को अधिक ऋण उपलब्ध करने के लिए सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, ताकि साहूकारों पर उनकी निर्भरता को कम किया जाए।

प्रदीप पत्तन परियोजना

*461. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदीप पत्तन परियोजना के कार्य को पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रारंभिक कार्य के लिये कितनी रकम नियत की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4769/65।**]

सूखे की स्थिति

*462. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री कांबले :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री वै० ना० कुरील :
श्री व्रजेश्वर प्रसाद :
श्री गोपल दत्त मेंगी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा न होने के कारण लगभग सारे देश में सूखे की स्थिति हो रही है;

(ख) क्या इससे फसल को भारी नुक्सान पहुंचेगा; और

(ग) यदि हां, तो देश व विदेश से आवश्यक मात्रा में अनाज प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में तथा लगातार अनाज उपलब्ध किया जा सके ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) : इस वर्ष देश के बहुत से भागों में अनियमित वर्षा हुई परन्तु हाल ही में अच्छी वर्षा हो गई है और इससे खरीफ की खड़ी फसलों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है।

(ग) आन्तरिक उपलब्धि के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। साथ ही सरकार अपने सम्भव साधनों से विदेशों से अधिकाधिक आयात के लिए भी प्रयास कर रही है। सरकार आशा करती है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप वितरण की मौजूदा मात्रा को बनाये रखा जा सकेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संसदीय चुनाव क्षेत्र सुरक्षित करना

*463. **श्री बै० ना० कुरील** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संसदीय चुनाव क्षेत्र किस आधार पर सुरक्षित किए जाते हैं ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संसदीय निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 1 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और (घ) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को ध्यान में रखकर आरक्षित किए जाते हैं।

मोटे अनाज के बाहर भेजे जाने पर प्रतिबन्ध

*464. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने मोटे अनाज को अपने राज्य की सीमा से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या प्रतिबन्ध लगाने से पहले राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी थी; और

(घ) इस आदेश के कारण कमी वाले राज्यों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू तथा कश्मीर, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

(ग) जी हां।

(घ) अधिशेष राज्यों से जोकि परम्परा से दूसरे राज्यों को मोटे अनाजों का निर्यात करते रहे हैं, कहा गया है कि वे विनियमित आधार पर ऐसे निर्यात करते रहने की अनुमति देवें। लगभग एक लाख मीट्रिक टन माइलों का आयात भी किया जा चुका है और यह कमी वाले राज्यों को अलाट की गयी है।

Drought Conditions in U. P.

*465. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri K. N. Pande : **Dr. P. N. Khan :**
Shri Bishwanath Roy : **Shri S. C. Samanta :**
Shri B. N. Kureel : **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Brajeshwar Prasad : **Shrimati Renu Chakravarti:**
Shri Gopal Datt Mengi : **Shri Indrajit Gupta :**
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that drought conditions have been created all over Uttar Pradesh because there have been no rains;

(b) whether it is a fact that there is a likelihood that not only the standing crop but also the next crop would be very poor;

(c) whether it is also a fact that there has been a substantial increase in the prices of sugarcane due to the drought conditions; and

(d) if so, the steps which the Central Government propose to take to tackle this problem facing Uttar Pradesh ?

The Minister of Food & Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Monsoon has been erratic. In the past about two weeks, however, there have been good rains which are expected to prove beneficial to the standing crops.

(b) No.

(c) No.

(d) Does not arise.

दिल्ली में दालों के दाम

*466. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में दिल्ली में दालों के दाम बहुत बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके मूल्य नियंत्रित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) दिल्ली में जून और जुलाई में दालों के भावों में थोड़ी सी तेजी रही है, यद्यपि अगस्त में जैसा कि सभा पटल पर रखे गये विवरण से प्रतीत होगा, मूंग और उड़द के भावों में पुनः मामूली गिरावट का रुख आया। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4770/65।**]

(ख) और (ग) : दिल्ली में किसी भी दाल की पैदावार नहीं होती है और इसकी आवश्यकताएं समीपवर्ती राज्यों से आयात करके पूरी की जाती हैं। दिल्ली में दालों के भावों में मामूली वृद्धि का कारण निर्यात करने वाले राज्यों में इस प्रकार की वृद्धि है। इस समय दालों के लाने-ले-जाने और भावों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही ऐसा नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव है। मानसून में मजबूती आने से दोनों निर्यात करने वाले राज्यों और दिल्ली में दालों के भावों में गिरावट आने की आशा है।

साऊथ इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन

*467. श्री राजगोपाल राव :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री मुथिया :
श्री विश्वनाथ राव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मनी से नये जहाज खरीदने के लिये सरकार तथा साऊथ इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन, मद्रास के बीच ऋण करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज खरीदे जायेंगे, उनका कुल भार कितना होगा तथा भारत आने पर प्रत्येक जहाज का कितना मूल्य बैठेगा; और

(ग) ऋण कितना दिया जायेगा तथा करार की शर्तें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०4771/65**।]

अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित आदिम जातियों को रियायत

*468. **श्री गुलशन** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दू अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को हाल में कुछ विशेष रियायतें दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिख अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को भी वैसी ही रियायतें दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

दूध, मक्खन तथा घी के मूल्य

*469. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री शिवमूर्ती स्वामी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बड़े :
श्री जेधे :
श्री ओंकार सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने दूध, घी तथा मक्खन के भाव बढ़ा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4772/65।**]

आंध्र प्रदेश में पुल दुर्घटना

*470. **श्री बसुमतारी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अगस्त, 1965 को आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ 5(मोड़) पर अलमुरू के निकट गोदावरी नदी की शाखा गौतमी पर बन रहे पुल पर एक दुर्घटना में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और कुछ व्यक्तियों को जिनमें इंजीनियर भी शामिल हैं, गंभीर चोटें आईं ;

(ख) इसी पुल पर पहले कितनी दुर्घटनायें हुई ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां, सात व्यक्ति मरे और ठेकेदार के दो इंजीनियरों सहित 8 व्यक्तियों को चोट आई परन्तु वे सब खतरे से बाहर हैं।

(ख) एक।

(ग) पहले हुई दुर्घटना के बाद दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के रोकने के लिये उचित रक्षा उपायों की सिफारिश करने के लिये राज्य सरकार ने एक जांच समिति की स्थापना की थी। उस दुर्घटना के बाद काम करते हुए उन उपायों को बरता गया जिन की सिफारिश की गई थी। दुर्भाग्य है कि इन रक्षा उपायों के बरतने के बावजूद भी दूसरी दुर्घटना हो गई है। राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि इस दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल करने के लिए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उपायों की सिफारिश करने के लिये दूसरी जांच समिति की स्थापना की जाय। दुर्घटना के बाद उस स्थान की जांच करने पर दुर्घटना होने के कारण का कोई संकेत नहीं मिला है। नदी में बाढ़ आने के कारण कंकरीट गिरडर के टुकड़े पानी में डूब गये हैं अतः उन की अब जांच करना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार को खाद्यान्नों की सप्लाई

*471. **श्री विश्वनाथ राय** :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री गोपालदत्त मैगी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों ने खाद्यान्न की असाधारण स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में इन दो राज्यों को कितना खाद्यान्न भेजा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार को जून, जुलाई और अगस्त, 1965 में सप्लाई किये गये खाद्यान्नों की मात्रा नीचे दी जाती है :—

(आंकड़े हजार मिट्रीक टन में)

1965	उत्तर प्रदेश	बिहार
जून	53	59
जुलाई	64	84
अगस्त	58	76

Border Roads in Bihar

***472. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he toured the Districts of Raxaul, Sitamarhi Darbhanga and Purnea in North Bihar during June 1965;

(b) whether it is also a fact that a demand for the construction of a border road was made by the Members of Parliament and Vidhan Sabha and people of the above areas; and

(c) if so, the action Government propose to take in the matter ?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). Yes, Sir. During his visit to Northern Bihar in June 1965, the Minister inaugurated two meetings of the North Bihar Border Road Transport Development Organisation at Sonabarsa in Sitamarhi Sub-division of the Muzaffarpur district and Nirmali in the Saharsa District which were attended, among others, by some M. Ps. also. It was indicated during the discussions that a trunk road should be provided in the border areas of the Bihar State from Bhainsalotan in the West towards Galgalia in the East. Presumably the Hon'able Members are referring to this de nand. This would be a State road and its construction is, therefore, primarily the responsibility of the State Government. On their part, the Government of India are developing separately a 1000-mile long lateral road from Bareilly in Uttar Pradesh to Amingaon in Assam to meet the needs of the area. Out of this, a length of nearly 400 miles passes through Bihar. The entire cost involved in the development of this lateral road would be met by the Government of India.

अनाज की वसूली तथा वितरण

***473. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार तथा योजना आयोग ने इस बारे में अपने को कहां तक संतुष्ट कर लिया है कि आवश्यकता पडने पर देश अब बिना अनाज का आयात किये गुजारा कर सकता है ;

(ख) यदि देश को अपने पर ही निर्भर रहना पड़े तो क्या सरकार ने उस स्थिति में देश में बड़े पैमाने पर अनाज वसूल करने तथा राशन की दुकानों द्वारा उचित वितरण करने की योजनाएं बना रखी हैं;

(ग) क्या अतिरेक वाले राज्यों में उत्पादकों पर अनिवार्य उपकर लगा कर नियमित वसूली सुविधाजनक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या रक्षित भण्डार बनाने तथा मूल्यों को कम करने के लिये अनाज आयात करने के प्रयत्न जारी रहेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) देश में खाद्यान्नों का आयात होता रहे, इस प्रश्न पर विचार घरेलू उपज के स्तर और जनसंख्या तथा क्रय शक्ति के बढ़ने के कारण खाद्यान्नों की निरन्तर बढ़ रही मांग के संदर्भ में करना है। इन पहलुओं पर विचार करते हुये, यह सम्भव दिखायी देता है कि देश को चौथी पंचवर्षीय योजना के कम से कम पहले दो या तीन वर्षों में खाद्यान्नों का आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई तो सरकार स्थिति का मुकाबला करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगी।

(ग) दोनों अधिशेष तथा कमी वाले राज्यों में बड़े उत्पादकों पर प्रति एकड़ लेवी लागू करने की एक योजना विचाराधीन है और कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना को आगामी फसल से लागू करने के लिये कदम उठाये हैं।

(घ) जी हां।

तटीय भाड़ा दरें

*474. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम हरख यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी वस्तुओं की तटीय भाड़ा दरों में साधारणतया 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी हां।

(ख) तटीय नौचालन सेवा की चालन लागत में सामान्य वृद्धि के कारण यह वृद्धि कर दी गई है।

भोज्य तेल

*475. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोज्य तेलों की किन-किन राज्यों में कमी है ;

(ख) इन राज्यों में तेल की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी;

(ग) क्या सरकार ने भोज्य तेलों के मूल्य स्थिर करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) पश्चिम बंगाल तथा गुजरात की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि वे राज्य क्रमशः सरसों के तेल तथा मुंगफली के तेल की कमी अनुभव कर रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार की अनुमति के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार ने सरसों के तेल और सरसों के बीजों के निर्यात पर 2-8-65 को प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार गुजरात से उस राज्य के बाहर के क्षेत्रों को साबुत मुंगफली और मिरी के निर्यात पर नवम्बर 1965 के अन्त तक प्रतिबन्ध जारी रखने के लिये सहमत हो गई है। केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के साथ 22-8-65 को गुजरात सरकार ने उस राज्य के बाहर मुंगफली के तेल के निर्यात पर रोक लगा दी है।

(ग) जी हां।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

अग्रव्यापार का विनियमन, खाने वाले तेल तथा तेल के बीजों पर बैन्कों की अग्रिम राशि को संकुष्ट करना, देश से निर्यातों पर प्रतिबन्ध, आन्तरिक सम्भरण को अनुपुरित करने के लिए सोयाबीन तेल तथा सरसों के तेल इत्यादि का आयात। अत्यावश्यक पदार्थ विधेयक 1955 के अधीन, जरूरी खाद्य सामग्री जिसमें खाने वाले तेल और अन्य तेल भी सम्मिलित हैं, जमा-खोरों और मुनाफा-खोरों के प्रतिकूल संक्षिप्त मुकदमों की भी व्यवस्था की गई है।

कृषि का औद्योगीकरण

*476. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि का औद्योगीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सफलता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या 4773/65।**]

मछली पकड़ने के बन्दरगाह

*477. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री वारियर :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास करने के लिए बन्दरगाहों में विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि से सहायता मांगी है ;

(ख) क्या अधिक नावों की व्यवस्था होने से यंत्र-चालित नावों से तट से दूर विशेष रूप से मालाबार तट पर पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा बढ़ गयी है ;

(ग) पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा तथा निर्यात बढ़ाने के लिये और क्या सहायक सुविधायें दी गई हैं ; और

(घ) क्या सरकार निर्धारित शर्तों पर स्थानीय अथवा विदेशी पार्टियों से सहयोग प्राप्त करन का प्रयत्न कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) हां। मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का विकास करने के लिये बन्दरगाहों में विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि से सहायता मांगी गई है।

(ख) हां। उत्पादन में बढ़ोतरी विशेषकर यन्त्र-चालित नावों के प्रयोग के कारण हुई है।

(ग) सम्बन्धित सुविधाएं जैसे कि मछली पकड़ने की बन्दरगाहें और सामान उतारने के केन्द्र, वरफ संयन्त्र तथा शीतागार और परिवहन गाड़ियां प्रदान की गयी हैं।

(घ) चिंगड़ी मछली को पकड़ने और विदेशों को उसका निर्यात करने के मुख्य उद्देश्य से एक अमरीकी फर्म के सहयोग से एक कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

सामान्य माल पर अतिभार

***478. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका—भारत-श्रीलंका—बर्मा आउटवार्ड कांफ्रेंस द्वारा बम्बई के मार्ग से भारत आने वाले सामान्य माल पर 15 सितम्बर, 1965 से अतिभार लगाने के प्रस्ताव के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : सरकार ने रिपोर्ट देख ली है और कड़ा विरोध भी प्रकट किया है, कांफ्रेंस ने भारत सरकार के प्रतिनिधि से इस विषय पर बातचीत करने और तब तक के लिये एक महीने तक अतिभार स्थगित करने के लिये सहमत हो गई है।

अलप्पी जिला (केरल) में अकाल स्थिति

1595. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलप्पी जिले में शेरथला तथा उस के आसपास के इलाकों में भयानक अकाल स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सहायतार्थ सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) : शेरतलाई में अलप्पी जिले के आस-पास के इलाकों में अकाल स्थिति नहीं है। लेकिन प्रति वर्ष कालबाह्य के दौरान राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में गरीब मछियारों को कुछ सहायता दी जाती है। गत वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी केरल सरकार ने तटवर्ती क्षेत्र जिनमें शेरतलाई, अलप्पी जिले भी शामिल हैं, के मछियारों को निम्नलिखित सहायता स्वीकृत की है :—

(1) तटवर्ती क्षेत्रों के गरीब मछियारों को कम से कम 10 रुपये और अधिक से अधिक 20 रुपये प्रति झौंपड़ी के हिसाब से तृणाच्छादन कार्यों के लिए आर्थिक सहायता।

(2) तटवर्ती क्षेत्रों में गरीब मछियारों के प्रति परिवार को दो सप्ताह के लिए या उस समय तक के लिए जबतक स्थिति सुधरती है $1\frac{1}{2}$ किलोग्राम चावल और दो किलोग्राम कसावा की सूजी के हिसाब से साप्ताहिक राशन की मुफ्त सप्लाई।

वृत्ताकार बांधों का निर्माण

1596. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुट्टनाड के किसानों से कच्चे बांधों की मरम्मत पर प्रतिवर्ष होने वाला व्यय समाप्त करने की दृष्टिसे पक्के वृत्ताकार बांध बनाने के लिए सहायता देने के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को भी आर० ब्लाक कयाल समिति से कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर भी नकदी वाली फसलें उगाने की अनुमति के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केरल सरकार को इस विषय में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) ज्ञापन पर केरल सरकार विचार कर रही है। इस दौरान में खाद्य एवं कृषि संगठन का एक मिशन आया और उसने कुट्टनाड के विकास के लिए एक ऐसी योजना तैयार करने के विषय में सुझाव दिया जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष परियोजना निधि से सहायता प्राप्त हो। अक्तूबर 1965 में खाद्य और कृषि मन्त्रालय के विशेषज्ञों का एक दल केरल का दौरा करेगा। यह दल क्षत्र का भ्रमण करेगा और समस्या के तकनीकी पहलओं पर विचार करेगा। दल की सिफारिशों के अनुसार ही आगे कार्यवाही की जायेगी।

(ग) जी हां।

(घ) इस पर भी केरल सरकार विचार कर रही है।

केरल में अनाज रखने के गोदाम

1597. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम केरल में अनाज रखने के लिये कितने गोदाम बनायेगा;

(ख) उनकी कुल क्षमता क्या होगी तथा वे कहां-कहां बनाये जायेंगे; और

(ग) उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : भारतीय खाद्य निगम का केरल राज्य में निम्नलिखित चार स्थानों पर लगभग 60 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर कुल लगभग 40 हज़ार मीट्रिक टन की क्षमता के गोदाम बनाने का विचार है :—

(1) कोटायम तालुक में चिनगवनम,

(2) त्रिचूर जिले में मूलनकुन्नाथूकावु,

(3) पालघाट जिले में पूथूपरियारम,

(4) कन्नानोर जिले में इड़ाकाडू।

चालक्कुडि (केरल) में सड़क का पुल

1598. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजपथ पर चालक्कुडि में, वर्तमान रेल एवं सड़क पुल के स्थान पर एक पृथक सड़क का पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो काम कब आरम्भ होगा; और

(ग) इसके लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) चालक्कुडि पर एक अलग सड़क पुल के बनाने के संबन्ध में निर्माण कार्य को स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा ठेके को अन्तिम रूप दे देने के बाद निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जायेगा।

(ग) निर्माण कार्य की प्राक्कलित लागत 9.85 लाख रुपया है और इसके विपरीत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग एक लाख रुपया खर्च किये जाने की संभावना है।

कृषि उत्पादन

1599. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अध्ययन करने तथा उपायों की सिफारिश करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति अथवा दल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो केरल राज्य के बारे में समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने केरल राज्य में उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) विभिन्न कृषि कार्यक्रमों की क्रियान्विति का अध्ययन करने के लिए तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कृषि के विषय में ज्वाइंट सेन्ट्रल टीमों की स्थापना की है। इन टीमों में खाद्य और कृषि मन्त्रालय, सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। 1965-66 की अवधि में इन टीमों ने केरल समेत विभिन्न राज्यों का दौरा किया था।

सलाहकार (कार्यक्रम प्रशासन), योजना आयोग ने जनवरी, 1965 में केरल का दौरा किया था। सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय ने भी एक सिंचाई एवं विद्युत परामर्शदाता को केरल भेजा था कि वह वहां जाकर यह रिपोर्ट करे कि वहां खाद्य की कितनी कमी है और यह भी पता लगाये कि मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से कितनी कमी पूरी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त खाद्य एवं कृषि संगठन की एक टीम ने केरल में चावल उत्पादन के विषय में अध्ययन किया है।

(ख) ज्वाइंट सेन्ट्रल टीम ने केरल में कृषि उत्पादन के बारे में जो मुख्य सिफारिश की है उसका सम्बन्ध कृषि के लिए कुछ अतिरिक्त व्यय (जिसमें भूमि संरक्षण, वन तथा मछलीपालन भी शामिल हैं) तथा सिंचाई आदि से है। सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय के परामर्शदाता की मुख्य सिफारिश यह थी कि केरल में बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन का नियतन किया जाना चाहिये।

खाद्य एवं कृषि संगठन की टीम ने सिफारिश की है कि एक परियोजना के लिए केरल के धान पैदा करने वाले कुछ निचान वाले क्षेत्रों का चुनाव किया जाना चाहिये। इस परियोजना के अन्तर्गत पंच वर्ष की अवधि में निम्नलिखित कार्यों का प्रबन्ध होगा ; हवाई फोटोग्राफी, भूमि सर्वेक्षण, धान की नई किस्मों के बारे में अनुसन्धान और परीक्षण, कन्टूर-मैपिंग, भूमिगत जल संसाधनों का अध्ययन, पोल्डर सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्य, भूमि सुधार के प्रभावों का अध्ययन करने का औचित्य। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 190,000 एकड़ भूमि लाने का प्रस्ताव है ।

(ग) ज्वाइंट सेन्ट्रल टीम की सिफारिश के अनुसार जून, 1965 में कृषि (जिसमें भूमि संरक्षण, वन तथा मछलीपालन भी शामिल हैं) के लिए 68·0 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था की गई है और 1965-66 में बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 110 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

भारत सरकार ने रिपोर्ट की है कि खाद्य एवं कृषि संगठन की टीम के प्रस्ताव दीर्घकालीन हैं और केवल परीक्षणों पर ही लगभग 5 वर्ष लग जायेंगे व परीक्षणों के आधार पर कार्यक्रम की क्रियान्विति में 10 से 15 वर्ष और लगेंगे। अतः केरल सरकार ने सुझाव दिया है कि उस कार्यक्रम को शीघ्र शुरू करना चाहिये जिससे कि तुरन्त परिणाम निकल सकें। उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसा कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और भारत सरकार के विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श होना चाहिये। निर्णय किया गया है कि अक्तूबर, 1965 के मास में एक केन्द्रीय टीम ने केरल का दौरा करके केरल के कुट्टानाड और अन्य क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न के विषय में एक योजना तैयार करनी चाहिये। विशेषज्ञों के केरल के दौरे के पश्चात् कुट्टानाड क्षेत्र के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना की तैयारी के विषय में कदम उठाने के बारे में विचार किया जायेगा।

नलकूप

1600. **श्री मि० सू० मूर्ती :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में प्रयोगात्मक नलकूप संगठन द्वारा राज्यवार कितने नलकूप बनाये गये;

(ख) राज्यवार कितने नलकूप सफल रहे; और

(ग) 1965-66 में राज्यवार नलकूप डालने का क्या कार्यक्रम है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) : समन्वेषी नलकूप संगठन देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल समन्वेषण कार्य कर रहा है। समन्वेषण के दौरान जो बोर 20 डाऊन पर प्रति घन्टा 20,000 गैलन या अधिक जल देते हैं सफल समझे जाते हैं और उन्हें कृषि सम्बन्धी कार्यों के हेतु राज्य सरकारों के इस्तेमाल के लिए उत्पादन नलकूपों में बदल दिया जाता है। यदि निम्न स्तर वाला कोई बोर राज्य सरकारों को स्वीकृत है तो उसे भी उत्पादन नलकूप में बदल दिया जाता है।

1964-65 के दौरान खोदे गये समन्वेषी बोरों की संख्या 10 थी—4 मद्रास में, 3 उड़ीसा में, 2 पंजाब में और एक उत्तर प्रदेश में, जिनमें से केवल एक को उत्तर प्रदेश में उत्पादन नलकूप में बदला गया।

समन्वेषी नलकूप संगठन अपने समन्वेषण सम्बन्धी सामान्य कार्य में विघ्न डाले बिना उत्पादन नलकूपों के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता भी करता रहा है। जून, 1964 से संगठन को विशेषरूप से राजस्थान के कमी वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अकाल सहायता के रूप

में 250 नलकूपों का निर्माण कार्य सौंपा गया है। समन्वेषण कार्य से अधिकतर रिगज़ हटा लिए गये हैं और राजस्थान की ओर मोड़ दिये गये हैं। 1964-65 के दौरान समन्वेषी नलकूप संगठन ने जो नलकूप खोदे हैं जिनमें राजस्थान में खोदे गये नलकूप भी शामिल हैं की संख्या निम्नलिखित है :—

राज्य का नाम	कुल किये गये बोर	कामयाब
राज्य सरकारों का कार्य		
1. राजस्थान	85	58
2. बिहार	63	62
3. महाराष्ट्र	3	2
4. कच्छ (गुजरात)	47	39
5. उत्तर प्रदेश	12	12
6. दिल्ली	1	1
7. मध्य प्रदेश	1	1
कुल	212	175

(ग) 1965-66 के लिये कार्य का प्रोग्राम निम्न है :—

1. समन्वेषी बोर खोदने का कार्यक्रम

राज्य	समन्वेषी बोर खोदे जाने वालों की संख्या
हिमाचल प्रदेश	1
उत्तर प्रदेश	4
	5

2. राज्य सरकार की ओर से नलकूप लगाने का कार्यक्रम

राज्य	बोर किये गये संख्या
बिहार	61
कच्छ	44
राजस्थान	127
उत्तर प्रदेश	8
दिल्ली	12
कुल	252

List of Scheduled Tribes in Punjab

1601. Shri Hem Raj : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Punjab Government have furnished the list of Scheduled Tribes to the Central Government; and

(b) if so, the names of the tribes and the districts to which they belong ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) and (b). The list of Scheduled Tribes in Punjab has been specified by the President under article 342 (1) and is as follows :—

In Spiti and Lahaul in Kangra district :—

1. GADDI
2. SWANGLA
3. BHOT OR BODH

The question of the Punjab Government furnishing the list of Scheduled Tribes to the Central Government does not arise.

केन्द्रीय सड़क निधि

1602. श्री कर्णी सिंहजी क्या : परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सड़क विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से 1964-65 में राजस्थान सरकार को कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) 1965-66 के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) 27.12 लाख रुपया।

(ख) 27.73 लाख रुपया।

Cultivable Land around Delhi

1603. Shri Ramanand Shastri : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the area of cultivable land around Delhi and New Delhi lying unutilised;

(b) whether Government propose to utilise this land for agricultural or vegetable production; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) (i) Area of land notified by Delhi Administration for acquisition for the planned development of Delhi is 50,000 acres.

(ii) Area of land acquired and of which possession has to be taken is 20,000 acres.

(iii) Area already placed for purpose of development at the disposal of Delhi Development authority, Municipal Corporation of Delhi, Government Departments, Public and Private Institutions, Industrial Estates, Coop. House Building Societies etc. is 11,500 acres.

The remaining land is also under process of allocation.

(b) A proposal is being examined by the Delhi Administration to cultivate departmentally the acquired agricultural land till such time that these lands are utilised for various purposes according to Master Plan.

(c) Question does not arise.

कनाडा से गेहूं

1604. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरूआ :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कनाडा से बड़ी मात्रा में गेहूं मंगाने के लिए उस देश से हाल ही में करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस करार के अन्तर्गत कितने टन गेहूं आयात किया जायेगा; और

(घ) भारत में उस गेहूं के कब तक आने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क), (ख), (ग) और (घ) : कनाडा सरकार ने हाल ही में अपने 1965-66 के लिये अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कनाडा की गेहूं खरीदने के लिये सहायता के रूप में 100 लाख डालर का नियतन किया है। इस राशि से 1.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्राप्त होगी जिसकी भारत में सितम्बर से नवम्बर, 1965 की अवधि में पहुचने की सम्भावना है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कृषि मेला

1605. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कृषि मेला होगा;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस मेले में भाग लेने वालों तथा दिखाई जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां। यह मेला भारत कृषक समाज, जोकि एक गैर-सरकारी संस्था है, के तत्वावधान में होगा।

(ख) प्रस्तावित मेला 14 जनवरी से 14 मार्च, 1966 तक होगा। इस मेले में एक राष्ट्रीय क्षेत्र, एक राज्य क्षेत्र तथा एक ग्रामीण उद्योग क्षेत्र होगा।

(ग) कृषक समाज ने अभी तक भाग लेने वालों तथा प्रदर्शनीय वस्तुओं के बारे में ब्यौरा को अन्तिम रूप नहीं दिया है। परन्तु उन्हे आशा है कि कुछ राज्य सरकार, केन्द्रीय मन्त्रालय, बोर्ड, अनुसन्धान संस्थायें, आयोग, विनिर्माता तथा कृषि मशीनों व औजारों, वनस्पति रक्षा रासायनों व उपकरणों, उर्वरकों के विनिर्माता तथा लघु उद्योग आदि और राजदूत स्तर पर कुछ

विदेश इस मेले में भाग लेंगे। आशा है कि प्रदर्शनीय वस्तुओं में कृषि मशीनों, वनस्पति रक्षा उपकरणों, वनस्पति खाद्य तथा उर्वरक व खादी और ग्राम उद्योग हैंडलूम उद्योग तथा हस्तकला की वस्तुयें शामिल होंगी।

परिसीमन आयोग

1606. **श्री सिद्दय्या :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसीमन आयोग ने मैसूर राज्य में संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

परिसीमन आयोग ने मैसूर राज्य में संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश को अन्तिम रूप दे दिया है और उक्त आदेश छापा जा रहा है।

(ख) जी हां।

संघ राज्य क्षेत्रों में गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता

1607. **श्री सिद्दय्या :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों में गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी हां। गरीब लोगों को कानूनी सहायता के लिए एक स्कीम की रूपरेखा संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित की गई थी।

(ख) पाण्डिचेरी, गोआ, दमन और देव तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों में ये स्कीमें आमतौर से गरीब लोगों को लागू हैं। त्रिपुरा तथा दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्रों में ये स्कीमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य के फायदे के लिए हैं। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में ये स्कीमें अभी तक आरम्भ नहीं की गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

अनुसूचित आदिम जातियों का उत्थान

1608. **श्री सिद्दय्या :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुसूचित आदिम जातियों की दशा में सुधार करने के लिए ढेबर आयोग और वर्ष-प्रति-वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा की गई सभी सिफारिशों को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या संविधान के अनुच्छेद 339 के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कोई हिदायतें दी गई हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमति चन्द्रशेखर) : (क) अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग (जिसे ढेबर आयोग भी कहा जाता है) की सिफारिशों पर, जो मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के कार्यक्षेत्रों के अन्तर्गत आती हैं, जुलाई 1962 में हुई राज्यों के उन मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था जो पिछड़े वर्गों के कल्याण के जिम्मेदार हैं। इस सम्मेलन में किये गये निर्णयों का विवरण 28 अगस्त, 1962 को सभा पटल पर रख दिया गया था। इन्हीं निर्णयों के अनुसार राज्य सरकारें/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन यथासम्भव अधिकाधिक क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रही हैं। इस आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर अनुसूचित आदिम जातियों के लिये वार्षिक योजना कार्यक्रमों तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात करते समय भी ध्यान रखा जाता है।

इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही तथा प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के 1961-62 तक के प्रतिवेदनों में शामिल हैं, समय समय पर सभा पटल पर भी रखे जाते रहे हैं।

(ख) और (ग) : अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जन जाति आयोग और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा की सिफारिशें आदेशक नहीं हैं। अतः संविधान के अनुच्छेद 339 के अधीन राज्यों के लिये कोई आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी

1609. श्री सिद्दय्या : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में इलाहाबाद और बंगलौर की शिक्षण संस्थाओं से, भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक परीक्षा में कितने-कितने विद्यार्थि उत्तीर्ण हुए ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : इलाहाबाद केन्द्र से सैंतालीस विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 8 विद्यार्थी अन्तिम रूप से चुने गये थे— दो आई० ए० एस०/आई० एफ० एस० के लिये, चार आई० पी० एस० के लिये और 2 केन्द्रीय सेवाओं के लिये। बंगलौर केन्द्र में 34 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था परन्तु उनमें से कोई भी किसी भी सेवा के लिये नहीं चुना गया।

Revision of List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

1610. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) the names of persons and representatives of institutions invited by the Advisory Committee on the Revision of List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to put their views in their meeting held in Bombay on the 19th June, 1965; and

(b) the names of persons whose views were heard by the Committee in that meeting?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) The following persons were invited by the Advisory Committee :

1. Shri D. S. Patil, Member of Parliament.
2. Shri Shivajirao S. Deshmukh, Member of Parliament.
3. Shri Netram Nathubhai Patel.
4. Shri Bhagirath Suratial Solankhi.
5. Shri Ganpat Ram Baluram.

The last three represented the Khatik Uthan Sangh, Khairwari, Bombay.

(b) Of the persons mentioned above, Sarvashri Netram Nathubhai Patel, Bhagirath Suratial Solankhi and Ganpat Ram Baluram appeared before the Committee.

Wheat and Rice Supply to Goa

1611. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quota of wheat and rice being supplied to Goa has been reduced form the 16th May, 1965; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कश्मीर जानेवाली सभी मौसमों में चलने योग्य नई सड़क

1612. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री राम हरख यादव :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर को शेष भारत से मिलाने वाली सभी मौसमों में चलने योग्य एक नई सड़क बनाने की कोई योजना है;

(ख) योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) से (ग) : एक बार वैकल्पिक मार्ग के एक प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने विचार किया था। लेकिन इस सम्बन्ध में आगे काम नहीं हुआ। एक सुझाव हाल ही में वैकल्पिक मार्ग के लिये फिर प्राप्त हुआ है। उसका परीक्षण किया जा रहा है।

जापान से सुपर टैंकर

1613. **श्री सुबोध हंसदा :** **डा० पू० ना० खां :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सुपर टैंकर जहाज, जिस के लिये भारतीय जहाजरानी निगम ने जापान की हिताची जहाज निर्माण तथा इंजीनियरिंग कम्पनी को क्रयादेश दिया था, समय पर भारत को मिल गया था;

(ख) इस टैंकर की क्षमता क्या है ; और

(ग) यह कब प्रयोग में लाया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) से (ग) : हिताची शिपयार्ड ने "लाजपत राय" मोटर टैंकर ठीक समय पर 24 जुलाई, 1965, को भारत के शिपिंग निगम को दे दिया और प्राप्त होते ही उसे काम पर लगाया गया। टैंकर की क्षमता 46012 डी० डब्ल्यू० टी० है।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जोधपूर

1614. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्था, जोधपुर ने निम्नलिखित विषयों में क्या क्या महत्व-पूर्ण अनुसन्धान किया है :

(एक) शुष्क जलवायु में कौन सी फसलें पैदा की जा सकती हैं;

(दो) भूमि का परिरक्षण तथा आंधी से भूमि के कुटाव को रोकना ;

(तीन) नमी परिरक्षण; और

(ख) इन अनुसन्धानों के परिणामों को किन-किन स्थानों पर प्रयोग में लाया गया है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) बाजरा की 44 किस्मों, ज्वार की 37 किस्मों, मुंग की 27 किस्मों, गोर के 72, कास्टर की 18, मोठ की 15 और तिल की 12, मुंगफली की 16, तरबूज की 4 और मस्क मैलन की 3 किस्मों में फसल किस्मों की वातावरण सम्बन्धी अनुकुलता-परीक्षणों के फलस्वरूप बाजरा की किस्मे आर-एस-के, चादी तथा धना (शुरू की गई) में उन्नति हुई है। ज्वार किस्मों में से मेरटा टाइप, सोजात बावनी, जोन्ना 3 तथा सन्ध्या ज्वार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अन्य फसलों में से फालसाना गौर और मारु-ए-मुंग ने शेष संग्रह की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रारम्भिक चयन में जो किस्में बहुत उपयुक्त पाई गई हैं वे हैं—मारु 1, मारु 2, को० 1, एचसी-3 कास्टर फसल में और मुंगफली फसल में समराला तथा दुर्गापुर चयन।

(2) विन्ड स्ट्रिप क्रौपिंग, ठूंठ मल्चिंग और फसल उत्पादन सम्बन्धी वायुरोधी पर अनुसन्धान किये गये हैं। कृष्य क्षेत्रों में कास्टर अच्छा वायुरोधी सिद्ध हुआ है। विन्ड स्ट्रिप क्रौपिंग के लिए लैसीरस सिन्दीकस (सेवन) घास बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई है।

(3) घासपात, नियन्त्रण, ऊंचे (35 सी एम से अधिक) वर्षा के क्षेत्र में बांध और कृत्रिम मल्च का प्रयोग के सम्बन्ध में नमी परिरक्षण अध्ययन शुरू किये गये हैं। इन अनुसन्धानों से पता चला है कि अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में बांध फसल उत्पादन के लिये बहुत सफल है। गोचर भूमि में कन्टूर फूरोइंग ने चारे के उत्पादन को लगभग दुगना कर दिया है। यान्त्रिक तरीकों से फसलों में घासपात के नियंत्रण और तृणमारकों के प्रयोग ने 50-60 प्रतिशत उपज को बढ़ा दिया है। पैट्रोलियम रेसीन मल्च (एनकेप) ने बहुत लाभदायक असर नहीं दिखाया है।

(ख) अधिकतर प्रयोगात्मक कार्य जोधपुर के केन्द्रीय अनुसन्धान फार्म और पाली के अनु-सन्धान फार्म में किया गया है। चार वर्षों के काम के बाद ऐसी अवस्था आ गई है जब पश्चिम राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पाइलट विकास परियोजनाओं में नतीजों का प्रदर्शन किया जा सकता है। पश्चिम राजस्थान के विभिन्न ज़िलों के 15 प्लाट्स में नाइट्रोजन डोजिज के साथ बाजरा की आर एस के किस्म के साथ परीक्षण-एवं प्रदर्शन किये गये हैं। नाइट्रोजन डोज की 15 केजी/एचए के प्रयोग से इस किस्म ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और बड़े पैमाने पर कृषि के लिए

इसकी सिफारिश की जा सकती है। कृषि विभाग के साथ मिल कर, आगामी मौसम में पहले ही चुने गये 20 विभिन्न स्थानों पर मूंगफली के साथ परीक्षण किये जायेंगे। पाइलट प्रदर्शनों के लिए ग्राम पाल को चुना गया है जो संस्थान से 6 मील दूर है जहां विभिन्न फसलों, घासों तथा वृक्षों की अन्य चुनी हुई किस्मों के प्रदर्शन आदि का परीक्षण किया जा रहा है।

मद्रास बन्दरगाह

1615. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास बन्दरगाह में अयस्क उतारने तथा चढ़ाने के लिये एक संयंत्र लगाने के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किस की ओर से; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : अन्य पोर्ट ट्रस्टों के अलावा मद्रास पोर्ट ट्रस्टों को भी केन्द्रीय सरकार योजना कार्यों की पूर्ति के लिये वार्षिक ऋण देती है। यह उस आवश्यकता और सीमा तक दिया जाता है जहां तक पोर्ट ट्रस्ट उसे अपने आरक्षित और बचत से वित्तीय सहायता नहीं दे सकती है। बेलारी होस्पेट क्षेत्र से तीन मिलियन टन प्रतिवर्ष कच्चा लोहा निर्यात करने के लिये मद्रास पत्तन पर उसे लादने के लिए एक यांत्रिक कच्ची धातु के प्लांट के लगाने में लगभग 350 लाख रुपये के लागत की आशा है। उसमें लगभग 150 लाख रुपये का विदेशी मुद्रा का संघनक शामिल है। इस स्कीम की पूर्ति जहां तक रुपयों के रूप में वित्तीय सहायता का प्रश्न है वहां तक केन्द्रीय सरकार की ऋण सहायता द्वारा की जायेगी। विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें उपलब्ध विदेशी क्रेडिट पर निर्भर करती है।

(ग) सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्ररचनाओं की तैयारी का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस काम के पूरा होने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

Package Programme in U.P.

1616. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Food & Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have granted permission to start Package Programme in Uttar Pradesh during 1965-66;

(b) whether there is any proposal to give grant or loan to the Government of Uttar Pradesh for the purpose during 1965-66 ; and

(c) if so, the total amount involved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No permission has been granted by the Government of India to start any new Package Programme in Uttar Pradesh during 1965-66. The Intensive Agricultural District Programme (Package Programme) has been in operation in Aligarh district (U.P.) since 1961-62 and will continue during 1965-66 as well. Besides, on the basis of the I.A.D.P. experience, Intensive Agricultural Area Programmes have also been taken up in the districts of Varanasi, Basti, Banda, Saharanpur, Muzaffarnagar, Meerut, Bulandshahr, Faizabad and Gonda in U.P. for stepping up production of paddy, wheat and other important crops from the kharif season of 1964-65. These programmes will continue during 1965-66 as well.

(b) and (c) : The quantum of Central assistance by way of grants to be given to the State Government during 1965-66 for the implementation of the I.A.D.P. as well as the Intensive Agricultural Areas Programmes is estimated at approximately Rs. 29 lakhs. This excludes loans which are being made available by the State Government/ Cooperatives.

फसलों को हानि

1617. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 27 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1039 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में फरवरी, मार्च और अप्रैल के शुरू में वर्षा और ओलों के कारण खड़ी फसलों को हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : 1965 में फरवरी, मार्च और अप्रैल के शुरू में वर्षा तथा ओलों के कारण खड़ी फसलों को हुई हानि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि बिहार और दिल्ली, जहां पर वर्षा और ओलों के कारण खड़ी फसलों को मामूली क्षति पहुंची है, को छोड़कर समस्त राज्यों में 1964-65 में रबी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश को उर्वरक का सम्भरण

1618. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में उत्तर प्रदेश को दिये जाने वाले उर्वरक के कोटे में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1964-65 में क्रमशः अमोनिया सल्फेट, द्विगुण लवण (डबलसाल्ट), यूरिआ, केलशियम अमोनियम नाइट्रेट के कितने सम्भरण की मांग की थी तथा वास्तव में कितना सम्भरण किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : 1965-66 में उत्तर प्रदेश के लिए उर्वरकों का कोई विशेष कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। सामान्य पद्धति के अनुसार राज्यों के लिए प्रत्येक तिमाही हेतु उर्वरकों का कोटा अलाट किया जाता है और इस कोटे की अलाटमेंट करते समय देसी साधनों/आयात से होने वाली कुल उपलब्धि तथा कुल मांग को दृष्टि में रखा जाता है। परन्तु आशा है कि 1965-66 में नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की उपलब्धि 1964-65 से अच्छी होगी। इस प्रकार आशा है कि 1965-66 में उत्तर प्रदेश में नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की सप्लाई स्थिति में सुधार हो जायेगा।

(ग) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

उर्वरकों की किस्म	1964-65 के लिए मांग	अलाट हुई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया .	3,53,770	73,445	71,000
यूरिया . . .	15,000	13,325	12,856
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट .	35,000	15,354	15,100
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट .	1,30,000	1,10,899	1,10,650

उत्तर प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों का विकास

1619. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों का विकास किया जायेगा ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में विद्यमान उन पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं जो 1963-64 में और पिछले दिनों तक बनाये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क), (ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई योजनाओं की सूची और उनको पूरा करने के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया है । देखिये संख्या एल० टी०—4774/65 ।]**

उत्तर प्रदेश में पर्यटन-विकास के लिये संशोधित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के हेतु निम्नांकित और योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं :—

(रुपए लाख में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	अनुमानित खर्च		
		केन्द्रीय सरकार का भाग	राज्य सरकार का भाग	कुल
1	2	3	4	5
	भाग 1			
1	आगरा का संगठित विकास . .	104.00	..	100.00
2	कारबेट राष्ट्रीय उद्यान का संगठित विकास	25.00	..	25.00

1	2	3	4	5
	भाग 2			
1	नावगूढ पर (बुद्ध जी के जन्मस्थान लुम्बनी के निकट), कुशीनगर (बुद्ध जी के मृत्यू-स्थान) और हरिद्वार, रिषीकेश, चित्र-कूट, पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ केदारनाथ, हिमालयन तीर्थ में।	13.00	9.00	22.00
2	देहरादून, लैन्सडाउन, मसूरी, अलमोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, लखनउ, कानपुर और मथुरा में स्वागत केन्द्र।	9.00	9.00	18.00
3	वाराणसी में स्वागत केन्द्र . .	5.00	5.00	10.00
4	स्पिलओवर योजनायें . .		4.00	4.00
	(क) वर्तमान पर्यटन बंगलों का विस्तार और सुधार।		4.00	4.00
5	पर्यटन बंगलों/स्वागत केन्द्रों का प्रबन्ध, असवाव, सजावट और अन्य सामान।	..	2.00	2.00
	कुल योग .	152.00	33.00	158.00

राज्यों में अनाज का वितरण

1620. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में अनाज की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था सम्बन्धी गम्भीर शिकायतों के बारे मे बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनाज संभरण की वर्तमान व्यवस्था से क्या शिकायतें; कठिनाइयां तथा तथा समस्यायें पैदा हुई है;

(ग) क्या फालतू अनाज वाले कुछ राज्यों में भी कमी थी और वहां अनाज भेजना पड़ा; और

(घ) सम्भरण व्यवस्था ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : कुछ राज्यों में कुछ खाद्यान्नों की अपर्याप्त उपलब्धि के बारे में कुछ सामान्य शिकायतें सरकार के ध्यान में लायी गयी हैं। इस सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें मिली हैं कि उचित मूल्य की दुकानों पर दी जाने वाली मात्रा अपर्याप्त है और इन दुकानों पर अपरिचित किस्मों के चावल दिये जा रहे हैं।

(ग) अधिशेष राज्यों में भी खाद्यान्नों की कमी है और उन्हें भी खाद्यान्नों का सम्भरण किया जाता है।

(घ) देश में खाद्यान्नों की आन्तरिक उपज बढ़ाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। जनसंख्या के कम आय वाले वर्ग की कठिनाई को दूर करने के लिये उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों का खुला वितरण कर दिया गया और उचित मूल्य की दुकानों से अधिक से अधिक वितरण करने के लिये देश के भीतर खरीदारी तज़ करने और सरकार के पास उपलब्ध साधनोंसे विदेशोंसे यथा सम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्नों का आयात करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के वर्तमान कार्यचालन की जांच करने और इनके कार्यचालन में दक्षता लाने के सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिये एक समिति भी नियुक्त की है।

आदिम जाति विकास खंड

1621. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में खंड विकास अधिकारियों को आदिम जातियों की स्थिति के बारे में सम्यक् जानकारी देने के हेतु अधिक केन्द्र खोलने का निर्णय किया है;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने से पहले ही इन नये केन्द्रों को खोलने के लिए कोई अग्रिम कार्यवाही करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता देने के लिए स्वयंसेवी और धर्मप्रचारक संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सहायक अनुदान कार्यक्रमों का अभिनवीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : (क) चौथी योजना अवधि में खण्ड कर्मचारियों को आदिमजातीय जीवन तथा संस्कृति में प्रशिक्षण देने के लिए कुछ और संस्थान स्थापित करने का विचार है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि एवं सिंचाई तथा विद्युत् योजनायें

1622. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपज को बढ़ाने की दृष्टि से पंचायती राज संस्था को सलाह दी गई है कि वे समेकित कृषि एवं सिंचाई तथा विद्युत् योजनायें आरम्भ करें ;

(ख) क्या पंचायत समितियों को आगामी योजना अवधि के लिए समान अनुदान के आधार पर, एक "निर्बाध निधि" दी जायेगी ताकि वे इस निधि का उपयोग, योजना से बाहर उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कर सकें; और

(ग) क्या पंचायत समितियों को स्थानीय आवश्यकताओं का उचित सर्वेक्षण कर के अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कहा गया है और क्या राज्य सरकारों ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि राज्य योजनायें तैयार करते समय उन के द्वारा बनाये गये कार्यक्रम को ध्यान में रखा जाएगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : (क) पंचायती-राज संस्थाओं को मंत्रणा दी गई है कि वे आवश्यकताओं तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन योजनाएं बनाएं। इसके अलावा, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चौथी योजना अवधि में प्रत्येक राज्य में कुछ अग्रगामी जिलों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में आग्रम सर्वेक्षणों पर आधारित समन्वित क्षेत्र योजनाएं तयार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग भी लें।

(ख) कुछ राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं के लिए 'निर्बाध निधि' की व्यवस्था पर विचार कर रही हैं।

(ग) समितियां स्थानीय आवश्यकताओं के निर्धारण के आधार पर अपने क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार करेंगी। वित्तीय संभाव्यता, भौतिक संभावना और योजना में दी गई प्राथमिकताओं को देखते हुए इन्हें राज्य योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में प्रकाश स्तम्भ

1623. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में बहुत से प्रकाश स्तम्भ बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत आयेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी हां।

(ख) योजना का ब्यौरा और उसकी लागत का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4775/65।]**

गुलमर्ग (काश्मीर) का विकास

1624. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुलमर्ग (काश्मीर) का आधुनिकतम शरद ऋतु क्रीड़ा स्थल के रूप में विकास करने के लिये एक बृहद् योजना तैयार करने हेतु बनाये गये कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें तथा सुझाव दिये गये है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : काश्मीर में गुलमार्ग की शीतकालीन खेलों के केन्द्र के रूप में विकसित करने की एक योजना केन्द्रीय सरकार की पर्यटन की तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है। प्रारंभिक डेटा इकत्रित करने का काम क्षेत्र का सर्वेक्षण, विदेशी विशेषज्ञों की सलाह को प्राप्त करने तथा विस्तृत योजना को पुरा करने का काम भारत सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मोटर चलने योग्य सड़क का तंगमार्ग से गुलमार्ग तक निर्माण, गुलमार्ग पर केन्द्रीय तापी होटल स्की-स्कूल और स्की लिफ्ट, गुलमार्ग से खिलमर्ग तक रज्जुपथ और अन्य सम्बन्धित सुविधायें देने का विचार है। इस परियोजना की कुल लागत 1.25 करोड़ रु० है और जिसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

गुलमार्ग में पर्यटक स्वागत केन्द्र, दुकानों की पंक्ति मौजूदा कुटियों में पानी और बिजली की सप्लाई करने का, कार-पार्क, इत्यादि की व्यवस्था के लिये जम्मू और कश्मीर सरकार की कई योजनायें हैं। पर्यटन विभाग द्वारा गठित कार्यकारी दल जून 1964 को मास्टर योजना बनाने के लिये गुलमर्ग गया। इस योजना में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित सुविधायें थी। समन्वय की जायेंगी कार्यकारी दल की रिपोर्ट जम्मू और कश्मीर सरकार को भेज दी गयी है।

उपरोक्त सुविधाओं के अलावा कार्यकारी दल ने गुलमार्ग को शीत कालीन खेलकूद के केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्पूर्ण विकास कार्य का निरीक्षण करने के लिये गुलमार्ग विकास अधिकरण को समन्वित करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अन्तर्राज्य परिवहन आयोग

1625. श्री सूरेन्द्रपाल सिंह : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार भारत के किसी राज्य की सीमाओं के बाहर के बस मार्गों के लिये परमिट जारी करने का अधिकार अन्तर्राज्य परिवहन आयोग को देने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) फिलहाल ऐसा कोई मामला सक्रिय विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा को खाद्यान्न की सप्लाई

1626. श्री दशरथ देव : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1965 में कितना खाद्यान्न सप्लाई किये जाने की मांग की है,

(ख) अब तक कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया है, और

(ग) क्या भारत के अन्य भागों से त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र को खाद्यान्न पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते भेजने पड़ते हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) चावल 39,000 मीट्रिक टन

गेहूं 6,000 मीट्रिक टन

(ख) लगभग अगस्त के मध्य तक वास्तव में निम्नलिखित मात्रा सप्लाई की गयी थी :—

चावल	31.2 हज़ार मीट्रिक टन
गेहूं	2.1 हज़ार मीट्रिक टन

(ग) जी नहीं। अखिल भारतीय मार्ग से त्रिपुरा को भारत के अन्य भागों से खाद्यान्न भेजे जा सकते हैं। जब सुरक्षित और आवश्यक समझा जाता है, तब पूर्वी पाकिस्तान के मार्ग का उपयोग भी किया जा सकता है।

केरल में चावल की कमी

1627. **श्री वारियार :**
श्री वासूदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चावल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य में चावल का मूल्य बढ़ गया है; और

(ग) उस राज्य में चावल की कमी को पूरा करने तथा बढ़ते हुए मूल्य को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) चावल की दृष्टि से केरल कमी वाला राज्य है।

(ख) और (ग) : केरल की सारी जनसंख्या पर अनौपचारिक राशन-व्यवस्था लागू है और उन्हें उचित दरों पर चावल सप्लाई किया जा रहा है।

म्यूनिख में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन तथा संचार प्रदर्शनी

1628. **श्री राम हरख यादव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने म्यूनिख में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन तथा संचार प्रदर्शनी में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनी में रखी गई भारत की मुख्य प्रदर्शनीय वस्तु क्या थी; और

(ग) उस में कितनी सफलता मिली?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) म्यूनिख की अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन और संचार प्रदर्शनी में पर्यटन विभाग भारत सरकार, भाग ले रहा है। इसका उद्घाटन 25 जून, 1965 को हुआ था। इसमें भाग लेने का प्रबन्ध भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट द्वारा किया गया था।

(ख) पर्यटक विभाग में भारतीय पवेलियन का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। यह भारत में पर्यटन रुचि के स्थानों के इन्लार्जमेन्ट, ट्रांसलाइट इत्यादि के प्रदर्शनों से सज्जित हैं। मेले के दर्शक कक्ष में भारत पर पर्यटक डाकुमेन्टरी दिखलाई जा रही है। पवेलियन में एक सूचना कांउटर भी खोला गया है जहां से छपे साहित्य और मौखिक पूछताछ के उत्तरों द्वारा भारत के बारे में पर्यटक सूचना दी जाती है। उसमें भारत का एक विशाल मानचित्र है जिसमें रंगीन ट्रांसलाइटों द्वारा पर्यटक केन्द्रों को दिखाया गया है। पवेलियन में ताजमहल का एक प्रतिरूप तथा भारतीय स्मारकों से मूर्तिकला के संक्षिप्त नमूने भी रखे हुये हैं।

(ग) इस अवसर पर यह कहना संभव नहीं है कि किस सीमा तक सफलता मिली है। मेला 3 अक्टूबर 1965 को बन्द होगा और उसके बाद ही हमारे लिये अपनी सफलता आंकना संभव हो सकेगा। यह विशेषकर यह निश्चित रूप से ज्ञात करके होगा कि भारतीय पवेलियन कितने व्यक्तियों ने देखा और उन्होंने उसमें कितनी रूचि दिखाई।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये पंजाब को सहायता

1629. **श्री दलजित सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 और 1965-66 में अब तक पंजाब सरकार को कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई अल्पकालीन ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : जी हां। 1964-65 की अवधि में पंजाब सरकार के लिए उर्वरकों के क्रय तथा वितरणहेतु 102.57 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण स्वीकार किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष की अवधि में अब तक 363 लाख रुपए का निम्नलिखित अल्पकालीन ऋण स्वीकार किया गया है :—

क्रम संख्या	प्रयोजन	राशि (रुपए)
1	कीटनाशी औषधियों का वितरण	40.00 लाख
2	उर्वरकों का वितरण	323.00 लाख
	जोड़	363.00 लाख

कृषि विभाग में परिवर्तन

1630. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मन्त्रालय के कृषि विभाग के कार्य-संचालन के में हाल ही में क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का है, ताकि किसानों को उन की मुख्य आवश्यकताएं अर्थात् उर्वरक, पौधों का बचाव करने वाली दवाइयां तथा अच्छे किस्म के बीज और ऋण की सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जा सकें?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कृषि विभाग के कार्य-संचालन में हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को 9.96 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। जब भी आवश्यकता होगी और राशि निर्धारित करने पर विचार किया जायेगा।

राजस्थान का रेगिस्तान

1631. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तान को दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं की ओर बढ़नेसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यवाही कहां तक कारगर सिद्ध हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) रेगिस्तान का दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं की ओर बढ़ने का कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत के महा सर्वेक्षक के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में राजस्थानी रेगिस्तान कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है।

राजस्थान के रेगिस्तान की समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार ने जोधपुर में केन्द्रीय मरूभूमि अनुसंन्धान संस्थान की स्थापना की है। संस्थान रेत के बलदते टिब्बों को स्थिर करने के लिए उपयुक्त वनारोपण तकनीकों पर अनुसंधान कर रहा है। जिन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चालू है वे अंकित किये जा चुके हैं तथा उनके नक्शे बनाये जा चुके हैं।

(ख) परीक्षणात्मक स्तर पर जो भी तरीके रेगिस्तान सुधार के लिए अपनाये गये थे उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अनुसन्धान परिणामों को दृष्टि में रखकर विस्तार सम्बन्धी कार्य राज्य सरकारें करेंगी।

सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिचारिका प्रतियोगिता

1632. **श्री हेडा :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने इस वर्ष सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिचारिका प्रतियोगिता में भाग लिया था;

(ख) चुनाव के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(ग) उस पर कितना व्यय हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी हां।

(ख) भाग लेने वाली परिचारिकाओं का चुनाव निम्नलिखित आधार पर हुआ था :

(1) सामान्य स्वरूप
(2) विमान सेवाओं में कर्त्तव्यों के बारे में सामान्य ज्ञान
(3) बर्ताव
(4) वार्तालाप करने की योग्यता
(5) व्यक्तित्व, विनोद प्रियता और सामान्य रूप रंग
(6) विश्व की सामायिक घटनाओं का ज्ञान।

(ग) भाग लेने वाली परिचारिकाओं के भोजन तथा संवास का खर्चा पुरोनिधाताओं ने उठाया था, और एयर इंडिया को कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ा। भाग लेने वाली परिचारिका को, उसके अनुषंगिक व्यय को उठाने के लिये, शहर से बाहर भत्ते का 25 प्रतिशत दिया गया था जो 24.13 पौंड था (254 रु. लगभग)

होटल उद्योग

1633. **श्री हेडा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने भारत के होटल उद्योग को हिदायतें दी है कि भारतीय परम्परा, कला, संस्कृति तथा पाकशली पर जोर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर): (क) और (ख): पर्यटक विकास समिति की बैठक में, जिसमें होटल उद्योग का प्रतिनिधित्व है, इस बात पर जोर दिया गया कि होटल उद्योग को अपने मनोरंजन और कुपाइन में भारतीय तत्वों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए । इस बात पर होटल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ आम बैठकों में भी विचार विमर्ष किया गया है।

भूमि में काश्त

1634. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री वाडिवा :**
श्री अ० सिं० सहगल : **श्री चांडक :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : **श्रीमती मिनिमाता :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में काश्तकारी के योग्य 631.88 लाख एकड़ भूमि में से केवल 400 लाख एकड़ भूमि में काश्त की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या काश्त करने योग्य शेष भूमि पर भी खेती आरम्भ करने के लिये सरकार राज्य सरकार के परामर्श से प्राथमिकता योजनाओं पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भूमि उपयोग आंकड़ों (1963-64) के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र 526 लाख एकड़ है जिसमें से 427 लाख एकड़ भूमि में कृषि होती है ।

(ख) तीसरी योजना की अवधि में कुल 18.75 लाख एकड़ नई भूमि में कृषि की जाने की सम्भावना है । इसी प्रकार का लक्ष्य चौथी योजना के लिए निर्धारित किया गया है ।

ट्रैक्टरों का आयात

1635. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री वाडिवा :**
श्री अ० सिं० सहगल : **श्री चांडक :**
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : **श्रीमती मिनीमाता :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक अन्न उपजाओ योजना को तीव्रता से कार्यान्वित करने के अभियान के अन्तर्गत और अधिक भूमि पर खेती आरम्भ करने हेतु बड़े ट्रक्टरों का आयात करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन ट्रक्टरों के आयात के लिये स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : 1964 में मध्य प्रदेश सरकार ने ऊबड़-खाबड़ भूमि सुधार योजना के लिए 15 हैवी क्रालर ट्रैक्टरों और मशीन ट्रैक्टर स्टेशन स्कीम के लिए 100 मीडियम क्रालर ट्रैक्टरों के आयात के लिए 100 लाख रुपये (लगभग) के मूल्य की विदेशी मुद्रा मांगी थी। 1964 में 28 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा दी गई थी जिससे राज्य सरकार 29 ट्रैक्टर खरीद सकती थी। इस वर्ष 1965 में राज्य सरकार ने क्रालर ट्रक्टरों के आयात के लिए 66 लाख रुपये मांग। इसके मुकाबले में अब तक 13 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा दी गई। जब अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी, तो शेष आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा।

समुद्र तटवर्ती गोपालपुर का विकास करने की योजना

1636. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र तटवर्ती गोपालपुर (उड़ीसा) को पर्यटकों के लिये और अधिक आकर्षक बनान की योजना बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर कुछ पर्यटक गृह बनाने गये हैं; और

(ग) इस स्थान को पर्यटकों के लिये आकर्षक बनाने के लिये क्या अन्य उपाय किये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क), (ख) और (ग) : उड़ीसा सरकार समुद्र तटवर्ती गोपालपुर का विकास करने की एक मास्टर योजना बना रही है। इस बीच में एक द्वितीय दर्जे का बंगला बनाने के लिये राज्य सरकार ने भूमि ले ली है। यह बंगला केन्द्रीय सरकार से 50 प्रतिशत उपदान ले कर बनाया जायगा।

एक चार कमरों वाला रेवेन्यू गेस्ट हाउस हाल ही में बनाया गया है। जिसमें पर्यटकों के आवास की व्यवस्था भी है।

समुद्र तटवर्ती गोपालपुर, तातापानी, वड़खेला और चिलका झील क्षेत्र के विकास करने के लिये चौथी पंचवर्षीय आयोजना के अंतर्गत एक योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना पर अनुमानत: 12 लाख रुपये की लागत आयेगी।

अमरिका से चावल का आयात

1637. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत चावल का आयात करने पर जहाजों द्वारा परिवहन की कुल कितनी लागत आने की संभावना है; और

(ख) क्या भविष्य में यह राशि अमरीका को डालरों में दी जानी होगी?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत चावल का आयात करने पर परिवहन की कुल लागत 3.23 करोड़ रुपये आने की सम्भावना है।

(ख) संयुक्त राज्य सरकार के विनियमनों में यह व्यवस्था है कि पी०एल० 480 करारों के अधीन आयातित खाद्यान्नों की कम से कम 50 प्रतिशत मात्रा गैर-सरकारी अमरीकी वाणिज्यिक ध्वजपोतों में लायी जानी चाहिये। यह आयात करने वाले देश की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वह शेष

50 प्रतिशत मात्रा को किसी भी ध्वज पोत में लाये । भारत सयकार इस 50 प्रतिशत मात्रा को गैर-अमरीकी ध्वज-पोतों जिनमें भारतीय जहाज़, यदि कोई उपलब्ध हो, शामिल हैं, लाती है । भारतीय जहाज़ों को छोड़कर शेष जहाज़ों का भाड़ा सारा विदेशी विनिमय में दिया जाता है और इसे हम अपने ही साधनों से अदा करते हैं ।

अमरीकी ध्वज पोतों का भाड़ा गैर-अमरीकी ध्वज पोतों की अपेक्षा अधिक है । तथापि, उपर्युक्त कथित व्यवस्था के अधीन अमरीकी-ध्वज पोतों में जो खाद्यान्न ढोया जाता है, भारत सरकार को उनका भाड़ा गैर-अमरीकी ध्वज-पोतों पर भाड़े की देय दरों के हिसाब से देना पड़ता है, अमरीकी ध्वज-पोतों और गैर-अमरीकी ध्वज पोतों की दरोंमें जो अन्तर होता है उसे संयुक्त राज्य सरकार पूरा करती है । 31 दिसम्बर 1964 तक किये गये करारों के बारे में इस दायित्व का भुगतान भारत सरकार द्वारा रुपयों में किया गया था । 31 दिसम्बर, 1964 के बाद किये गये करारों के बारे में यद्यपि अब भी भारत सरकार की अमरीकी ध्वजपोतों के भाड़े की अदायगी गैर-अमरीकी ध्वज पोतों के भाड़े की दरों पर करनी होगी किन्तु उस सीमा तक भाड़े की अदायगी रुपयों की बजाये डालरों में की जायेगी । यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से चावल के आगामी सभी आयातों पर लागू होगी ।

कलकत्ता और बम्बई हवाई अड्डों पर विमान यातायात

1638. श्रीमती रेणुका राय : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी और जुलाई, 1965 के बीच कलकत्ता और बम्बई हवाई अड्डों से प्रतिदिन कितने लोगों ने विमान द्वारा यात्रा की ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : जनवरी से जुलाई, 1965 तक की अवधि में कलकत्ता (दमदम) और बम्बई (सान्ताक्रज) का औसत दैनिक यात्री विमान यातायात निम्नप्रकार हैं :–

	विमान पर चढ़े	विमान से उतरे	मार्ग में
कलकत्ता (दमदम)	425	422	215
बम्बई (सान्ताक्रूज)	1038	1026	520

अनाज का आयात

1639. श्री बागड़ी : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अमरीका तथा अन्य देशों से चावल का आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनसे कितनी मात्रा में चावल मंगवाया गया है ; और

(ग) आयात की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Depots for Sale of Imported Wheat

1640. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that depots for the sale of imported wheat whould be opened throughout India by the Food Corporation of India ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the State Governments have also been consulted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) There is no such proposal at present.

(b) and (c). Do not arise.

सरसों के तेल का मूल्य

1641. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरसों के बढ़ते हुए मूल्य तथा मुनाफाखोरी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के सरसों के तेल की मिलों के मालिकों द्वारा लगाये गये इन आरोपों की जांच की है, कि उत्तर प्रदेश के सरसों के व्यापारी बहुत अधिक दाम ले रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए जो कदम उठाये गये हैं उनमें ये शामिल हैं–सरसों के बीजों तथा तेलों में अग्र व्यापार पर रोक, तिलहनों तथा तेलों की जमानत के मुकाबले बैंक पुंजी की उपलब्धि पर प्रतिबन्ध, निर्यातों पर प्रतिबन्ध तथा सरसों के बीजों की सीमित मात्राओं के आयात। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भारत रक्षा कानून 1962 में संशोधन किया है जोकि 20 मई, 1965 से लागू था, इसके अनुसार खाद्यान्न जिनमें खाद्य तिलहन तथा तेल शामिल हैं के गमनागमन या उनके मूल्य नियंत्रित करने के बारे में उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने से पहले राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ख) ऐसे मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारें कार्यवाही करेंगी।

मत्स्यपालन

1642. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम-बंगाल मछली विपणन निगम के अन्तर्गत मछली सम्भरण तथा विपणन सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन करने के लिये भेजे गये मत्स्यपालन विशेषज्ञों ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाने और कलकत्ता की मण्डी में मछली का सम्भरण करने के उद्देश्य से खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के दो अधिकारियों का एक दल पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा गया था और इस दल ने कुछ अन्य राज्यों के मात्स्यकी अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दल की सिफारिशों के अनुसार यदि संग्रहण, परिवहन और विपणन के लिये उचित प्रबन्ध किये जाएं तो प्राइवेट व्यापारियों द्वारा भेजी जानेवाली मछली के अलावा, सरकारी तथा सहकारी साधनों से कलकत्ता की मण्डी के लिये पर्याप्त मात्रा में मछली अधिप्राप्त करना सम्भव है। मछली के उत्पादन के लिये ऋण स्वीकार करने, बरफ की सप्लाई, इन्सुलेटेड और शीतित सड़क तथा रेल के डिब्बे, ठंडे गोदाम आदि सुविधायें सुलभ करनी भी आवश्यक होंगी।

(ख) भारत सरकार ने केन्द्रीय मात्स्यकी निगम स्थापित करने का निर्णय तो कर लिया है। आगामी दो या तीन महीनों में निगम स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

आयात किये गये गेहूं का खराब होना

1643. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री स० मों० बनर्जी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई के आरम्भ में कोचीन पत्तन में जो अमरीकी गेहूं आया था, उसमें बहुत अधिक गेहूं मानवीय उपभोग के योग्य नहीं पाया गया; और

(ख) यदि हां, तो कितना गेहूं खराब था और किस प्रकार खराब हुआ था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जुलाई, 1965 के आरम्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका से कोचीन बन्दरगाह पर कोई गेहूं नहीं आया था। तथापि 26, मई और 8 जून 1965 के बीच एक जहाज़ से 1,304 मीट्रिक टन खराब गेहूं उतारा गया था। यह गेहूं समुद्र मार्ग में पानी के टपकाव के कारण खराब हुआ था।

प्लास्टिक के भाण्डागार

1644. **श्री मि० सू० मूर्ती :**
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक के भाण्डागार में गेहूं का संग्रह करने का प्रयोग दिल्ली में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या इस भाण्डागार में प्रयोग के रूपमें धान, ज्वार, आदि का संग्रह करने का कोई विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) लगभग एक वर्ष हुआ जब यह प्रयोगात्मक संचयन आरम्भ किया गया था और अब तक गेहूं की हालत बहुत अच्छी बनी हुई है।

(ग) गेहूं के संचयन से प्राप्त परिणामों से धान और ज्वार की संचयन स्थितियों के बारे में निर्णय किया जा सकता है और इसलिये इन वस्तुओं के लिये कोई अलग से प्रयोग करने अनिवार्य नहीं हैं।

खाद्यान्न रखने के वैज्ञानिक तरीकों का प्रदर्शन

1645. **श्री मि० सू० मूर्ती :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों के संग्रह तथा परिरक्षण सम्बन्धी वैज्ञानिक तरीकों का प्रदर्शन दिल्ली के व्यापारियों के समक्ष किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हां । सितंबर, 1964 और मार्च, 1965 में दिल्ली के व्यापारियों के समक्ष खाद्यान्नों के संग्रह तथा परिरक्षण सम्बन्धी तरीकों के प्रदर्शन किये गये थे ;

(ख) दिल्ली तथा अन्य राज्यों की 14 मण्डियों में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि जिन स्थितियों में व्यापारी अनाज संग्रह करते हैं वे कीड़े तथा नमी से होने वाली हानियों के अनुकूल हैं। कीट नियंत्रण और उनके साधनों की महत्ता तथा अनाज को नमी से बचाने के लिये नमी निरोधक अस्तर के प्रयोग के बारे में भी व्यापारी अनभिज्ञ पाये गये ।

सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर प्रत्येक राज्य की कुछ मण्डियों में संग्रह की वैज्ञानिक विधियों का प्रदर्शन करने के लिये एक योजना तैयार की गयी है । उनमें से दिल्ली भी एक मण्डी है । अनाज संग्रह की वज्ञानिक विधियों का बड़े पैमाने पर विज्ञापनपत्र, प्रशिक्षण, लेक्चर और दूसरे प्रसार साधनों द्वारा प्रचार करने का विचार भी है ।

आदिवासी किसान परिवार

1646. श्री ह० च० सोय : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में पश्चिम निमाड़ में तथा पीछले कुछ महीनों में उड़ीसा के मयुरभंज जिले में अनेक आदिवासी किसान परिवारों को लूटा गया, उन के मकानों को आग लगाई गई है । उन्हें आमानुषिक शारीरिक यातनाएं दी गई हैं तथा उन्हें घरबार से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें भूखे मरने की हालत में छोड़ दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ आदिवासी जो मध्य प्रदेश में रक्षित वनभूमि तथा उड़ीसा के मयुरभंज जिले के रक्षित वन और नेशनल पार्क क्षेत्र में घुस आये थे, अब निकाल दिये गये हैं । लूटने, आग लगाने तथा शारीरिक यातनाओं के सम्बन्ध में हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आदिवासी परिवार

1647. श्री ह० च० सोय : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों में भारत सरकार की परियोजनाओं, अर्थात् दामोदर घाटी, रांची, दुर्गापुर, भिलाई तथा बैलाडिला औद्योकिक परियोजाना, के निमित्त जगह देने के लिये आदिवासी परिवारों को अपने घर तथा खेत छोड़ने पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन के पुनर्वास के लिये क्या कार्यावाही की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर इस्पात परियोजना और भारी इंजीनियरिंग निगम जैसी सरकारी उपक्रमों में कुछ आदिवासी परिवार विस्थापित हुए हैं । भिलाई और बैलाडिला परियोजनाओं में कोई आदिवासी जातियां विस्थापित नहीं हुई हैं ।

(ख) पुनर्वास के लिये किये गये उपायों में साधारणतया निम्नलिखित शामिल किये जाते है :

(1) नकद प्रतिकर देना ;

(2) भूमि के लिये व्यवस्था और अर्जित भूमि के स्थान पर आसपास के क्षेत्रों में घर बनाने के लिये भूमि देना और जहां सम्भव हो नकद प्रतिकर देना ;

(3) उनके लिये नगर बसाना, जिसमें पीने के पानी, सड़कों, स्कूलों, औषधालयों आदि की व्यवस्था हो ;

(4) परियोजनाओं में उनको रोजगार देने में प्राथमिकता देना; और

(5) परियोजनाओं के आसपास उनको दुकानें देना ।

बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजपथ पर दुर्घटनायें

1648. **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री जेधे :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-आगरा सड़क पर बहुत दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये दुर्घटनायें सड़क के तंग तथा खराब होने के कारण हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सड़क को चौड़ा करने तथा उसे अच्छी दशा में बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पौधों के रोगों के कारण फसलों की हानि

1649. **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री जेधे :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र तथा मद्रास राज्यों में 1964-65 में कई फसलों, जैसे कपास पान तथा अन्य फसलों को पौधों के रोगों के कारण हानि पहुंची;

(ख) क्या यह भी सच है कि पर्याप्त अनुसन्धान तथा कीटनाशक दवाईयों की कमी के कारण सरकार इन फसलों को पौधों के रोगों से नहीं बचा सकी है; और

(ग) इन फसलों को पौधे के रोगों से बचाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लगभग समस्त फसलों को जिनमें कपास तथा पान के पत्ते शामिल हैं सारे देश में जिसमें महाराष्ट्र तथा मद्रास राज्यों की फसलें भी हैं नाशकारी कीटों तथा पौध रोगों द्वारा हानि होती है । 1964-65 के दौरान महाराष्ट्र और मद्रास राज्यों में कपास तथा पान के पत्तों पर नाशकारी कीटों तथा रोगों का संकट लगभग सामान्य था और पोकिटस को कोई भारी छूत का रोग नहीं हुआ ।

(ख) भारत सरकार और राज्य सरकारों ने बड़ी संख्या में अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना की है जहां नाशकारी कीटों और फसलों के रोगों पर नियंत्रण सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाता है । बहुत से नाशकारी कीटों तथा रोगों पर नियंत्रण पाने के लिये इलाज ढूंढ लिए गये हैं और दूसरों के सम्बन्ध में निरन्तर अनुसन्धान कार्य शुरु कर दिया गया है । मद्रास, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजराथ, उत्तर

प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में पान की बैलों में व्याधिविद्या-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने पहली अप्रैल, 1963 से इस फसल के रोगों पर और उनके नियन्त्रण पर जाँच करने के लिए एक व्यापक समन्वित योजना शुरु की ।

देश में पौध रक्षा कार्य के बढ़ने के कारण आयातित तथा स्थानीय निर्मित कीटनाशक औषधिय बढ़ती हुई मांग को पुरा नहीं कर पाती है । देशीय स्रोतों तथा विदेशों से सप्लाई प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । मित्र देशों से मुफत् विदेशी मुद्रा निर्धारण, विनिमय प्रबन्धों तथा ऋणों के अन्तर्गत कीटनाशक औषधियां आयात की जाती हैं। कीटनाशक औषधियों के निर्माण हेतु अतिरिक्त प्लान्ट्स स्थापित करने के लिये योजनाएं बनाई गई हैं और उनकी क्रियान्विति के लिये तेजी से प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ग) नाशकारी कीटों तथा रोगों को नियंत्रित करने के कार्य को बढ़ाने के लिये केन्द्र तथा राज्यों में पौध रक्षा संगठनों को और दृढ़ किया जा रहा है । देश में देशीय साधनों से कीटनाशक औषधियों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । 1968-69 के लिए उत्पादन लक्ष्य 83,000 टन है जब कि वर्तमान उत्पादन 16,000 टन है ।

राजस्थान में नलकूप

1650. श्री कर्णी सिंहजी :
श्री तन सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 तथा 1964-65 में राजस्थान में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कितने नलकूप लगाये गये तथा उन में से कितने नलकुपों से आवश्यक मात्रा में इतना पानी मिला कि उनको चलाने में हानि नहीं हुई;

(ख) क्या नलकूपों को लगाने का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि तैयारी न होने के कारण पानी लघु सिंचाई के लिये प्रयोग में नहीं लाया जा सका ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : समन्वेषी नलकूप संस्था ने 1963-64 में अपने भूमिगत पानी के समन्वेषी कार्यक्रम के अधीन राजस्थान के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में 16 समन्वेषी बोर किये गये जिन में से 1 बोर 10,200 इम्पीरियल गैलन का 14 फुट चौड़े पानी का निकास देता है, यह बोर चुरु ज़िले में सरदार शहर में किया गया । दूसरा बोर एकवीफर की अनउपलब्धता, थोड़ा निकास या पानी की अनुपयुक्तता के कारण छोड़ देना पड़ा ।

राज्य सरकार की प्रार्थना पर समन्वेषी नलकूप संस्था ने 1964-65 में राजस्थान के कमी वाले क्षेत्रों में अकाल सहायता के रुप में 250 नलकूप लगाने का काम लिया । पहले यह 250 नलकूपों का निर्माण मार्च 1965 तक पूरी करनी निर्धारित था ।

इस निर्धारण अनुसार भूमिगत पानी के न उपलब्ध होने के कारण तथा अन्य चालूकरण इत्यादि अन्य कठिनाईयों के कारण, काम नहीं हो सका । फिर भी 1964-65 में 85 बोर खोदे गये जिन में से 58 कामयाब थे । 31-7-65 तक 25 और कामयाब बोर पूरे किये गये हैं ।

इन नलकूपों से उपलब्ध पानी, जानवारों के पीने के लिये तथा चारा उगाने के लिये तथा अन्य कृषि उद्योगों और घरेलू ज़रुरतों के लिये प्रयोग किया जायेगा। इन कूपों का पानी के उपयोगका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है जोकि इन नलकूपों को चलाने के लिये पम्पिग सेंट इत्यादि का प्रबंध कर रही हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कर्मचारियों की छटनी

1651. **श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्मा रेडी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके विभाग में कुछ पद फालतू होने के कारण कुछ कर्मचारियों को छंटनी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) छंटनी का कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) वे लोग कब से नौकरी में हैं; और

(घ) उनके फालतू होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) : यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या कृषि विभाग के अधीन पण्य समितियों के अनुसन्धान कार्यकलापों के पुनर्गठन होने के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया जायेगा । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या कोई छंटनी होगी अथवा नहीं ।

स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों पर अधिभार

1652. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र सरकार ने स्वेज नहर में से गुजरने वाले जहाजों पर अलैग्जंडरिया बन्दरगाह में 25 प्रतिशत अधिभार बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां तो इसका भारतीय जहाजरानी पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) से (ग) : सिकन्दरिया बन्दरगाह में अधिभार बढ़ाये जाने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । फिर भी संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार द्वारा स्वेज नहर पथ-कर एक प्रतिशत बढ़ा दिया गया है । यह 30 जून, 1965 की मध्यरात्रि से नहर इस्तेमाल करने वाले सब जहाजों के लिये है । इस वृद्धि का वित्तीय प्रभाव तीन मुख्य भारतीय नौचालन कम्पनियों यथा, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कं० लिमिटेड, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और इंडिया स्टीम शिप कम्पनी लिमिटेड (जिनके जहाज नियमित रुप में स्वेज नहर व्यवहार करते हैं) पर लगभग 95,000 रुपया वार्षिक पड़ेगा ।

पर्यटन का विकास

1653. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पर्यटन महत्व के कौन से स्थान चुने गये हैं;

(ख) उन स्थानों के समेकित विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उन पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) से (ग) : भारत में पर्यटन विकास के लिये तौर तरीका तथा साधनों पर सुझाव देने के लिए श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में मार्च सन् 1963 में भारत सरकार द्वारा जो तदर्थ समिति नियुक्त की गई थी उसने कुछ अन्य बातों के साथ साथ निम्नांकित पर्यटन केन्द्रों के विकास की शिफारिस की है :—

आगरा, जयपुर, वाराणसी, श्रीनगर, मदुराई, हैदराबाद, मैसुर, चण्डीगढ़, अहमदाबाद, दार्जिलिंग, कोचीन, भुवनेश्वर, काजीरंगा, कौरबेटराष्ट्रीय उद्यान, फतेहपुर सीकरी, बुद्ध गया, नालन्दा, राजगिर, पुरी, कोनारक, पहलगाम, गुलमर्ग, भाकड़ा (गोविन्द सागर), मनाली, उदयपुर, सांची, माण्डू, खूजराहो, इल्लोरा, अजंता, गोवा (क्लानगुट बीच), हालेविड-बैलूर, महा-बलीपुरम्, कोवालम बीच, झील परयार।

कुछ चुने हुए क्षेत्रों केन्द्रों के समैकित विकास के लिये एक बड़ी योजना बनाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है जिसमें एक टाउन कंट्री प्लैनर, आर्थिक प्लैनर, सीनियर आर्चिटैक्ट और पर्यटक आधिकारी शामिल हैं, अब तक उक्त कार्यकारी दल ने कोवालम, गोवा, अजन्ता, इल्लौरा, खूजराहो, आगरा, गुलमर्ग, मरवन्थी, विसाखापटनम और कोनारक की यात्रा की है। इन केन्द्रों के समैकित विकास करने के बारे में उनकी रिपोर्ट पूर्ण होने के विभिन्न क्रमों में है। जो रिपोर्ट पूरी हो गई है उनकी प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में रख दी गई है। जिन पर्यटक केन्द्रों के विकास के काम को कार्यान्वित करने के लिये तदर्थ समिति द्वारा सिफारिशें की गई हैं उनकी योजनाओं को योजना आयोग को प्रस्तुत की गयी। पर्यटन के विकास की पुनरीक्षित चौथी पंचवर्षीय आयोजना में भी शामिल किया गया है। अभी तक कुछ भी व्यय नहीं किया गया है।

खादी के ऊनी कपड़े का उत्पादन

1655. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये खादी के ऊनी कपड़े के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कपड़े को इतना सस्ता बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि साधारण नागरिक इसे खरीद सकें ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां।

(ख) नए प्रकार की ऊन का प्रयोग किया जा रहा है और उत्पादन बढ़ाने के लिये नए करघे भी प्रयोग में लायें जा रहे हैं। खादी के ऊनी कपड़ों के उत्पादन के लिये केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जब कि इन उपायों से उत्पादन परिव्यय में कमी हो जायेगी, खादी के ऊनी कपड़े पर 10 पैसे प्रति रुपया की रियायत दी जाती है। खादी भण्डार और एम्पोरिया खुदरा विक्रय पर विशेष अवसरों पर, वर्ष में तीस दिन तक 5 पैसे प्रति रुपये की अतिरिक्त रियायत देते हैं।

मोटर गाड़ियों पर करारोपण

1656. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच करने के लिये कि मोटरगाड़ियों पर लगे हुये वर्तमान करों के कारण सड़क परिवहन की प्रगति में बाधा पड़ती है, डा० बी० वी० केसकर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जांच आयोग नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने डा० बी० वी० केसकर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जांच समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। यह मोटर गाड़ी कराधान की समस्याओं का विस्तृत परीक्षण करेगी और कराधान का स्तर, जो देश में सुदक्ष और आर्थिक सड़क परिवहन सेवाओं के विकास और पर्याप्त व्यवस्था का सुनिश्चयन करेगी तथा किन सिधान्तो पर ऐसा कराधान आधारित हो इसकी सिफ़ारिश करेगी। इस समिति के ये कार्य होगें :—

(क) सड़क परिवहन द्वारा सवारी और माल के भाड़े के चालन की आधुनिक लागत का परीक्षण करना। इसमें राज्य और केन्द्रीय कर का अंश भी शामिल होगा। और क्या सड़क परिवहन के स्वस्थ विकास के लिये यह उत्प्रेरक नहीं रहा है ; और यदि ऐसा है तो किस सीमा तक।

(ख) इसका परीक्षण करना कि क्या चालन के क्षेत्र और व्यवहृत ईंधन के प्रकार (पैट्रोल या डीज़ल) के संदर्भ में मोटर गाड़ी करों की दरों की सहसंबंध उचित है ?

(ग) राज्यों में मोटर गाड़ियों पर करों, टोल इत्यादि के जमा करने, लगाने इत्यादि से सम्बंधित कार्यविधि और मौजूदा प्रशासनिक तंत्र का सर्वेक्षण करना और इस बातका परीक्षण करना कि क्या वे गाड़ियों के ठीक चालन में रुकावट पैदा करते है।

(घ) उन सिधान्तों की सिफ़ारिश करना जिन पर मोटर गाड़ी कराधान आधारित हो और देश में कराधान के स्तर के सुनिश्चयन के लिये सुदक्ष और आर्थिक सड़क परिवहन सेवा के विकास और पर्याप्त व्यवस्था करना।

(ङ) की गई सिफ़ारिशों को कार्यरुप देने के लिये नियम और कार्यविधि में किसी परिवर्तन का सुझाव करना।

(च) जांच पड़ताल के विषय से सम्बंधित अन्य सिआरिशें करना।

भारत राजपत्र में अलग से समिति की नियुक्ति का संस्ताव प्रकाशित किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा

1658. श्रीमति रामदुलारी सिन्हा : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 20 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 939 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा संबंधी अध्ययन दल की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा पर अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया है। सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के वार्षिक सम्मेलन में भी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और श्रीनगर में हाल ही में हुए सामुदायिक विकास और पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है।

जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है उनको सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या 4776/65।]**

दिल्ली में रिंग रोड़ पर बिजली की व्यवस्था

1659. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रिंग रोड पर बिजली लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली लगाने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी हां।

(ख) रिंग रोड तीन अधिकारियों के अधिकार में पड़ती है--दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका समिति, और दिल्ली कन्टून-मैंट बोर्ड। दिल्ली नगरपालिका निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले सड़क के हिस्सों में रोशनी करने के लिये परिवहन मंत्रालय कानूनी तौर से जिम्मेवार है। रोशनी करने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा तकमीने तैयार किये जा रहे हैं। जैसे ही वे स्वीकृत हो जायेंगे काम हाथ में ले लिया जायेगा। इसके शुरू करने की तारीख से लगभग एक साल में पूरा हो जाने की उम्मीद है। कन्टूनमेंट बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली सड़कों पर रोशनी करनी है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा भैंस के दूध की सप्लाई

1660. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने भैंस के उस दूध की सप्लाई बन्द कर दी है जिसमें पूरी क्रीम होती है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना उस दूध की सामान्य सप्लाय फिर से कब आरम्भ करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना ने भैंस के दूध की सप्लाई 9-6-65 से बन्द कर दी है और उसके स्थान पर मानकित दूध जिसमें 5 प्रतिशत चर्बी है शुरू कर दिया गया है।

(ख) भैंस के दूध की सप्लाई पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिण भारत में अकाल वाली स्थिती

1661. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में वर्षा न होने के कारण दक्षिण भारत के कुछ भागों में, विशेषकर भूतपूर्व मैसूर राज्य में, अकाल की स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्र ने विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी सहायता दी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1965-66 की खरीफ की फसल के भविष्य और खाद्य स्थिति पर उसके प्रभाव के सम्बन्ध में अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) राज्यों को उपलब्धि की मात्रा के अनुसार ही खाद्यान्नों की सप्लाई के रूप में सहायता दी जा रही है।

Cheap houses for the Harijans

1662. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether the Central Government or the Maharashtra Government have received any scheme under which a cheap house can be constructed on 225 sq. feet plot at a cost of Rs. 2,500; and

(b) whether this scheme will be utilised for constructing houses for Harijans, Adivasis and Backward classes ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) The Central Government have not received any scheme of this type nor are they aware of any such scheme having been received by the Government of Maharashtra.

(b) Does not arise.

एन० पी० 852 गेहूं

1663. श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूसा वनस्पति उप-केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में तैयार की गई गेहूं की नई किस्म एन० पी०–852 का उपयोग धान के खेतों में किया जा रहा है; और

(ख) गेहूं की इस किस्म के लिये कौन से क्षेत्र सबसे अधिक उपयुक्त होंगे तथा किसान को इससे क्या लाभ होंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) एन० पी०–852 किस्म समस्त बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में उगाई जा सकती है। धान के पश्चात् कृषकों को पछेती बुवाई की परिस्थितियों में 2 टन प्रति हैक्टेअर और साधारण परिस्थितियों में 4 टन प्रति हैक्टेअर उपज प्राप्त हो सकती है।

मैसूर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

1664. श्री शिवमूर्ती स्वामी : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी लेखापरीक्षक पिछले छः वर्षों से मैसूर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के गबन होने का पता लगा है; और

(ग) निधि का दुरुपयोग करने के लिये कौन कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, वर्ष 1963-64 तक।

(ख) वर्ष 1962–63 तक 3,21,288 रुपये। शेष अवधि के बारे में स्थिति अभी बताई नहीं गई।

(ग) राज्य बोर्ड एक संविहित निकाय है जो विधान मण्डल के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है और गबन के मामलों में राज्य बोर्ड ही कार्यवाही कर सकता है। जहां कहां भी गबन का शक है, जांच पड़ताल की जा रही है। राज्य बोर्ड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस के पास पहले ही शिकायत कर दी है। कुछ अन्य मामलों में जांच के पूरे होने तक कुछ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। राज्य सरकार और राज्य बोर्ड प्रत्येक मास स्थिति का पुनर्वलोकन करते है।

तुंगभद्रा घाटी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र

1665. श्री शिवमूर्ती स्वामी : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा घाटी में एक ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : चौथी योजना में बुदनी (मध्य प्रदेश) और हिसार (पंजाब) के मौजूदा केन्द्रों की पद्धति के आधार पर एक तीसरा ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। किन्तु किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा इस विषय में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

भेड़ों की नस्ल सुधारना

1666. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मैरीन' तथा 'रैनवो लियर' मेंढ़ों के प्रयोग से कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा देश की भेड़ों की नस्ल सुधारने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किन केन्द्रों में आरम्भ किया जायेगा तथा प्रत्येक केन्द्र में प्रति वर्ष इस प्रकार कितनी भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान कराने का विचार है; और

(ग) क्या युवक पशु चिकित्सकों को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ भेजने का सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : प्रारम्भ में विदेशी मेंढ़ों के प्रयोग से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा अपनी भेढ़ों की नस्ल सुधारने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिये आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तथा मैसूर राज्यों के एक एक अधिकारियों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ भेजा गया है। केन्द्रीय भेढ़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्थान में भी ऐसा अनुसन्धान कार्य शुरू किया जायेगा।

National Park at Agra

1667. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme to construct a National Park at Agra;

(b) if so, the amount to be spent thereon ;

(c) whether such Parks would also be constructed at other places of tourists' interest ; and

(d) if so, the heads under which this amount would be spent ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (d) . The Government of Uttar Pradesh with the assistance of the Town & Country Planning Organization of the Union Ministry of Health have prepared a Master Plan for Agra. Agra being one of the most popular tourist centres the Ministry of Transport considered it essential to collaborate with the State Government and Town and Country Planning Organization in finalisation of such a Master Plan

so that the touristic aspect of Agra is given due importance. To this end the Working Group constituted by the Department of Tourism visited Agra and had discussions with the concerned officers. The main features of the Master Plan insofar as it relates to promotion of tourism are :—

(i) Proper approach road to Agra and within Agra to Taj, Fort and Itmad-ud-daula.

(ii) Proper approach road from Airport to the town and to Fatehpur Sikri.

(iii) Preservation of the areas around the Taj and the Fort, in the form of a national park of approximately 800 acres. This will include an amusement park, a museum, an open air theatre, boating club, botanical and zoological gardens (within the Taj National Park). Construction of a weir is also proposed on Jamuna to provide a full reflection of the Taj on all times of the year.

(iv) Allocation of suitable sites on the periphery of the park for hotels, restaurants, parking space and shopping arcades etc.

The cost of laying out of the Taj National Park with its ancilliary facilities is estimated at Rs. 3 crores. The cost of the other items of the touristic interest included in the Master Plan is being worked out. The distribution of financial responsibility for the implementation of the Plan is under discussion with the State Government. In the meantime the Tourist Department have proposed a provision of Rs. 1 crores towards this scheme under the Fourth Five Year Plan.

No other proposal for similar parks is under the consideration of the Department of Tourism at present. However, the Department is preparing plans for the integrated development of certain tourist areas/centres. Under this programme if it becomes necessary to lay out similar parks for preservation and beautification, such schemes would be taken up by the Department.

Export of Sugar

1668. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to export maximum quantity of sugar due to the shortage of foreign exchange;

(b) if so, the quantity of sugar proposed to be exported as compared to the quantity exported earlier, the names of the countries and the quantity in respect of each country; and

(c) the foreign exchange likely to be earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes Sir; it is proposed to step up sugar exports during 1965.

(b) Quantities to be exported during 1965 against the commitments entered into so far and the actual exports during 1964 are given below :—

	(Lakh Tonnes)	
	1965	1964
U.S.A.	0·87	0·99
U.K.	0·76	0·11
Canada	0·53	..
Malaysia	0·36	0·15
Italy	..	0·19
Japan	..	0·61
South Vietnam	..	0·19
Others	0·10	0·10
TOTAL .	2·62	2·34

Sales for export of additional quantities during 1965 are being considered.

(c) About 10·7 crores on export of 2·62 lakh tonnes.

दूध उत्पादन पर संगीत का प्रभाव

1669. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि तिरूपति मन्दिर की डेरी के दुधारु पशु रेडियो से संगीत सुन कर अधिक दूध देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोग को समस्त भारत में आरम्भ करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

Intensive Cultivation

1670. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to increase the production of foodgrains, Government have formulated a programme under which intensive agriculture is to be carried on in an area of 4·14 crores acres of land ;

(b) if so, the broad details of the scheme ; and

(c) the expenditure involved therein ?

The Deputy Minister of Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT. 4777/65.]**

दिल्ली में दूध का उत्पादन बढाने के लिये "क्रैश प्रोग्राम"

1671. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पशुओं के दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए "क्रैश प्रोग्राम" विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) इससे राजधानी की दूध की मांग कहां तक पूरी हो जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) : दिल्ली में एक सघन पशु विकाश खण्ड की स्थापना करने की योजना को नवम्बर, 1964 में क्रियान्विति के लिए स्वीकार किया गया है। प्रस्ताव था कि प्रजनन योग्य एक लाख गाय भैंसों के इस खण्ड को दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध शैडों में शुरू किया जाये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नियन्त्रित प्रजनन, अच्छी खुराक, कारगर ढंग से रोग नियन्त्रण, अच्छे प्रबन्ध तथा अच्छी विपणन सुविधायें तथा ग्रामीण डेरी विस्तार कार्य शामिल हैं। दिल्ली प्रशासन ने धन अभाव के कारण इस योजना को शुरू न किया था। अब उसने 1965-66 में इसे शुरू करना स्वीकार कर लिया है। दिल्ली प्रशासन से इस योजना के पुनः प्रचलन के विषय में प्रार्थना आनी है। योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य है।

चीनी का कोटा

1672. **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री जेधे :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति प्रति मास कितनी चीनी दी जाती है और चालू वर्ष के गत छः महीनों में प्रत्येक राज्य को कितनी चीनी दी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में प्रति व्यक्ति प्रति मास केवल 250 ग्राम चीनी मिलती है और यदि हां, तो कहां तथा क्यों; और

(ग) देश भर में कम से कम प्रति व्यक्ति प्रति मास समान रूप से एक किलोग्राम चीनी देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालयमें रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4778/65 ।]**

(ख) हां, मुख्यतः स्थानीय आदतों के कारण आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में।

(ग) देश में चीनी की औसत, खपत कभी भी एक किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास नहीं रही है और नही निकट भविष्य में सीमित उत्पादन के कारण यह सुनिश्चित करना सम्भव है।

Agricultural Development in Kerala with Swiss Assistance

1673. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Food & Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Switzerland have given Financial assistance for the agricultural development in the State of Kerala; and

(b) if so, the amount of assistance given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) Swiss Government provided 1·218 million Swiss Francs, equivalent to Rs. 13·52 lakhs for the first stage of the Project. This assistance covers the salary, etc., of the Swiss technicians and cost of equipment and exotic animals used in the Project. The Swiss Government propose to make available 2·13 million Swiss Francs equivalent to Rs. 23·47 lakhs for the second stage of the Project.

कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सहकारी क्षेत्र पर लागू किया जाना

1674. श्रीमति रामदुलारी सिन्हा : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी तथा खादी ग्रामोद्योग क्षेत्रों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू कर दी गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय सहकारी संघ अथवा विभिन्न राज्यों के सहकारी संघों द्वारा विभिन्न राज्यों में नियुक्त किये गये सहकार प्रशिक्षकों को उक्त योजना के लाभ प्राप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, बशर्ते कि इन क्षेत्रों में संस्थापन उस श्रेणी में आते हैं जिनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू कर दिया गया है और यह योजना भी लागू कर दी गई है। तथापि, निम्नलिखित मामलों में इसे लागू नहीं किया गया है :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 16(1)(ए) के अन्तर्गत यह अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जो सहकारी संस्था अधिनियम, 1912 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई हैं अथवा सहकारी संस्थाओं के बारे में किसी ऐसे कानून के अन्तर्गत स्थापित की गई हैं जो राज्य में प्रवर्तन में है, और जिसमें 50 से कम व्यक्ति काम करते है और जो बिना बिजली के चलती है।

(2) हथकरघे कारखाने, जो औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित किये गये हैं, उन पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू नहीं होता है।

(ख) जी नहीं। क्यों कि यह यूनियनें किसी ऐसे उद्योग में नहीं लगी हुई हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आता हो, अत: इन यूनियनों द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों को इस अधिनियम के लाभ प्राप्त नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सभापति

1675. श्रीमति रामदुलारी सिन्हा : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) विभिन्न राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सभापतियों के नाम तथा उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं;

(ख) प्रत्येक को क्या सुविधाएं आदि दी जाती हैं; और

(ग) चालू वर्ष के बजट में प्रत्येक राज्य में 'सिब्बन्दी' शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : एक विवरण, जिसमें राज्य समाज कल्याण बोर्डों के अध्यक्षों के नाम, उनकी योग्यताएं जहां वे प्राप्त हैं, तथा अन्य अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4779/65।]** शेष राज्य बोर्डों के अध्यक्षों की योग्यताओं के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मजदूरों को ठेका तथा भवन निर्माण सहकारी समितियां

1676. श्रीमति रामदुलारी सिन्हा : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को मंत्रणा दी गई है कि प्रत्येक राज्य में कुछ प्रतिशत ठेके के काम मजदूरों तथा भवन निर्माण सहकारी समितियों के लिए नियत किये जायें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राज्य सरकारों की मंत्रणा दी गई है कि सभी अकुशल कार्य तथा 50,000 रुपए तक के कुशल कार्य श्रमिक ठेका तथा निर्माण सहकारी समितियों को दें।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"अधिक अन्न उपजाओं" प्रतियोगिता

1677. श्री राजदेव सिंह : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिक अनाज पैदा करने के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं में किसान अपनी अधिक उपज दिखाने के लिए विभिन्न चालें चलते हैं;

(ख) क्या औसत उपज का हिसाब लगाते समय किसान की कुल भूमि को ध्यान में रखा जाता है अथवा उसका थोड़ा भाग; और

(ग) क्या अच्छे ढंग की प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां। फसल प्रतियोगिता का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों को पता है कि अधिक उत्पादन दिखलाने के लिये धोके देही के कौन से तरीके अपनाये जाते हैं और वे इन तरीकों को रोकने के लिये उचित कदम भी उठाते हैं। योजना के अन्तर्गत विश्वसनीय उपज प्राप्त करने के लिये फसल प्रतियोगिता के खेतों में कटाई के विषय में एक विस्तृत विधि तयार की गई है। अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता सम्बन्धी कटाई के कार्य की

देख-रेख के लिये समिति में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकारें ग्राम, खण्ड, ज़िला तथा राज्य के स्तर पर फसल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं और प्रतियोगिता सम्बन्धी खेतों की कटाई के पर्यवेक्षण के लिये समस्त स्तरों पर पृथक समितियों का गठन किया जाता है।

(ख) योजना में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कम से कम कितनी भूमि वाला प्रतियोगी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। मैदानों क्षेत्रों के लिय समस्त फसलों के लिये यह सीमा एक एकड़ और धान व आलू के लिये 1/4 एकड़ निर्धारित की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों के प्रतियोगियों के लिये ये सिमायें मैदानी क्षेत्रों की तुलना में आधी हैं।

(ग) जी नहीं। फसल प्रतियोगिता की योजना सन्तोषजनक रूप से चल रही है।

सोवियत संघसे जहाज की खरीद

1678. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से कुछ व्यापारिक जहाज खरीदने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : फिलहाल रूस से व्यापारी जहाज खरीदने के लिये सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में दाहेज पत्तन

1679. **श्री छोटु भाई पटेल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य की दाहेज पत्तन का सब मौसमों में जहाजों को सीधे घाट पर लेने वाले पत्तन के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख): बड़े पत्तनों को छोड़कर अन्य पत्तन संविधान की संवर्ती सूची में है। उनके विकास का कार्यकारी दायित्व संबद्ध राज्य सरकारों का है। फिर भी भारत सरकार कुछ स्कीमों के विकास के लिये राज्य सरकारों का ऋण की शकल में वित्तीय सहायता और तकनीकी सलाह की व्यवस्था करती है।

गुजरात सरकार ने चौथी योजना काल में दाहेज को बारहमासी पत्तन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इसकी लागत 76.36 लाख रुपया प्राक्कलित की जाती है। फिलहाल छोटे पत्तनों से संबंधित चौथी योजना की स्कीमें परीक्षणाधीन है।

वर्कशाप कर्मचारियों के वेतन

1680. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के वर्कशाप कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने और विविध संवर्गों के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में तकनीकी अधिकारियों की समिति ने दो वर्ष पूर्व अपना प्रतिवेदन दे दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों को, विभाग द्वारा नियत किया गया तदर्थ वेतन ही मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय कर लिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) से (ग) : नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा विभागीय अधिकारियों की एक समिति वर्कशाप कर्मचारियों के वेतनमानों का अध्ययन करने और उन पर विचार करने के लिए और उनके कर्त्तव्यों और उनकी जिम्मेदारियों और दूसरे विभागों में उसी प्रकार के पदों के वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश करने के लिए कि क्या उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण करना आवश्यक है, अप्रैल, 1963 में नियुक्त की गयी थी।

सरकार को समिति की रिपोर्ट सितम्बर, 1964 में मिली। इसकी सिफारिशों की जांच की जा चुकी है। चूंकि समिति द्वारा सिफारिश किये गये स्टैण्डर्ड वेतनमानों से अलग हैं, और जिस आधार पर समिति ने विभिन्न पदों का मूल्यांकन किया है और इन विशेष वेतनमानों की सिफारिश की है उसका भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इसलिये ये सिफारिशें वेतनमानों के पुनरीक्षण पर आगे विचार करने के लिए लाभदायक आधार नहीं बनतीं और वेतनमानों का पुनरीक्षण पर विचार अब योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है।

इस बीच, वर्कशाप के कर्मचारियों को वही वेतन मिलता है जो कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनके लिए नियत किया गया था।

असैनिक उड्डयन विभाग के स्टारों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनक्रम

1681. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक उड्डयन के स्टोरों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनक्रमों के सम्बन्ध में विभागीय समिति की सिफारिशें मान ली हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या एम० टी० ड्राइवरों के वेतनक्रम, जिनकी दूसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की है, असैनिक उड्डयन विभाग के ड्राइवरों पर लागू नहीं किये गये हैं, हालांकि स्टाफ कार ड्राइवरों के वेतन क्रम में संशोधन किया जा चुका है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : समिति की मुख्य सिफारिशें यह हैं :

(1) स्टोरों में काम करने वालों के वेतन क्रम को 130—300 रू० से 168—340 रु० बनाना।

(2) सिलेक्शन ग्रेड की संख्या को 11 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करना।

(3) केन्द्रीय रेडियो स्टोर डिपो में स्टोर प्रेषण में काम करने वाले सहायक प्रविधिक अधिकारियों के पद को बदल कर स्टोर आफीसर बनाना और स्टोर सहायकों की पदोन्नति करके इन पदों के लिये भर्ती करना।

सरकार ने पहली और दूसरी सिफारिश को पहले ही स्वीकार कर लिया है। स्टोरों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनक्रमों में संशोधन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ग) दूसरे वेतन आयोग हल्की गाड़ियों के ड्राइवरों के लिये 110—139 रु० के वेतनमान और भारी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिये 110—180 रु० के वेतन मान की सिफारिश की थी। असैनिक उड्डयन विभाग में एम० टी० ड्राइवरों के पदों को पृथक करना सम्भव नहीं था क्योंकि एम० टी० गाड़ियों में हल्की और भारी गाड़ियां दोनों हैं। अतः यह निर्णय किया गया है कि इस श्रेणी के पदों के 25 प्रतिशत पदों के लिये 139—180 रुपये के वेतनक्रम में एक सिलेक्शन ग्रेड बनाया जाये। इसके अलावा, एम० टी० ड्राइवरों के 149 पदों को आग बुझाने वाले पदों के साथ मिला दिया गया है और उनको ड्राइवर (फायर) कहा जाता है और उनका वेतन क्रम 110—180 रु० है।

नमक ले जाने के लिये नौवहन सुविधायें

1682. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सौराष्ट्र के पश्चिम तट के नमक निर्माताओं को भारत के पूर्वी भागों में नमक भेजने के लिये जहाज की सुविधायें नहीं मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) सौराष्ट्र पत्तनों से कलकत्ता को नमक की पर्याप्त मात्रा समुद्र द्वारा भेजी जा रही है। उदाहरण के लिये 1965 के पहले आठ महीनों में समुद्र द्वारा लगभग 1 लाख टन नमक भेजा गया। मौजूदा कष्ट का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सामान्यतया कलकत्ता से सौराष्ट्र को कोयला लाने वाले जहाज उसे वापसी माल के रूप में ले जाते है मगर सौराष्ट्र को कोयले के लाये जाने में पर्याप्त कमी हो गई है जिसके परिणामतः सौराष्ट्र पत्तनों पर बहुत कम कोयलावाही जहाज आते हैं।

(ख) स्थिति के सुधारने के लिये सरकार ने निम्न कार्यवाहियों की है :--

(1) सौराष्ट्र या बंबई को कोयला लाने वाले सब जहाजों को सरकारी आज्ञानुसार कलकत्ते को नमक लाद कर ले जाना पड़ता है।

(2) तूतीकोरिन या कोचिन को कोयला या अन्य माल ले जाने वाले वे जहाज जो इन पत्तनों से सौराष्ट्र के पत्तनों को कलकत्ते के लिये नमक ले जाने को तैयार होते हैं उन्हें दूसरी कोयले की सामुद्रिक यात्रा में मद्रास या तूतीकोरिन के लिये कोयले का माल दिया जाता है। चूंकि कोयला ले जाने के लिये जहाज के मालिक अन्य पत्तनों की अपेक्षा मद्रास और तूतीकोरिन को तरजीह देते हैं इसलिये इन पत्तनों के लिये कोयले का अलाटमेंट, सौराष्ट्र से नमक ले जाने के लिये प्रलोभन का कार्य करता है।

(3) सरकार एक नमक पोतवणिक द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें नमक और सीमेंट के ले जाने के लिये दो जहाजों की प्राप्ति का प्रस्ताव है।

असैनिक उड्डयन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक पद

1683. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान गठन सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि इस समय असैनिक उड्डयन महानिदेशालय नई दिल्ली के अधीन चलने वाली दो प्रयोगशालाओं में निचले स्तर पर जितने वज्ञानिक पद बढ़ाये जाना सम्भव है, बढ़ाये जायें;

(ख) क्या इस सिफारिश पर विचार करके इसे स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, इसे कार्य रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) से (ग) : अनुसंधान और विकास निदेशालय तथा असैनिक उड्डयन विभाग के रेडियो निर्माण और विकास यूनिट की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान गठन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट सरकार को पिछले महीने मिली थी।

रिपोर्ट की जांच हो रही है। क्योंकि इसमें जो सिफारिशें की गई हैं उनका प्रभाव बहुत दूर तक होगा। इस लिये कोई निर्णय करने से पहले अन्य मंत्रालय के परामर्श से इनका सावधानी से विचार करना होगा।

मछली पकड़ने वाली नाव "कल्याणी" का डूब जाना

1684. **श्री काजरोलकर :**
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री हुकुमचन्द कछवाय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूफानी मौसम में मछली पकड़ने वाली नाव "कल्याणी" को मछली पकड़ने के लिये भेजने के क्या कारण थे;

(ख) उसमें कितने व्यक्ति थे तथा उनमें से कितने जीवित बचे;

(ग) क्या वे सब निपुण तैराक थे तथा क्या नाव में कोई प्रशिक्षित टिंडल भी था; और

(घ) क्या व्यापारी बेड़ा विभाग विनियमों के अनुसार इस नाव को कार्य योग्य ठहराया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० दा० रा० चव्हाण) : (क) यह मत्स्य नौका बम्बई से मछली खोजने के लिये 15 जुलाई, 1965 को अपनी नेमी यात्रा पर गयी थी, तब मौसम तूफानी नहीं था।

(ख) इस एम०टी० कल्याणी नौका पर 14 व्यक्ति सवार थे और अभी तक केवल एक ही के जीवित बचने की सूचना मिली है।

(ग) इस नौका पर सवार सभी व्यक्ति तैरना जानते थे। नौका की कमान एक ऐसे अधिकारी के हाथ में थी जिसके पास फिशिंग स्किपर का प्रमाण-पत्र था। इस नौका की कमान के दूसरे अधिकारी के पास भी सैकण्डहेण्ड फिशिंग-प्रमाण पत्र था। ये दोनों प्रमाण-पत्र जल-परिवहन विभाग द्वारा दिये जाते हैं और ये टिंडल के प्रमाण-पत्रों से उच्च श्रेणी के होते हैं।

(घ) जल परिवहन विभाग ने इस नौका का पिछली बार निरीक्षण मार्च/अप्रैल, 1965 में किया था तब इस नौका की समुद्री यात्रा के योग्य बनाने के लिये मरम्मत की गयी थी।

बाढ़ के कारण अनाज की हानी

1685. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1960 से 1964 तक की अवधि में प्रत्येक राज्य में बाढ़ के कारण विभिन्न प्रकार के कितने अनाज की हानि हुई तथा उसका मूल्य क्या था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे इकट्ठा करने में बड़ा समय तथा परिश्रम लगेगा और परिणाम इतने अनुकूल न निकलेंगे।

राजधानी में दूध की सप्लाई

1686. **श्री जेधे** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून और जुलाई, 1965 की तुलना में दिल्ली/नई दिल्ली में दूध सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या सरकार का विचार लोगों को दूध के नये कार्ड देने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : जून से अगस्त, 1965 तक की अवधि में दिल्ली दुग्ध योजना की औसत दैनिक प्राप्ति निम्न प्रकार थी :—

मास	भैंस का दूध	गाय का दूध
जून, 1965 .	84,060 लिटर	3,696 लिटर
जुलाई, 1965 .	94,493 लिटर	6,292 लिटर
अगस्त, 1965 .	1,23,640 लिटर	6,144 लिटर

(ग) और (घ) : निश्चय किया गया है कि शीघ्र ही 10,000 लिटर दैनिक दूध के लिए नये कार्ड जारी किये जायेंगे।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय राजपथ का तेजपुर से आगे बढाया जाना

1687. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपत्र संख्या 37 को नेफा के विभिन्न भागों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) नेफा में अधिक सड़कें बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : जी नहीं। तेजपुर राष्ट्रीय मुख्य मार्ग नं० 37 पर नहीं पड़ता है लेकिन यह उत्तरी ट्रंक सड़क पर पड़ता है जो राज्य सड़क है। नेफा के विभिन्न हिस्सों को तेजपुर से मिलाने के लिये सड़कें पहले से ही मौजूद है और उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनका और सुधार किया जा रहा है।

(ग) नेफा में सड़क यातायात के विकास का मुख्य कार्य नेफा प्रशासन की पंचवर्षीय योजनाओं का एक समेकित भाग है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नेफा में सड़क विकास पर कुल 210.88 लाख रुपये खर्च हुआ है। नेफा में सड़कों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में 180 लाख रुपये का नियतन है। इस के अलावा सीमांत सड़क विकास मंडल द्वारा उत्तर और पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में किये जा रहे सड़क विकास कार्यक्रम में भी नेफा की सड़कों के सुधार कार्य से सम्बन्धित कई निर्माण कार्य शामिल हैं।

मनीपुर को चावल का सम्भरण

1688. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में आजकल चावल की अत्याधिक कमी हो गई है;

(ख) क्या राज्य की तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिये मनीपुर सरकार ने 3,800 टन चावल नियत किये जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : मनीपुर चावल की दृष्टि से अधिशेष क्षेत्र है। तथापि, यह सूचना मिली थी कि हाल ही में खुले बाजार में चावल की सप्लाई कम हो गई है। मनीपुर प्रशासन ने केन्द्रीय भण्डारों से चावल का खुला वितरण किया और केन्द्रीय

भण्डारोंसे कुछ अतिरिक्त सप्लाई करने के लिये कहा। केन्द्रीय भण्डारों से माल भेजने में जल्दी की गयी है। मनीपुर को और कितनी मात्रा सप्लाई करनी पड़ेगी तथा कब करनी होगी, के बारे में जांच मनीपुर प्रशासन के परामर्श से की जा रही है।

दिल्ली में डबल रोटी की कमी

1689. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई सप्ताहों से दिल्ली में डबल रोटी की सप्लाई कम हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अच्छी किस्म की डबल रोटी दुर्लभ हो गई है और घटिया किस्म की रोटी के दाम भी बढ़ गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) से (ग) : दिल्ली की दो प्रमुख बेकरियों में कुछ यान्त्रिक खराबी होने के कारण दिल्ली में केवल पिछले सप्ताह डबल रोटी की कुछ कमी हुई थी। इन बेकरियों ने अब अपना पूरा उत्पादन पुन: शुरु कर दिया है और 28-8-1965 से इन का उत्पादन सामान्य दैनिक आवश्यकता से अधिक रहा है।

अहमदाबाद में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

1690. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात व्यापार मण्डल के प्रधान ने अपने शिष्टमण्डल के साथ अहमदाबाद में बम्बई के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रधान के साथ भेट करते समय कहा है कि अहमदाबाद में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की एक स्थायी पीठ स्थापित करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात राज्य से संस्थित अपीलों की संख्या बहुत कम है ; अत: अहमदाबाद में पूर्णकालिक बेंच के लिए इस समय पर्याप्त काम नहीं है। आयकर अपील अधिकरण की एक बेंच अपीलों को निपटाने के लिए अहमदाबाद में नियतकालिक बैठकें करती है।

प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य के बारे में

RE. STATEMENT BY THE DEFENCE MINISTER

अध्यक्ष महोदय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री आज कोई वक्तव्य देंगे ? **(अन्तर्बाधा)**

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आज कोई वक्तव्य दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह ही पूछा है ; मैं इसका पता लगाउंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिसीमन आयोग का आदेश

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 19 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जिसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में संसदीय तथा विधान-सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्धारण किया जाये जो दिनांक 9 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2498 में प्रकाशित हुआ तथा जिसमें दिनांक 17 अगस्त, 1965 के एस० ओ० 2609 द्वारा शुद्धि की गई। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4766/65।]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"कि लोक-सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1964 को पास किये गये लोक-प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1964 को राज्य सभा ने अपनी 2 सितम्बर, 1965 की बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पास कर दिया और विधेयक को इस निवेदन के साथ लौटा दिया कि संशोधनों के बारे में लोक-सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाये।

अधिनियम सूत्र

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "fifteenth" ["पन्द्रहवां"] के स्थान पर "sixteenth" ["सोलहवां"] शब्द रखा जाये।

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1964" के स्थान पर "1965" रखा जाये।"

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (SECOND AMENDMENT) BILL

राज्य सभा से संशोधन सहित लौटाये गये रूप में

सचिव : श्रीमन्, मैं लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1965, जो राज्य-सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटा दिया गया था, सभा पटल पल रखता हूं।

अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अधिलाभांश की अदायगी विधेयक—जारी

SATUTORY RESOLUTION RE. PAYMENT OF BONUS ORDINANCE AND PAYMENT OF BONUS BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा निम्नलिखित संकल्प पर, जो 6 सितम्बर, 1965 को श्री मी० रु० मसानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पर आगे चर्चा करेगी ।

"यह सभा अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश, 1965 (1965 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है, जो राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 1965 को प्रस्थापित किया गया था ।"

तथा श्री संजीवय्या द्वारा 6 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि कतिपय स्थापनाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को अधिलाभांश की अदायगी करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में माननीय मंत्री ने यह कहा है कि सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि अधिलाभांश (बोनस) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में परिवर्तन किये गये हैं परन्तु हमारे विचार में यह परिवर्तन अधिलाभांश का हिसाब लगाने जैसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में किये गये है । इन परिवर्तनों से अधिलाभांश का हिसाब लगाने की सारी प्रणाली को ही समाप्त कर दिया गया है जिससे की अधिलाभांश देने का सारा आधार ही समाप्त हो गया है ।

अधिलाभांश आयोग द्वारा सुझाया गया सूत्र ही संतोषजनक नहीं था तथा जो थोड़ा बहुत लाभ श्रमिकों को मिलता था, वह भी सरकार द्वारा किये गये परिवर्तन से समाप्त हो जाता है । यदि हम उस सूत्र की, जिसकी कि आयोग ने सिफारिश की है, तथा श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के सूत्र की जांच करे तो हम देखेंगे कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का सूत्र आयोग की सिफारिश से समाप्त हो जाता है । यदि सरकार द्वारा इसमें और भी रूपभेद किये जायें तो यह श्रमिकों के लिये हानिकर होगा । अधिलाभांश आयोग की सिफारिश में सरकार द्वारा जो परिवर्तन किया गया है उसमें संतोषजनक बात यही है कि इसमें अधिलाभांश की कम से कम राशि 4 प्रतिशत निर्धारित की गई है । परन्तु यह लाभ भी सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। करों के हिसाब का प्रश्न यहां नहीं उठाया जाना चाहिये था। विस्तारपूर्वक जांच करने से यह बात सिद्ध की जा सकती है कि अभिलाभांश आयोग की सिफारिश में परिवर्तन से कर्मचारियों को कम अधिलाभांश मिलेगा । ऐक्सप्रेस समाचार एजेंसी द्वारा अधिलाभांश का हिसाब अब इस प्रकार किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को एक मास का वेतन लाभांश के रूप में नहीं मिलेगा परन्तु इससे कम राशी मिलेगी ।

अधिलाभांश की अदायगी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार पर दबाव डाला गया है और उसने संविधान के अन्तर्गत दिये गये उन दायित्वों की भी परवाह नहीं की है जिनमें श्रमिकों के लिये उचित मजूरी तथा निर्वाह के लिये उपबन्ध किया गया है । उससे श्रमिकों को भले ही लाभ न हो परन्तु सत्तारूढ़ दल को अवश्य लाभ होगा जैसे कि पिछले निर्वाचन के दौरान इनको पुंजीपतियों तथा उद्योगपतियों से 97 लाख रुपया मिला था । शायद इस विधेयक के पारित होने के बाद सत्तारूढ़ दल को अधिक धन मिले । इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने यह विधेयक इसलिये नहीं बनाया है कि श्रमिकों को अधिलाभांश मिले परन्तु इसलिये बनाया है कि सत्तारूढ़ दल अर्थात् कांग्रेस दल को भविष्य में अधिक धन मिले ।

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये जो प्रस्ताव श्री दाजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । प्रवर समिति द्वारा लौटाये जाने के बाद हम इस विधेयक पर अच्छे वातावरण में चर्चा कर सकेंगे ।

अधिलाभांश आयोग के प्रतिवेदन में संलग्न विमति टिप्पण को विधेयक में शामिल करने से यह भावना उत्पन्न हो गई है कि सरकार नियोजकों के दबाव में आ गई है। मैं यह नहीं समझ सका कि श्रम मंत्री उनके दबाव में क्यों आये । इस प्रकार कोई व्यक्ति किसी आयोग का सदस्य नहीं बनेगा ।

कोई कारण नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों पर यह विधेयक लागू नहीं किया जाये । इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि यह विधेयक रेलवे, डाक तथा तार तथा प्रतिरक्षा संस्थानों पर लागू नहीं होता । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को, जिन्हें कि कुछ लाभ नहीं होता, चार प्रतिशत अधिलाभांश के रूप में देना पड़ता है तो यही खण्ड सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी क्यों लागू नहीं किया जाता । प्रतिरक्षा सम्बन्धी कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता मंजूर किया गया है परन्तु सभी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता । इसलिये मैं श्रम मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ताकि प्रतिरक्षा विभाग, रेल्वे, डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके । इन्हें भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाभ मिले । श्रमिकों के हित के लिये 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा वाले खण्ड को निकाल दिया जाना चाहिये । इससे श्रमिकों में बढ़ रहा असंतोष कम हो जायेगा ।

पूंजी पर 7 प्रतिशत लाभ तथा सुरक्षित पूंजी पर चार प्रतिशत लाभ के लिये सिफारिश को पुनः स्वीकार किया जाना चाहिये । मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इन बातों पर विस्तार से चर्चा की है ।

अधिलाभांश से पहले विकास सम्बन्धी छूट वसूल नहीं की जानी चाहिये । सरकार को यह विधेयक बहुत पहले लाना चाहिये था । अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

इस विधेयक में श्रमिकों के हित में सुधार किया जाना चाहिये । उद्योगपतियों द्वारा जो बढ़े पैमाने पर लाभ कमाते हैं, श्रमिकों को अधिलाभांश दिया जाना चाहिये । कानपुर के नियोजकों ने सूचना निकाली है वे चार प्रतिशत बोनस देंगे हालांकि उनको काफी लाभ हुआ है । वे इस खण्ड से लाभ उठाना चाहते हैं जिसमें चार प्रतिशत का उल्लेख किया गया है ।

आजकल के महंगाई के ज़माने में, जबकि सरकार मूल्य कम करने में बुरी तरह असफल रही है, श्रमिक अपने ऋण चुकाने के लिये बोनस की प्रतीक्षा में रहते हैं । बोनस उनकी मजूरी का ही भाग समझा जाना चाहिये । विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ संशोधन स्वीकृत किये जाने चाहिये ।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : Mr. Speaker, some day ago our revered Prime Minister made an appeal for peace and asked the labour class to increase the industrial production. This appeal should have been made by the Labour Minister.

During the Chinese aggression the labour class of the country gave everything for the national cause. They agreed not to go on strike and not to organise any agitation during the emergency. But what is the reward these people got in return ? They were dismissed from service and victimised.

I would request the hon. Minister to refer this Bill to the Select Committee or accept all the amendments moved. Under the present clause the workers will get less amount as bonus as compared to the amount they had been getting previously. The hon. Minister has pleaded that this clause is harmless. I would like to submit in this connection that all the hon. Members who have spoken against this clause whether they are members of I.N.T.U.C. or A.I.T.U.C. are well versed in law and many times they plead cases before tribunal. If these

[Shrimati Subhadra Joshi]

experienced members fail to understand the interpretation of this clause it means that there is something wrong with the clause itself. I don't think that the hon. Minister wants to make this clause a subject of controversy. If the controversy is in regard to some words only, then those words should be changed. I would like to submit that the recommendations of the Labour Appellate Tribunal were disadvantageous to the labour class and the recommendations of the Bonus Commission and Government's subsequent modifications have caused more loss to this class. We have a socialistic pattern of society and as such the Government should look more and more to the interest of the labour class. Although the millowners are earning more profits, yet the amount paid as bonus has increased considerably. Government should ensure that this does not happen in future.

The Government set up a high powered tribunal comprising of learned and experienced persons regarding Bank award. There was a note of dissent in the report submitted by them. In this connection I would like to know the changes made by the Government in the awards as a result of notes of dissents and whether those changes were for the benefit of labour class or the capitalists.

In the end, I submit that Government should look after the interest of the labourers and make changes in the controversial clause.

Shri Maurya (Aligarh) : In so far as this Ordinance is concerned, I would like to submit that it is against the democratic principles that the Government should issue ordinances. The Bonus Commission had submitted its report on 24th January, 1964. The Government did not introduce the Payment of Bonus Bill in the House although there were three sessions of Parliament after the submission of the report. Suddenly the Government issued the ordinance after the Budget session was over. It is grave violation of the democratic principles.

I would also like to submit that the landless labourers, the labourers engaged on the construction of buildings etc. and the lakhs of persons working in the public undertakings will not be benefited under clause 32. In so far as the construction workers are concerned, the hon. Labour Minister has been reported to have observed that these workers have been neglected for a very long period and that legislative measures were necessary to improve their lot. I would like to request him to bring some legislation to ameliorate their plight.

The workers of Ashoka Hotel should also be get the benefit of bonus. If the Government do not give such benefit to their own employees how can we expect the private enterprise to implement the recommendations of the Pay Commission.

I would like to submit that with a view to remove the ambiguities from the Bill, and to ensure maximum benefit to the workers, the Bill may be referred to a Select Committee. The Government should take a definite decision to make essential commodities available to the working class so that the country does not have to face difficulty in this time of emergency.

श्री प्रभात कार (हुगली) : खण्ड 10 को छोड़ कर, जिसमें कि कम से कम बोनस देने की गारन्टी की व्यवस्था है, अन्य सभी उपबन्धों का सभी उद्योगों मे विद्यमान बोनस सूत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । उदाहरणार्थ तृतीय अनुसूची मे लेखा वर्ष के आरम्भ में काटी जाने वाली प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया है ; इसी प्रकार लेखा वर्ष के आरम्भ में संतुलन पत्र में दिखाये जाने वाले नियंत्रणों की प्रतिशतता को 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दिया गया है ।

खंड 10 पर न्यायालयों में काफी आपत्ति उठाई गई है। यदि इस खड को हटा दिया जाता है तो मैं नहीं जानता कि उन कर्मचारियों का क्या हाल होगा जो इस समय उपबन्धित बोनस से अधिक बोनस ले रहे हैं।

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि खंड 10 को छोड़ कर अन्य सभी उपबन्ध वर्तमान बोनस सूत्र की अपेक्षा बुरे हैं। इस मामले पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : I support some of the provisions of this Bill and oppose the others. The dissatisfaction in the labour class is evident from the number of amendments moved. The only solution for this is that the labour class should be made partner in the industrial enterprises. Today there is gulf of difference between the wages they are getting and the wages that they should get to maintain a good standard of living. Unless their standard of living is improved we cannot stop will not be able to put an end to the labour-capital disputes.

In this Bill the public sector enterprises have been given the exemption. Why an amendment to this effect has been brought in the report submitted by the Commission. This will crush the genuine rights of the labour.

The Commission had recommended that the bonus should be calculated on the gross income, but now it is proposed to be calculated on the income after deducting the tax amount. This is not proper. The Bonus Commission Report should be implemented as it is.

Now under the provisions of this Bill the labour has been precluded from seeking relief in the courts against the non-payment of bonus. This is most undesirable. Why the Railway employees, the Public Sector employees, the Defence production employees have been left out ? After all, what is their fault.

This provision does not apply to labour engaged in Bidi manufacturing industry and coal mines. The Government is taking a partisan view and is swayed by what is said by the representative of the millowners.

There is another provision in this Bill which says that if the owner of any private factory approaches the State Government and speaks about his inability to give bonus, the State Government is empowered to give exemption. This is most unfair for the labour class. Again a new factory has been given the exemption from the payment of bonus for a period of 10 years. This is also not proper.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : खंड 20 द्वारा इस विधेयक को किन्हीं मामलों में सरकारी क्षेत्र के कारखानों पर भी लागू किया जायेगा यह एक बहुत अच्छी बात है। लाखों मजदूरों को काफी समय से ऐसे विधेयक की प्रतीक्षा थी। खंड 10 द्वारा कम से कम 4 प्रतिशत बोनस निर्धारित किया गया है और खंड 11 द्वारा अधिक से अधिक 20 प्रतिशत बोनस निर्धारित किया गया है। इस समय कई कारखानों में मजदूरों को 25 अथवा 40 प्रतिशत बोनस मिल रहा है। अधिकतम बोनस के बारे में लोगों के दिमागों में कुछ उलझन है और इसलिये सरकार को चाहिये कि इस संबध में आश्वासन दे कि खंड 11 का बोनस की अदायगी की वर्तमान व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है तो हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : सब से पहले तो विधेयक में अध्यादेश की परिभाषा दी जानी चाहिये, क्योंकि इसका अर्थ समय समय पर बदलता रहता है।

[श्री प्र० चं० बरूआ]

मैं बताना चाहता हूं, कि चाय उद्योग पर इस विधेयक का क्या प्रभाव पड़ेगा। औसत तौर पर चाय उद्योग में एक परिवार के ढाई व्यक्ति काम करते हैं। यदि हम कम से कम बोनस भी लगायें तो एक परिवार को 40 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से 100 रु० मिलेंगे। एक चाय बाग में औसत तौर पर लग भग 1000 व्यक्ति काम करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बाग को लगभग 40,000 रु० बोनस के रुप में देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय से कि क्या चाय उद्योग में इस भार को सहन करने की क्षमता है। इस विधेयक के पास हो जाने के पश्चात चाय बागानों को वर्ष 1962 के लिये 20 रु० और 1963 और 1964 के लिये 40 रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से बोनस देना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि चाय के प्रत्येक बाग पर एक दम 1 लाख रुपये का बोझ पड़ जायगा। हो सकता है कुछ चाय बागानों को अपना काम बन्द करना पड़े। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार करे।

चाय वित्त समिति के प्रतिवेदन के 55 वें पैरे में कहा गया है कि कुछ समय से विभिन्न जिलों में 11.83 से 38.46 प्रतिशत चाय बागानों को घाटा हो रहा है। यदि इन चाय बागानों को इस विधेयक के अनुसार पूरी राशि बोनस के रुप में देनी पड़ी तो उन्हें काफी पहले अपना काम बन्द करना पड़ेगा। चाय उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इस लिये इस विधेयक को पास करने से पहले हमें काफी सोचना होगा।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। पिछले वक्ता ने बोनस की परिभाषा का प्रश्न उठाया है। यद्यपि हम ने विधेयक में बोनस की परिभाषा नहीं दी है परन्तु विधेयक में दी गई विभिन्न योजनाओं अथवा सूत्रों की व्यवस्था के ज़रिये बोनस की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत बोनस के रुप में वितरित होने वाली राशि होगी। इसलिए, बोनस की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है।

अगला प्रश्न विधेयक को सरकारी उपक्रमों पर लागू करने के सम्बन्ध में है। इस बारे में बोनस आयोग को निर्देशन दिया गया था और उस पर विचार करते हुये बोनस आयोग ने "औद्योगिक रोज़गार" शब्दों के सम्बन्ध में शिफारिशें की जिस में गैर-सरकारी क्षेत्र के रोज़गार तथा सरकारी क्षेत्र के उन संस्थानों में से किसी में भी रोज़गार शामिल है जिन्हें विभाग द्वारा नहीं चलाया जाता तथा जिनका गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के साथ मुकाबला है। इसलिए, विभागीय रूप से चलाये जाने वाले सरकारी उपक्रमों में रोज़गार को इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। वास्तव में, आयोग को ऐसे सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में विचार करने के लिए नहीं कहा गया था। ऐसे क्षेत्र के उपक्रमों पर, जिन्हें विभाग द्वारा नहीं चलाया जाता परन्तु जिनका गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगो के साथ मुकाबला है, बोनस आयोग की सिफारिशें लागू होंगे। इसलिए हम प्रथम बार उस विधेयक के उपबन्ध सरकारी क्षेत्र पर लागू कर रहे है।

सरकार के विरुद्ध तथा इस विधेयक के विरुद्ध एक आलोचना यह है कि सरकार द्वारा रुप भेद किये गये हैं। सरकार को न केवल श्रमिकों के हित देखने होते है, न केवल देश के हित देखने होते हैं बल्कि देश के आर्थिक विकास तथा उद्योगों के विकास का भी ध्यान रखना होता है, जब तक कि हम उद्योगों को कुछ सुविधायें न दें, उनका विकास कैसे हो सकता है, इसलिए देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास और सम्पूर्ण राष्ट्र की समृद्धि को ध्यान में रखना होता है और इसी कारण कुछ रुपभेद किये गये हैं।

श्री दांडेकर ने खण्ड 32 का उल्लेख किया है। उस खण्ड में दिये गये विभिन्न वर्गों पर विधेयक के कोई उपबन्ध लागू नहीं होंगे। खण्ड 34(3) में कहा गया है कि यदि किसी विशेष कारखाने या संस्थान के कर्मचारी अपनी इच्छा से अपने नियोजकों के साथ कोई करार करते हैं तो उस स्थिति में इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा सरकार द्वारा किसी प्रकार भी हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। खण्ड 32 और खण्ड 34(3) में कोई परस्पर विरोध नहीं है।

खण्ड 34(2) के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने यह सन्देह प्रकट किया है कि क्या सरकार द्वारा सभा में दिया गया आश्वासन इस खण्ड में पूर्णतया लागू किया गया है । इमें यह अवश्य याद रखना चाहिये कि वह आश्वासन क्या था । यदि कोई यह समझता है कि उस आश्वासन द्वारा मात्रा सुरक्षित रहने का प्रयत्न किया गया था, तो वह गलती पर है ।

मान लीजिये कि सूत्र के अनुसार श्रमिकों को मिलने वाला बोनस उस से कम है जो कि पहले श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण या पूरे बैंच के सूत्र के अधीन उन्हें मिल रहा है, तो उस लेखा वर्ष में यह आधार सुरक्षित किया जायेगा । मेरा अभिप्राय यही था और यह खण्ड 34 के उप-खण्ड (2) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है ।

खण्ड 33 में बोनस आयोग की सिफारिशों को भूतलक्षी प्रभाव देने की व्यवस्था है । यह ठीक है कि आयोग ने सिफारिश की थी कि उन की सिफारिशें 1962 में किसी दिन लेखा वर्ष से लागू की जानी चाहियें । परन्तु हम यह अनुभव करते है कि यदि ऐसा किया गया तो बहुत सी जटिलतायें पैदा हो जायेंगी । सरकार ने यह निर्णय किया है कि केवल उन मामलों पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा जिनके सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया गया है ।

हम ने जो 2 सितम्बर की तिथि रखी थी उसे 29 मई करने के लिए सरकारी संशोधन पेश किया जा रहा है क्यों कि उस दिन अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था ।

न्यूनतम बोनस के सम्बन्ध में मैं यह कहुंगा कि वह श्रमिकों के लिए वरदान है । विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने यह सन्देह प्रकट किया था कि कोई न्यायालय इसे रद्द कर सकता है । परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि निश्चय ही न्यायालय श्रमिको के प्रति आर्थिक तथा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखेंगे ।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : माननीय मंत्री, अध्यादेश को जारी करने के सम्बन्ध में सभा को संतुष्ट नहीं कर सके हैं । कल अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि क्योंकि सभा के सत्रों के बीच की अवधि में कुछ श्रमिक विवाद खड़े हो सकते हैं, इसलिए यह विधेयक प्रख्यापित किया गया है । दूसरे शब्दों में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि केवल छोटी ही सुविधा के लिए वह राष्ट्रपति के पास गये है और उन की शक्तियों का इस अध्यादेश के जारी करने के लिए दुरुपयोग किया है ।

यह दुख की बात है कि सरकार इस सभा में अपने बहुमत के कारण संसद के प्रति इस प्रकार का खैय्या अपना रही है । आशा की जाती है कि अगली लोक-सभा इतनी संतुलित होगी कि इस प्रकार का खैय्या सहन नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"यह सभा अधिलाभांश की अदायगी, 1965 (1965 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है जो कि राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 1965 को प्रस्थापित किया गया था ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The Motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : श्री संजीवय्या द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री दाजी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है । अब मैं उसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

[अध्यक्ष महोदय]

"कि विधेयक को एक प्रवर समिति, जिसमें 15 सदस्य अर्थात श्री बड़े, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, श्री दाजी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री हरि विष्णु कामत, श्री मधु लिमये, श्री मी० रू० मसानी, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, श्री मौर्य, डा० मेलकोटे, श्री काशीनाथ पांडे, श्री संजीवय्या, श्री अ० प्र० शर्मा, श्री दी० चं० शर्मा, तथा श्री स० मों० बनर्जी हों, को सौंपा जाये और इसे 22 सितम्बर, 1965 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The Motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय स्थापनाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को अधिलाभांश की अदायगी करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । *The Motion was adopted.*

खण्ड 2

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 9 से 13 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 14 तथा 258 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 212 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्रभात कार : मैं संशोधन संख्या 39 से 92 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अल्वारिस : मैं संशोधन संख्या 254, 255, 263 तथा 261 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दे० शि० पाटिल : मैं संशोधन संख्या 261 और 262 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० रानेन सेन : मैं संशोधन संख्या 56 तथा 57 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बड़े : मैं संशोधन संख्या 118 तथा 120 से 123 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 146 से 149 प्रस्तुत करता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

मेरे संशोधन सरल हैं और उनका उद्देश्य कुछ परिभाषाओं का स्पष्टीकरण करना है । संशोधन संख्या 146, जिसका सम्बन्ध खण्ड 2 के उप-खण्ड (5) से है, "उचित" सरकार की परिभाषा करता है, ऐसे मामलों में, जिनमें संस्थान एक से अधिक राज्यों में हो, केन्द्रीय सरकार को सम्बद्ध सरकार समझा जाना चाहिये, जिससे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण उस मामले को उसी तरह निपटायेगा जिस तरह बैंकों और बीमा कम्पनियों आदि के मामले में निपटाया जाता है ।

संशोधन संख्या 147 दो भागों में है । उसका सम्बन्ध सम्पत्ति कर को प्रत्यक्ष कर के रुप में सम्मिलित करने से है । सम्पत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि कम्पनियों को छोड़ कर, जिन पर किसी प्रकार के सम्पत्ति कर के लागू न होने के कारण यह संगत नहीं है । यह कर उन कारोबारों से अनिवार्य रुप से सम्बन्धित है, जो विचाराधीन है ।

मेरे संशोधन संख्या 148 महत्वपूर्ण है। सामान्य रुप से कर्मचारियों में और उन कर्मचारियों में, जिन्हें चाहे कितना ही कम वेतन मिलता हो परन्तु वे प्रबन्धक, पर्यवेक्षी या प्रशासनिक ज़िम्मेदारी के पदों पर नियुक्त हों, स्पष्ट रुप से अन्तर है। यदि वे किन्हीं अन्य वैकल्पिक योजनाओं के कारण, जोकि नियोजक ने उस सम्बन्ध में बनाई हों, बोनस योजना से निकलना चाहते हों, उन्हें ऐसा करने का अधिकार होना चाहिये।

संशोधन संख्या 149 का उद्देश्य खण्ड 2 के उप-खण्ड (21) का स्पष्टीकरण करना है जिसका सम्बन्ध "वेतन तथा मजूरी" ("Salary and Wages") की परिभाषा से है। इस खण्ड की मद 1 अर्थात "कोई अन्य भता जिसका कि कर्मचारी तत्समय अधिकारी हो" निकालने के सम्बन्ध में बहुत अधिक विवाद होना अनिवार्य है। यह उचित होगा कि इसका क्षेत्र और कम हो जाये। ऐसा मेरे द्वारा सुझाये गये संशोधन से किया जा सकता है। मैं "एक्स ग्रेशिया" ("अनुग्रह पूर्वक") शब्दों पर विशेष बल देना चाहता हूं। मेरे संशोधन का उद्देश्य इसे स्पष्ट रहता है ताकि विवाद का क्षेत्र बहुत कम हो जाये।

श्री प्रभात कार (हुगली) : बोनस के लिए उपलब्ध फालतू राशि का निर्धारिण करने के लिए कुल लाभ से केवल आय-कर और अधिकर ही निकाला जाना चाहिये। यदि फालतू राशि का निर्धारण करने से पहले कई मदें निकाल दी जायें तो उपलब्ध फालतू राशि बहुत कम हो जायेगी अथवा लगभग समाप्त हो जायेगी।

मैं श्री दांडेकर के संशोधनों का विरोध करता हूं। जो लोग किसी अधिनियम के अधीन जाते है, उनपर वह अधिनियम अनिवार्य होना चाहिये। मालिकों को कोई ऐसा स्वेच्छापूर्ण अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये जिस से मालिक कर्मचारियों के किसी भाग को किसी अन्य विधि के अधीन दिये जाने वाले नाममात्र लाभ से विचलित कर सकें।

दूसरा संशोधन वेतन और मजूरी से सम्बंधित है। उप-खण्ड 21 में यह बिलकुल स्पष्ट है कि वेतन तथा मजूरी में अधिक समय तक काम करने का भत्ता शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक "वेतन अथवा मजूरी" का सम्बन्ध है, बोनस का निर्धारण करने में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और कुछ अन्य विशेष भत्ते, जो कि मज़दूरों ने अपने कर्तव्य के स्वरूप के कारण कमाये है, शामिल किये जाने चाहियें।

जहां तक श्री दांडेकर के संशोधन संख्या 146 का सम्बन्ध है यह बात पहले ही शामिल की जा चुकी है कि उचित सरकार केन्द्रीय सरकार है।

डा० रानेन सेन : खण्ड 2 के उप-खण्ड 13 में कर्मचारियों की परिभाषा में शिक्षार्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन श्रमिकों के वर्ग में शिक्षार्थियों को शामिल किया गया है। इस का अर्थ यह है कि शिक्षार्थियों को इस अधिनियम का लाभ नहीं होगा।

उप-खण्ड 21 में मजूरी की परिभाषा में किसी प्रकार के 'यात्रा भत्ते' को शामिल नहीं किया गया है जब कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में 'मजुरी' की परिभाषा में इसे सम्मिलित किया गया है। इन महत्वपूर्ण बातों से औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन होता है।

उप-खण्ड 21 के सम्बन्ध में मैं कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रश्न उठाना चाहता हूं। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो कमीशन पर काम करते हैं। उनकी मूल मजूरी बहुत कम है और उन्हें मजूरी के अतिरिक्त कमीशन मिलता है। श्रमिकों के इस वर्ग को शामिल न करने का कोई प्रयत्न उनके लिए हानिकर है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या एक लाख से अधिक है।

[डा० रानेन सेन]

यह कहा गया है कि सरकार ने जान बूझ कर मुख्य मुख्य बातों पर बोनस आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन किया है । उदाहरण के लिए, बोनस आयोग के प्रतिवेदन में ठेके पर श्रमिकों को सम्मिलित किया गया था । सरकार ने ठेकेदारों द्वारा रखे गये श्रमिकों को इस से निकाल दिया है । इसलिए, मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले पर पुन: विचार करें और ठेके पर रखे गये श्रमिकों को विधेयक के क्षेत्र में सम्मिलित करें ।

Shri Bade (Khargone) : I feel that Government should always favour the worker in preference to the employer. The Labour Minister should always think in terms of welfare of lobourers. I request that apprentices should also be given the benefit of bonus. The factory owners get their work done through contractors and get the benefit of huge profits without paying bonus to workers. In this way they do not come under the purview of labour laws. The contract labour should also be given the benefit of bonus. I want that allowances should also be taken into account while determining the bonus of a worker.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि सीमा पर होने वाली लड़ाई की वर्तमान स्थिति के बारे में एक समाचार संसदीय सूचना कार्यालय में रख दिया गया है । जो सदस्य चाहे वहां जाकर देख सकते हैं ।

श्री बड़े : यदि आप उसे यहां पर ही पढ़ दे तो ठीक होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम सबका यही विचार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा मैं एक प्रति मंगा लूंगा ।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : Sir, my amendment No. 261 of clause 2 is very important. I want that overtime allowance should also be counted with wage of the worker. My amendment aims this thing.

It is a regular feature in factories that part time workers are appointed. You are going to deprive them of bonus. It is very unfair. I feel that those persons who work for overtime should not be excluded from this.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : खण्ड 2 के बारे में मेरे तीन संशोधन हैं । बोनस आयोग की सिफारिशों बावेजूद सरकार ने प्रत्यक्ष कर बढ़ा दिये हैं । यदि सरकार इसी करों में इसी प्रकार वृद्धि करती रही तो बोनस मिलना बन्द हो जायगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

मैं चाहता हूं प्रशिक्षणार्थियों को भी बोनस मिले । कई कारखानों में मालिक इनसे पूरा काम कराते है परन्तु इन्हें बोनस नही देते । इस बारे में इन प्रशिक्षणार्थियों को सरकार द्वारा इस विधेयक में संरक्षण मिलना चाहिये । इनके उचित हितों की रक्षा होनी चाहिये । पहले यह प्रथा थी कि काम पर लगाये गये अवधि के अनुसार मिलती थी परन्तु आधुनिक ढंग यह है कि मजूरी उत्पादकता के अनुसार मिलती है । अत: हमें मजूरी के साथ साथ उत्पादकता को प्रोत्साहन भी देना चाहिये । मेरा माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध है कि इन संशोधनों को स्वीकार करें ।

सैनिक कार्यवाही के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: DEFENCE OPERATIONS

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : कल हमारी वायु सेना बहुत सक्रिय रही । उसने शत्रु के बहुत से सनिक अड्डों को निशाना बनाया । कल रात हमारी वायु सेना ने रावलपिंडी के निकट चकलाला और आज प्रात: पश्चिमी पंजाब में सरगोधा के हवाई अड्डे पर आक्रमण किया और बमबारी की । उन का कड़ा मुकाबला किया गया परन्तु हमारी वायु सेना को पर्याप्त सफलता प्राप्त की ।

कल हमने पाकिस्तान की वायु सेना के 9 अमरीकी विमान उध्वस्त किये और 2 अन्य को हानि पहुंचाई। विभिन्न क्षेत्रों में 16 पैटन तथा शेरमन टैंक तबाह किये। 14 तोपों, 2 हलकी विमान भेदी तोपों और 30 और 40 के बीच मोटर गाड़ियों को तहसनहस किया। और बहुत से टैंकों और बक्तरबन्द गाड़ियों को हानि पहुंचायी।

जैसे पहले बताया गया है वायू सेना ने कल एक तेल के टेंकर वाली गाड़ी, एक सैनिक गाड़ियों के जमाव, एक मालगाड़ी जिस में सैनिक सामान ले जाया जा रहा था, और सैनिक शिबिर को आग लगा दी। तबाह किय जाने वाले विमानों में 2 विमान अमरीकी परिवहन विमान थे। दो विमान तथा दो एक 104 भूमि पर ही तबाह किये गये। इस के अतिरिक्त 6 अमरीकी सेबर जेट तुक बी० 57 बमबार कई क्षेत्रों में हवाई लड़ाई में तबाह किये गये।

पाकिस्तान की वायुसेना ने भी हमारे कई स्थानों पर आक्रमण किये। यह पठानकोट से जामनगर तक है। जामनगर के हवाई अड्डे पर कई बार आक्रमण किया गया परन्तु वहां बहुत कम हानी हुई। अमृतसर में पाकिस्तानियों ने असैनिक क्षेत्रों पर बम गिराये। पाकिस्तान ने पूर्वी क्षेत्र में भी यह लड़ाई आरम्भ कर दी है। उसके विमानोंने कलकत्ता के निकट कलाइकुन्डा के हवाई अड्डे पर आक्रमण किया परन्तु उन्हें खदेड़ दिया गया। हमारी कुल हानि 8 विमानों की हुई।

हमारी बढ़ती हुई स्थल सेनाओं का मुकाबला बढ़ रहा है। डेरा बाबा नामक पुल वाले क्षेत्र में जोर की लड़ाई हो रही है। कलरात को और आज प्रातः पाकिस्तानियों ने पंजाब के विभिन्न भागों में छाता सैनिक उतारे हैं। उनमें से बहुत से पठानकोट और जालन्धर क्षेत्रों में पकड़े गये हैं। स्थानीय सैनिक तथा असैनिक अधिकारी उन को पकड़ने का काम कर रहे हैं। पुंछ क्षेत्र में हमारी सेनायें और आग बढ़ी हैं। पाकिस्तानियों ने दो महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया है और वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों के 45 शव पाये गये हैं। उनमें से कुछ अफसर भी थे। छम्ब क्षेत्र में उन्होंने 'टैंक बचाओ' अभियान आरंभ कर दिया है। अखनूर क्षेत्र में उन्होंने टोह लेने की कोशिश की परन्तु पीछे भगा दिये गये।

टिथवाल क्षेत्र में पाकिस्तानियों का एक जवाबी आक्रमण खदेड़ दिया गया है। 3 और 4 सितम्बर की रात को हमारी सेनाने 3 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया था। हाजीपीर दर्र क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर ली है। हमने 5 सितम्बर प्रातः समय पाकिस्तान की हाजीपीर दर्रे से तीन मील पश्चिम की ओर एक और चौकी पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के तीन प्रत्याक्रमण को विफल कर दिया गया और उन्हें बहुत हानि पहुंचाई गई। पिछले चौबीस घंटों में पूरी युद्ध विराम रेखा पर गोली चलती रही है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं चाहता हूं कि कल से प्रतिदिन युद्ध की स्थिति के बारे में सदन में प्रातः एक वक्तव्य दिया जाये। यह कार्य कोई मंत्री कर सकता है। सभा को जानकारी मिलनी चाहिये।

श्री रंगा (चितूर) : इस बारे में बी० बी० सी० ने पहले ही समाचार दे दिये हैं। इस लिये हमें भी तुरन्त ही समाचार दे देने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार प्रश्न काल के बाद सदन को जानकारी देती रहेगी।

श्री त्यागी : इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

अधिलाभांश की अदायगी विधेयक–जारी

PAYMENT OF BONUS BILL—Contd.

श्री संजीवय्या : यहां पर कहा गया कि यदि बोनस के बारे में कोई झगड़ा खड़ा हो गया तो उस पर निर्णय कैसे होंगे । औद्योगिक वाद अधिनियम के अन्तर्गत इस बारे में स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है । इस के लिये राज्य सरकारें ही उचित प्राधिकारी होंगी । परन्तु यदि एक मालिक के कारखाने की बहुत से राज्यों में शाखायें होंगी तो कठिनाई हो सकती है । इस प्रकार की स्थिति में सम्बद्ध राज्य सरकारों, मालिकों और श्रमिकों से सलाह की जाती है और एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है ।

एक और बात प्रत्यक्ष करों को घटाने के बारे में है । इस बारे में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं । इस बारे में उपबन्ध बोनस आयोग की सिफारिश के अनुसार किया है ।

उपखण्ड (13) में 'उद्योग' शब्द की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया गया है । इस बारे में औद्योगिक वाद अधिनियम 1947 में 'उद्योग' शब्द जो अर्थ हैं यहां पर भी वही अर्थ लिये जायेंगे । एक और संशोधन में यह कहा गया है कि 1600 रुपये तक वेतन पाने वालों को बोनस योजना के अन्तर्गत लाया जाये । श्री दांडेकर ने कहा है कि 500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले को छूट होनी चाहिये कि वह अपने आप को कर्मचारियों में रख सके । इस बारे में एक विपक्षी दल के एक और सदस्य ने इसका विरोध किया है । इसलिये मेरे उत्तर देने की बात ही उत्पन्न नहीं होती । और यह बात आयोग की सिफारिशों के अनुसार है । बोनस के लिये राशि निर्धारित करने के लिये हमने बोनस आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपबन्ध बनाये हैं । इस लिये मैं इस बारे में प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, 89, 90, 91, 92, 254, 255, 258, 263, 56, 57, 118, 120, 121, 122, 123, 146, 147, 148, 149, 212 और 262 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*Amendment Nos.* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 89, 90, 91, 92, 254, 255, 258, 263, 56, 57, 118, 120, 121, 122, 123, 146, 147, 148, 149, 212 *and* 263 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 261 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ । / *The Lok Sabha devided.*

पक्षमें 23, विपक्ष में 57 ।/Ayes 23; Noes 57.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । / *The Motion was negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 65, विपक्ष में 14 ।/Ayes 65, Noes 14.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड २ विधेयक में जोड दिया गया ।/ *Clause 2 was added to the Bill.*

खण्ड 3

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 150 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : मैं अपना संशोधन संख्या 58 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : खण्ड 3 जो व्यवस्था है वह सही है । परन्तु मैं इस के परन्तुक में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं जिसमें एक अलग सन्तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा तैयार करने तथा बनाये रखने के बारे में व्यवस्था है । एक अलग सन्तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा तैयार करने की तो बात समझ में आती है परन्तु उन्हें बनाये रखने की बात समझ में नहीं आती है । अत: "एक अलग सन्तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा तैयार किये जाते हैं तथा बनाये रखे जाते है" के स्थान पर "एक अलग लाभ-हानि लेखा तैयार किया जाता है" शब्द रखे जाने चाहिये ।

श्री काशीराम गुप्त : इस खण्ड का प्रयोजन यह है कि इस विधि से बचने के लिये उद्योगों को विभक्त न किया जा सके । परन्तु ऐसा कभी किया जा सकेगा जब उद्योग एक ही कस्बा गांव अथवा नगर में होंगे । कुछ ऐसी फर्में भी हो सकती हैं जिनकी विभिन्न राज्यों में शाखायें हों और कुछ शाखाओं पर कारखाना अधिनियम भी लागू नहीं हो सकता हो । अत: इससे कई कठिइयां उत्पन्न हो जायेंगी । यदि संस्थान भिन्न भिन्न स्थानों पर होंगे तो उन पर खण्ड 7 लागू होगा । जब तक वह शाखायें अथवा उपक्रम एक ही नगर में नहीं होंगे तब तक यह खण्ड उन पर लागू नहीं हो सकेगा । यदि मेरे संशोधन को नहीं माना जायेगा तो बोनस निर्धारित करने में कई अडचने पड़ेंगी अत: मेरे संशोधन को मान लिया जाना चाहिये ।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : संशोधन संख्या 58 के सम्बन्ध में मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इससे बिलकुल कोई कठिनाई नहीं होगी । यदि आवश्यक हुआ तो हम एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकते हैं जिसकी विभिन्न शाखायें होंगी ।

संशोधन संख्या 150 के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ मामलों में सन्तुलन-पत्र तैयार किये जायेंगे और कुछ मामलों में लाभ-हानि लेखे तैयार किये जायेंगे । इनको तयार करना पड़ेगा तथा तैयार करने के पश्चात उन्हें बनाये रखना पड़ेगा ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सके अथवा बोनस सम्बन्धी किसी झगड़े को निपटाने के लिये इनको किसी न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जा सके । अत: मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 58 तथा 150 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*Amendments Nos. 58 and 150 were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 3 was added to the Bill.*

खण्ड 4 (कुल मुनाफे का संगणन)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 151 प्रस्तुत करता हूं ।

जहां तक खण्ड 4 में सकल मुनाफे के निर्धारण का सम्बन्ध है, इस में यह एक और परन्तुक जोड़ दिया जाना चाहिये कि यदि एक विदेशी कम्पनी के सम्बन्ध में जिसका आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत में मुख्य कार्यालय नहीं है, तो उसके भारत में होने वाले व्यापार के सम्बन्ध में कोई लाभ-हानि लेखा तैयार नहीं किया जाता है तो सकल मुनाफा (इस अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कटौतियां करने से पूर्व) उसी ढंग तथा उसी आधार पर निर्धारित किया जायेगा जिस ढंग तथा आधार पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उसकी आय मुनाफा तथा लाभ की गणना की जाती है । यह व्यवस्था करना आवश्यक है क्योंकि ऐसी विदेशी कम्पनियों के मुनाफे को निर्धारित करने के लिये अन्य कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

श्री प्रभात कार (हुगली) : इससे मज़दूरों को कैसे पता चलेगा कि यह सकल मुनाफा कैसे निकाला गया है ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं तो मुनाफे को निर्धारित करने के ढंग तथा आधार की बात कर रहा हूं । इसका आंकड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्रभात कार : जहां तक आधार का सम्बन्ध है, इस बात का दूसरे पक्ष को पता ही नहीं लगेगा कि वास्तव में क्या आधार है । इसकी गणना करना इतना सरल कार्य नहीं है । कई ऐसी मदें हैं जिनको सम्मिलित किया जा सकता है और कई ऐसी हैं जिनको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । इन परिस्थितियों में हम आयकर के आधार को मानने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री संजीवय्या : मैं माननीय सदस्य, श्री प्रभात कार से सहमत हूं । मेरे विचार में यह कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी जिसकी श्री दांडेकर को शंका है ।

श्री नारायण दांडेकर : मुझे कृपया बताया जाये कि इसकी संगणना कैसे की जायेगी ?

श्री संजीवय्या : बोनस आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जहां तक बैंकिंग कम्पनियों का सम्बन्ध है इसका हिसाब प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित ढंग से लगाया जायेगा तथा अन्य मामलों में इसका हिसाब द्वितीय अनुसूचि के अनुसार लगाया जायेगा ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं यथार्थ रूप से यह जानना चाहता हूं कि सकल मुनाफे का हिसाब द्वितीय अनुसूचि के अनुसार कैसे लगाया जायेगा । उदाहरणार्थ पी० एण्ड ओ० कम्पनी के मुनाफे का कैसे हिसाब लगाया जायेगा जिसका व्यापार भारत के साथ साथ सारे विश्व में फैला हुआ है ।

श्री संजीवय्या : बोनस आयोग ने जो सिफारिशें की हैं वह यह है कि बैंकिंग कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची लागू होगी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची लागू होगी । यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो उसपर विचार किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 151 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ । / *Amendment No. 151 was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 4 was added to the bill.*

खण्ड 5 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause 5 was added to the bill.*

खण्ड 6 (सकल मुनाफे से की जाने वाली कटौतियां)

ी दाजी : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 59 तथा 124 भी संशोधन संख्या 15 जैसे हैं अतः यह अवरुद्ध हैं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 152, 153 तथा 213 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 93 तथा 264 संशोधन संख्या 15 जैसे ही हैं अतः यह अवरुद्ध हैं ।

खण्ड तथा यह संशोधन अब सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री दाजी : यह एक विचित्र बात है कि विकास छट को एक पूर्व व्यय के रूप में माना जा रहा है । हालांकि ऐसा पहले कभी भी नहीं किया गया है और नही नियोजकों ने ऐसा करने की कोई मांग ही की है । यह छूट शायद सरकार इस लिये दे रही है ताकि निर्वाचनों में कांग्रेस दल को इन नियोजकों से निर्वाचन निधि के रूप में काफी धन मिल सके । अन्यथा इसका और कोई कारण नहीं है । यह बोनस आयोग की सिफारिशों के भी विरुद्ध किया जा रहा है । यही नहीं, एक नये विधेयक के अन्तर्गत विकास छूट को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत किया जा रहा है । इसके परिणाम-स्वरूप कम्पनियों को अधिक मुनाफा होता है । वास्तव में नियोजक मशीनों में लगाये गये अपने धन को मुनाफे के रूप में तीन वर्षों में ही निकाल लेते हैं । शायद उससे भी अधिक कमाई कर लेते हैं क्यों कि उनको 105 प्रतिशत मुनाफा होता है । इसके अतिरिक्त उनको 6 वर्ष तक बोनस न देने की भी छूट प्राप्त है । 6 वर्षों की यह छूट उस समय दी गई थी जब विकास छूट की दर 20 प्रतिशत थी । परन्तु चूंकी अब इसे बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है इसलिये 6 वर्षो की अवधि को भी इसी अनुपात से कम किया जाना चाहिये । मैं तो यह चाहता हूं कि यदि सरकार उन्हें विकास छूट देना ही चाहती है तो यह छूट अयकर में से दी जानी चाहिये नकि बोनस की फालतु राशि में से । यह एक खेदजनक बात है कि सरकार कम्पनियों को यह रियायत देने जा रही है । जिन्होंने वास्तव में लूट मचा रखी है और जिनको सभी प्रकार के कर आदि देने के पश्चात भी 13 से 19 प्रतिशत लाभ होता है । इसके विपरीत मज़दूर को आज क्या मिलता है उसे शायद 100 रूपये से भी कम राशी मिलती है और इसके बाजूद भी सरकार इनके बोनस में से कटौती करके यह राशि पूंजीपतियों को देना चाहती है ताकि वह असीमित मुनाफा कमा सकें । यह व्यवस्था बिलकुल अनुचित तथा अवांछनीय है । इसके लिये किसी ने भी मांग नही की है । यदि सरकार को मज़दूरो से कोई सहानुभूति है तो सरकार को इस खण्ड को वापस ले लेना चाहिये ।

श्री नारायण दांडेकर : यथास्थिति 35 या 20 या 30 प्रतिशत विकास छूट केवल एक वर्ष के लिए है । यह नियमित रूप से वार्षिक छूट नहीं है । वास्तव में यह एक अतिरिक्त अवमूल्यन की छूट

[श्री० नारायण दांडेकर]

है। विकास सम्बन्धी छूट के साथ पुनर्वास के लिए छूट नहीं रखी जा सकती। यह एक या दूसरी बात का प्रश्न है। सरकार मेरे विमत टिप्पण से सहमत नहीं हुई है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पुनर्वास की छूट गलत है और विकास छूट ठीक है।

मैं अपने संशोधन संख्या 152 पर आग्रह नहीं करता। खण्ड 16 के अधीन यह अधिनियम नये उद्योगों पर दो स्थितियों में लागू नहीं होता जब तक अवमूल्यन और हानि की शेष राशियां निकालने के बाद उन्हें कोई लाभ नहीं होता। यदि प्रत्येक वर्ष उनकी यही खराब स्थिति बनी रहती है तो हिसाब के छटे वर्ष में यह प्रस्तावित योजना उन पर लागू हो जायेगी। मेरे संशोधन संख्या 213 का उद्देश्य केवल योजना में त्रुटि को दूर करना है।

संशोधन संख्या 153 का सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण बात से है जिसका स्वरूप वास्तव में स्पष्टीकरण करने का है। इस के एक भाग का सम्बन्ध सम्पत्ति कर से है। मैं उस पर आग्रह नहीं करता क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा है कि उस पर गुणों के आधार पर विचार किया जायगा। इसलिये, मैं दूसरे भाग तक ही चर्चा को सीमित करूंगा। वर्तमान खण्ड 16(ग) में जो व्यवस्था है, वह खण्ड 6 और 7 के समूचे ढांचे के बिल्कुल प्रतिकूल है। बोनस आयोग की सिफारिशों के अनुसार ठीक बात यह होगी कि "है" ("is") शब्द के स्थान पर "होगा" ("would be") शब्द रखे जायें और अन्त में संशोधन में बताये गये शब्द जोड़े जाय।

बोनस आयोग की योजना के अनुसार स्वयं बोनस कर के निर्धारण के लिए कटौती नहीं माना जायगा। मेरा सुझाव यह है कि यह आवश्यक है कि इस पहलू को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाय।

Shri Bade (Khargone) : This is one aspect regarding which the communist and our group are in agreement. If development rebate is included, nothing will be left to be distributed as bonus. The Capitalists will invest money in development whenever their interest so demands. I want that the words "any employer by way of development rebate or development allowance which the employer is entitled to deduct from his income under the Income-tax Act" should be deleted. This clause has been put as a result of certain leg-pulling. It has been done at the instance of those capitalists who contribute to the Congress fund.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं श्री दाजी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। जब हम श्रमिक वर्ग का सहयोग चाहते है, तो उन के हितों का सूरक्षा क्यों नहीं की जाती। यदि यह खण्ड स्वीकार कर ली जाय तो अधिकांश मामलों में 4 प्रतिशत बोनस न्यूनतम की बजाय अधिकतम बन जाये। कोई नियोजक 4 प्रतिशत से अधिक नहीं देगा। यदि इस राष्ट्रीय संकट काल में आप श्रमिकों का सहयोग चाहते हैं तो यह खण्ड निकाल दिया जाना चाहिये।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : I do not understand whether this Bill has been brought forward in accordance with or contrary to the resolution of Bhubaneswar Congress. Socialistic paltern had been decided upon in the Bhubaneswar Congress. The basis of socialistic pattern is to remove the difference between the poor and the rich and give more and more facilities to the working class.

Depreciation, development, direct taxes and taxes under schedule 3 have been exeluded. I fail to understand what will remain for distribution after all those deductions have been allowed. In this way, it will not be Bonus Act. It would have been better if its name had been Companies Development Tax. It is surprising that this bill has been presented by a Minister who is interested in the welfare of workers.

It would have been better if a share in the profit instead of bonus, had been earmarked for the workers. That would have created their interest in the company. In a report of Mahalanobis Committee it has been stated that during the last ten or fifteen years the tendency of the Government has been to help the capitalists.

I request the Minister to accept the amendment.

श्री अल्वारिस : वैसे तो श्रम मंत्री सदा ही अन्य मालिकों के विरुद्ध श्रमिकों के अधिकारों के लिये लड़ते रहे हैं परन्तु यहां स्थिति विपरीत ही है क्योंकि स्वयं उन्हों ने बोनस घटाने के लिये कहा है इसका एक उदाहरण विकास संबंधी छूट है और यह छूट ऐच्छिक छूट है और इसकी मांग तभी की जा सकती है जब मशीनों आदि को बदलने की आवश्यकता हो। परन्तु वर्तमान विधेयक के अधीन यह छूट अनिवार्य हो जाती है। इस प्रकार आयकर अधिनियम तथा बोनस अधिनियम के विकास संबंधी छूट वाले उपबन्ध परस्पर विरोधी हैं। इसीलिये मैंने तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सरकार पर बोनस की मात्रा घटने के प्रयत्न करने का दोष लगाया है।

श्री संजीवय्या : क्योंकि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण सुत्र के उपबन्ध के अनुसार पुनःस्थापन व्यय की कटौती करने में सरकार तथा श्रमिकों दोनों को कठिनाई का सामना था इसलिये अब विकास संबंधी छूट देने का उपबन्ध रखा गया है। नये उद्योगों के संबंध में जैसा श्री दांडेकर ने स्वयं बताया है, विधेयक का खण्ड 16 इन्हीं के संबंध में है। उद्योगों में सुधार लाने के लिये क्योंकि इतनी अधिक रियायतें दी जा चुकी हैं इसलिये हमारा विचार मालिकों को और अधिक रियायतें देने का नहीं है। इसीलिये मैं कोई भी संशोधन मानने को तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह संशोधन संख्या 15 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 20; विपक्ष में 77/Ayes 20; Noes 77.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The Motion was negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दांडेकर अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं।

संशोधन संख्या 152, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।/*Amendment No.* 152 *was, by leave, withdrawn.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 153 तथा 213 मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 152 और 213 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये। *Amendment Nos.* 152 *and* 213 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

सभा में मतविभाजन हुआ। *The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 75; विपक्ष में 19 / Ayes 75; Noes 19.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 6 was added to the Bill.*

खण्ड 7 (नियोजक द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यक्ष कर की गणना)

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 215, 154 और 155 ही प्रस्तुत करता हूं ।

श्री काशीराम गुप्त : मैं संशोधन संख्या 126 तथा 60 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I move my amendment Nos. 125, 127 and 128.

श्री नारायण दांडेकर : संशोधन संख्या 215 खण्ड 7 में "आयकर अधिनियम की धारा 84 और 85" जोड़ने से संबंधित है । चूंकि धारा 84 आयकर तथा धारा 85 अधिकर (सुपर-टैक्स) से संबंधित है इसलिये दोनों का उल्लेख किया जाना चाहिये ।

संशोधन संख्या 154 के बारे में पहले तो मुझे सरकार से इस बात की शिकायत करनी है कि बोनस आयोग की उस सिफारिश को भी, जो एकमत से की गई थी, अर्थात् बोनस को लाभ की गणना करने से पूर्व-व्यय के रुप में नहीं हटाया जाना चाहिये, सरकार ने अस्वीकार कर दिया है । यही तो मूल बात थी जिसके आधार पर इस आयोग ने आवंटन योग्य बचत को 60 प्रतिशत माना था । सरकार को इस-पर फिर ध्यान देना चाहिये और बोनस आयोग की उस सिफारिश को मान लिया जाना चाहिये ।

खण्ड 7 में व्यवस्था यह होनी चाहिये कि जहां नियोजक एक सार्थ हो और अपंजीकृत सार्थ के रूप में यदि उसे पहले आय-कर देना पड़ा हो, तो ऐसे नियोजक को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जो कर देना होगा वह उसी आधार पर निर्धारित किया जाये और दूसरी यह कि जहां नियोजक पहले एक पंजी-कृत फर्म के रूप में आयकर दे चुका हो उसे उसी आधार पर कर देना होगा । लगता है यह दोनों उपबन्ध बेपरवाही से ही छूट गये हैं । आशा है मंत्री महोदय इसपर ध्यान देंगे ।

श्री काशीराम गुप्त : श्रीमान्, मेरे संशोधन भी लगभग वैसे ही हैं जैसे श्री दांडेकर के हैं । एक तो स्पष्टीकरण की दृष्टि से रखा गया है ताकि लोगों को न्यायालय के चक्कर न लगाने पड़े । दूसरा संशोधन पंजीकृत फर्मों के भागीदारों पर करारोपण से संबंधित है । यह उपबन्ध भी होना चाहिये अन्यथा विवाद तथा झगड़े होने की संभावना है ।

श्री संजीवय्या : आय-कर अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत दी जाने वाली रियायतें धारा 84 की रियायतों से बिल्कुल भिन्न है और बोनस आयोग की सिफारिशें आयकर अधिनियम की धारा 85 से बिलकुल मेल नहीं खातीं । इसलिये हमने इन्हें यहां शामिल नहीं किया और इसीलिये मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

अन्य संशोधनों के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम बोनस आयोग की सिफारिशों को कार्या-न्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसे हम स्वीकार कर चुके हैं । इसलिये मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई अन्य संशोधन भी सभा में मतदान के लिये रखा जाना है ?

श्री काशीराम गुप्त : संशोधन सं० 60 ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 60 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 60 was put and negatived.

श्री नारायण दांडेकर : मैं चाहता हूं कि संशोधन संख्या 154 तथा 155 पृथक रूप से मतदान के लिये रखे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 154 और 155 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए । / *Amendment Nos.* 154 *and* 155 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन सं० 125, 126, 127, 128 और 215 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 125 से 128 तथा 215 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये । / *Amendment Nos.* 125 *to* 128 *and* 215 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 7 *was added to the Bill.*

खण्ड 8 (बोनस के लिये पात्रता)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें दो संशोधन हैं । क्योंकि यह प्रस्तुत नहीं किये जा रहे, इसलिये मैं इन्हें सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 8 *was added to the Bill.*

खण्ड 9 (बोनस के लिये अनर्हता)

डा० रानेन सेन : इस समय मालिक श्रमिकों को छोटे से छोटे दोष लगाकर न केवल नौकरी से निकाल देते हैं परन्तु उन्हें अपने अर्जित बोनस से भी हाथ धोना पड़ता है । मेरा संशोधन संख्या 61 ऐसी स्थिति को उत्पन्न न होने देने के मनोरथ से रखा गया है । आशा है मंत्री महोदय मालिकों को मिली इस विशाल शक्ति के अनुचित प्रयोग को रोकेंगे जिसका उपयोग बहुदा श्रमिकों के अधिकारों का हनन करना होता है ।

श्री बड़े : श्रीमान्, मैं श्री सेन के मत का समर्थन करता हूं । क्योंकि श्रमिकों को छोटी छोटी बातों के आधार पर नौकरी से निकाल दिया जाता है और उन्हें बोनस से भी वंचित कर दिया जाता है । इसलिये मेरे संशोधन में न्यायालय अथवा किसी कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकार द्वारा दोषी ठहरा कर दण्ड दिये जाने की स्थिति में ही उन्हें बोनस से वंचित किये जाने की व्यवस्था है । अतः मेरा निवेदन है कि श्रमिकों के हित के लिये मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मैं भी डा० सेन के संशोधन का समर्थन करता हूं । जहां संसद् अथवा विधान मंडल आदि हैं वहां तो श्रमिक इन स्थानों के समक्ष प्रदर्शन आदि करते हैं, परन्तु ऐसे स्थानों पर जहां यह सब नहीं हैं जैसे कानपुर, गोरखपुर आदि, वहां तो श्रमिकों को कारखानों के अन्दर ही प्रबन्धकों के कार्यालयों के बाहर अपनी मांगे (बोनस आदि) मनवाने के लिये प्रदर्शन करना पड़ता है । इस खण्ड में, जैसा कि वह अब है, जो व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार तो दंगों आदि का आरोप लगाकर आधे श्रमिकों को नौकरी तथा बोनस से वंचित किया जा सकता है ।

[श्री० स० मो० बनर्जी]

अत: मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर ले। दूसरी बात यह है कि मैं श्री बड़े से सहमत हूं कि छोटी मोटी चोरियों के आरोप लगा कर मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अत: मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि वह संशोधन पर गम्भीरता से विचार करें तथा इसको स्वीकार करें।

श्री संजीवय्या : यह खण्ड बोनस आयोग की सर्वसम्मत सिफारिश के आधार पर रखा गया है और इसका तो मजदूरों के प्रतिनिधियों ने भी अनुमोदन किया है। हमने इस में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 61 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/
Amendment No. 61 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 129 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/
Amendment No. 129 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 9 was added to the Bill.*

खण्ड 10 (न्यूनतम बोनस की अदायगी)

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं : (एक) पृष्ठ 8—

पंक्ति 15 और 16 के स्थान पर

"Subject to the provisions of sections 8 and 13, every employer shall be bound to pay to every employee in an" ["धारा 8 और 13 के अधीन रहते हुए प्रत्येक नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को अदा करेगा"] शब्द रखे जायें। (140)

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 18 –

"of the employee for the accounting year" ["लेखा-वर्ष के लिये कर्मचारी का"] के स्थान पर

"earned by the employee during the accounting year" ["लेखा वर्ष में कर्मचारी द्वारा अर्जित"] शब्द रखे जाय। (209)

श्री न० रं० घोष (जलपाईगुडी) : मैं अपना संशोधन संख्या 63 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन तथा खण्ड अब चर्चा के लिये सभा के समक्ष हैं।

श्री न० रं० घोष : श्रम मंत्रालय ने बागान उद्योग के मामले में अवैयक्तिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। वस्त्र उद्योग के मामले में न्यूनतम बोनस 4 प्रतिशत तथा वैकल्पिक 40 रुपये है। परन्तु इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इतना बल्कि इससे भी अधिक तो वह पहले ही बोनस के रुप में दे रहे हैं। परन्तु जहां तक बागान उद्योग का सम्बन्ध है, 40 रूपये 7 प्रतिशत के बराबर होगा न कि 4 प्रतिशत के। वास्तव में बोनस आयोग ने बागान उद्योग के इतिहास की ओर कोई

ध्यान नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि बागान उद्योग एक कृषि उद्योग है और इसलिये इसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इन्हें वस्त्र उद्योग की तुलना में 4 गुना बोनस देने के लिये कहा जा रहा है। ऐसा करने से निर्यात सम्वर्धन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। वाणिज्य मंत्री ने भी खुले आय यही मत प्रकट किया है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि मजदूरों को अच्छा वेतन मिलना चाहिये परन्तु हमें उद्योगों का भी ध्यान रखना है क्योंकि यदि उद्योगों को हानि पहुंचाई जायेगी तो उससे मजदूरों को भी हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से यदि हम मजूरी बढ़ाते जायेंगे तो हमारे लिये विश्व मंडी में मुकाबला करना कठिन हो जायेगा। इसके परिणाम स्वरुप कई एकक बन्द हो जायेंगे क्योंकि 70 प्रतिशत एकक 40 रुपये के हिसाब से बोनस देने की स्थिति में नहीं हैं अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमने अपने देश के हितों को ध्यान में रखना है तथा यदि हम विदेशी मुद्रा को बचाना चाहते हैं और यदि हमने चाय उद्योग के 70 प्रतिशत एककों को बन्द होने से बचाना है तो विधेयक के इस भाग को हटा दिया जाना चाहिये जिसके निकाल देने से बागान को बन्द होने से बचाया जा सकेगा।

श्री संजीवय्या : खण्ड 34 (3) के अन्तर्गत नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच बोनस सम्बन्धी समझौते किये जा सकते हैं परन्तु, ऐसे समझौतों के अन्तर्गत 4 प्रतिशत अथवा 40 रुपये की न्युनतम दर को कम नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक मज़दूर को इस दर से कम बोनस नहीं मिलना चाहिये। यह व्यवस्था कोई नई नहीं है। न्यूनतम मजुरी अधिनियम, मजूरी की अदायगी, अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम तथा अन्य विभिन्न अधिनियमों में ऐसी ही व्यवस्था की गई है। अत: कोई भी नियोजक इस न्यूनतम दर से कम बोनस नहीं दे सकेगा।

एक माननीय सदस्य : क्या श्रम मंत्री आशा करते हैं कि कोई नियोजक इस न्यूनतम दर से अधिक बोनस भी देगा ?

श्री संजीवय्या : मुझे आशा है कि कई नियोजक इस न्यूनतम दर से अधिक बोनस देंगे। एक माननीय सदस्य ने विभिन्न कम्पनियों के सन्तुलन पत्रों से आंकड़े बताये और पूछा था कि इस नये फार्मूले के अनुसार बोनस के लिये कितनी राशि होगी। मेरे हिसाब से मज़दूरों को बोनस देने के लिये लगभग 10 से 15 लाख रूपये उपलब्ध होंगे। अत: कई संस्थानों को इस से कहीं अधिक उंची दर से बोनस देना पड़ेगा। उन्हें 20 प्रतिशत की अधिकतम दर से बोनस देना पड़ेगा। जहा तक मेरे संशोधनों का सम्बन्ध है वह बहुत सरल है तथा वह व्याख्यात्मक स्वरूप के हैं। अत: मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इन्हें स्वीकार कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(एक) पृष्ठ 8, पंक्ति 15 तथा 16 के स्थान पर

"subject to the provisions of sections 8 and 13 every employer shall be bound to pay to every employee in an"

["धारा 8 तथा 13 के अधीन रहते हुए प्रत्येक नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को अदा करेगा]"

शब्द रखे जाये। (140)

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 18,

"of the employee for the accounting year"

["लेखा वर्ष के लिये कर्मचारी का"] के स्थान पर

"earned by the employee during the accounting year"

["लेखा वर्ष में कर्मचारी द्वारा अर्जित "]

शब्द रखे जायें। (209)

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 63 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/*Amendment No. 63 was put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 10 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 10, as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 11 (अधिकतम बोनस की अदायगी)

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(एक) पृष्ठ 8, पंक्ति 28 and 29—

"who has worked in the establishment for all the working days" ["जिसने संस्थान में सभी कार्य दिवसों पर कार्य किया है"] शब्द हटा दिये जाये । (141)

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 31 —

"of the employee for the accounting year" ["लेखा वर्ष के लिये कर्मचारी का"] के स्थान पर

"earned by the employee during the accounting year" ["लेखा वर्ष में कर्मचारी द्वारा अर्जित"] शब्द रखे जाये । (210)

श्री काशीराम गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 65 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बडे : मैं अपना संशोधन संख्या 130 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन तथा खण्ड अब सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री काशीराम गुप्त : उन छोटे उद्योगों के मामले में, जिनमें पूंजी विनियोजन एक लाख रुपये अथवा इससे कम है, बोनस की अधिकतम दर 20 प्रतिशत की बजाये 10 प्रतिशत होनी चाहिये। क्योंकि 95 प्रतिशत ऐसे छोटे उद्योग हैं जिनमें इस फार्मुले के अनुसार मज़दूरों को 10 प्रतिशत की दर से अधिक बोनस मिलने की कोई आशा नहीं की जा सकती है । यदि मंत्री महोदय यह समझते हैं कि वह 20 प्रतिशत की दर से बोनस दे सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / MR. SPEAKER *in the chair*]

परन्तु मेरा अनुभव यह है कि छोटे उद्योगों के मज़दूरों तथा बड़ उद्योगों के मज़दूरों से एक जसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये । अन्यथा इससे कई व्यवहारिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयां होंगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अच्छा होगा कि छोटे उद्योगों के बारे में उच्चतम दर कम रखी जाये।

श्री बड़े : ऐसा प्रतीत होता है कि खण्ड 11 तथा खण्ड 34 परस्पर विरोधी हैं। मंत्री महोदय ने अभी बताया कि पक्षों के बीच समझौते किये जा सकेंगे, उन्होंने जो यह नया स्पष्टीकरण दिया है इसको ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत की जो अधिकतम दर निर्धारीत की जा रही है उसे हटा दिया जाना चाहिये अन्यथा खण्ड 34 में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये।

डा० रानेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं।

मैं चाहता हूं कि 20 प्रतिशत की अधिकतम दर को बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया जाये। क्योंकि बम्बई में वस्त्र उद्योग में कर्मचारीयों को अब बोनस जिस दर से दिया जा रहा है वह 20 प्रतिशत से अधिक है और यदि हमने 20 प्रतिशत की दर निश्चित कर दी तो इससे मज़दूरों को जो अब बोनस मिल रहा है उससे कम बोनस मिलने लगेगा इससे उन्हे हानि होगी। अत: इस दर को 25 प्रतिशत कर दिया जाये ताकि उनको जितना अब बोनस मिल रहा है, उससे कम तो न मिले।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन भी सभा के समक्ष है।

श्री संजीवय्या : डा० रानेन सेन के संशोधन के बारे में, मैं यह बताना चाहता हूं की इसी डर से ही तो खण्ड 34 को रखा गया है।

श्री काशीराम गुप्त के संशोधन के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम ऐसे संस्थानों के सम्बन्ध में जिनमें केवल एक लाख रुपये विनियोजित किये गये हैं, कोई अलग विधि नहीं अपनाना चाहते हैं। मेरे माननीय मित्र, श्री बड़े के संशोधन का उद्देश्य अधिकतम दर को हटाने का है। परन्तु हम यदि अधिकतम दर नहीं रखेंगे तो हमें न्यूनतम दर को भी हटाना पड़ेगा। अत: मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

जहां तक मेरे संशोधन संख्या 141 का सम्बन्ध है, चूंकि जब हम ने दर कुल आय की प्रतिशत के हिसाब से निर्धारीत की है अत: इस खण्ड में "जिसने सभी कार्य दिवसों पर कार्य किया है।" शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है अत: इन शब्दों को हटा दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(एक) पृष्ठ 8, पंक्ति 28 तथा 29,

"Who has worked in the establishment for all the working days" ["जिसने संस्थान में सभी कार्य दिवसों पर कार्य किया है"] शब्द हटा दिये जाये। (141)

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 31,

"of the employee for the accounting year." ["लेखा वर्ष के लिये कर्मचारी का"] के स्थान पर

"earned by the employee during the accounting year." ["लेखा वर्ष में कर्मचारी द्वारा अर्जित"] शब्द रखे जाये। (210)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted*

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 64, 65 तथा 130 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए / *Amendment Nos.* 64, 65 *and* 130 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/ *The motion was adopted.*

[अध्यक्ष महोदय]

खण्ड 11, संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 11 as amended was added to the Bill.*

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 12 was added to the Bill.*

खण्ड 13 (कुछ मामलों में बोनस में सानुपातिक कमी)

अध्यक्ष महोदय : इस खण्ड में एक सरकारी संशोधन संख्या 142 है । क्या इसे प्रस्तुत किया जा रहा है ?

श्री संजीवय्या : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य संशोधन संख्या 161 श्री दांडेकर के नाम पर है परन्तु माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है अतः इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

संशोधन किया गया ।/*Amendment made.*

पृष्ठ 9, पंक्ति 6 और 9 के स्थान पर,

Proportional reduction in certain cases

"13. Where an employee has not worked for all the days in any accounting year, the minimum bonus of forty rupees, or, as the case may be, of twenty-five rupees, if such bonus is higher than four per cent of his salary or wage for the days he has worked in that accounting year shall be proportionately reduced.'

(कुछ मामलों में बोनस में सानुपातिक कमी)

["जहां कोई कर्मचारी किसी लेखा वर्ष में सभी कार्य-दिवसों पर कार्य नहीं करता है, तो यदि यथास्थिति 40 रूपये अथवा 25 रूपये का बोनस उन दिनों के वेतन अथवा मंजूरी के चार प्रतिशत से अधिक हो जिन दिनों पर उसने किसी लेखा वर्ष में कार्य किया है, तो बोनस में सानुपातिक कमी की जायेगी"] शब्द रखे जाये । (142)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 13 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 13, as amended as added to the Bill.*

खण्ड 14 (कार्य दिवसो की संख्या की गणना)

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(एक) पृष्ठ 9, पंक्ति 9 और 10, के स्थान पर,

"For the purpose of section 13, an employee shall be deemed to have worked in an establishment in any accounting year also on the days on which"

("धारा 13 के प्रयोजन के लिये यह समझा जायेगा कि किसी कर्मचारी ने एक संस्थान में किसी लेखा वर्ष में उन दिनों पर भी कार्य किया है जिन पर") शब्द रखे जाये । (143)।

(दो) पृष्ठ 9, पंक्ति 23,

"shall be included" से ("शामिल किया जायेगा") शब्द हटा दिये जाये। (144) ।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः (कलकत्ता दक्षिण पश्चिमी) : मैं अपने संशोधन संख्या 18, 20, 21 तथा 22 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अल्वारिस : मैं अपना संशोधन संख्या 267 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दे० शि० पाटिल : मैं अपना संशोधन संख्या 266 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 131 और 132 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे संशोधन संख्या 18 का सम्बन्ध इस खण्ड के उपखण्ड (क) से है जिसमें यह व्यवस्था है कि जिन दिनों पर किसी समझौते अथवा किसी स्थायी आदेश अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत कोई मजदूर अनिवार्य अवकाश पर रहता है तो उन दिनों को कार्यदिवस के रूप में गिना जायेगा। मेरे विचार में इसके स्थान पर एक सरल तथा व्यापक उपबन्ध किया जाना चाहिये और यह शब्द रखे जाने चाहिये "जिन दिनों में वह प्रतिकरसहित अथवा बिना अनिवार्य अवकाश पर रहा हो"। मंत्री महोदय अच्छी तरह से यह जानते ही हैं कि अनिवार्य अवकाश के सभी मामले उक्त वर्गों में नहीं आते हैं और यदि यह आ भी जाये तो इन सभी मामलों में यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या मजदूर अनिवार्य अवकाश के दिनों के लिये प्रतिकर के लिये हकदार भी है अथवा नहीं । अतः हमें इसको व्यापक बना देना चाहिये जिससे यह त्रुटियां दूर हो जाये तथा कार्य दिवसों की संख्या निर्धारित करते समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो । उप-खण्ड (ख) में भी "वह वेतन अथवा मजूरी सहित अवकाश पर रहा हो" के स्थान पर "वह वेतन अथवा मजूरी सहित अथवा बिना अधिकृत अवकाश पर रहा हो" शब्द रखे जाने चाहिये । ऐसा करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि अवकाश अधिकृत अवकाश होना चाहिये न कि अनधिकृत अवकाश । दूसरी बात यह है कि कई उद्योगोंमें ऐसे कई मामले होते है जिन में प्रबन्धक ऐसा अवकाश इस शर्त पर देते हैं कि उसके लिये वेतन नहीं मिलेगा । उदाहरणार्थ बंगाल में पटसन उद्योग में विभिन्न राज्यों से आये जो मजदूर कार्य करते हैं उनको कुछ समय के लिये प्रतिवर्ष बिना वेतन अवकाश दे दिया जाता है ताकि वह वापस जाकर उन दिनों में खेती कर सकें । वहां पर यह प्रथा कई वर्षों से है तो ऐसे मामलों को भी इस खण्ड के अन्तर्गत ले लेना चाहिये ।

संशोधन संख्या 21 में मेरा यह सुझाव है कि उपखण्ड (घ) के पश्चात इस आशय के दो और उप-खण्ड रखे जाने चाहिये कि हमें उन दिनों को भी कार्य दिवस ही मानना चाहिये जिनमें मालिक द्वारा तालाबन्दी की गई हो तथा उन दिनों को भी कार्य दिवस गिना जाना चाहिये जिन पर कोई मजदूर ऐसी हड़ताल पर रहा हो जो किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा अवैध न ठहराई गई हो । मेरे विचार में अभी तक ऐसा कोई अधिनियम पारीत नहीं किया गया है जिसमें सभी हड़तालों को अवैध ठहराया गया है ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या आप चाहते हैं कि तालाबन्दी को अवैध घोषित कर दिया जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तालाबन्दी को अवैध घोषित कर देना चाहिए । कई लोग यह भी कहते सुने गये हैं कि तालाबंदी का कारण मजदूर ही होते हैं । हो सकता है कि कई एक स्थानों पर यह बात ठीक हो सकती है । तालाबन्दी में मजदूरों की गैरहाजरी नहीं लगायी जाती । हड़ताल हो जाय तो दूसरी बात है । वैसे हड़ताल कोई भी हो अवैध ही होती है । परन्तु वैसे कानून की दृष्टि में कोई भी हड़ताल अवैध नहीं है । मैं नहीं कह सकता कि ऐसी किसी प्रस्तावना पर विचार किया जा रहा है । उस बात का उपबन्ध कानून में है कि किस हालात में वैध रुप से हड़ताल की जा सकती है । ऐसे हड़ताल में यदि गैरहाजरी हो तो उसे गिना नहीं जाना चाहिए ।

तालाबन्दी के कारण हुई गैर हाजरी और स्थायी रुप से अयोग्य हो जाने के कारण अनुपस्थिति में अन्तर किया जाना चाहिए । इस प्रकार की कोई प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए । और भी यदि कोई बात इस दिशा में हो जाय तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को मजूरी तथा परिवर्तित

[श्री० इन्द्रजीत गुप्त]

अवकाश तुरन्त मिल सके। उपदान भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। अत: मेरा कहना है कि यदि इन संशोधनों को स्वीकार न किया गया तो बहुत ही बुरी बात होगी और इससे स्थिति बिगड भी सकती है। अत: मेरा निवेदन है कि इस दिशा में व्यवहारिक दृष्टीकोण अपनाना चाहिए।

श्री बड़े : संशोधन संख्या 131 और 132 भी बड़े आवश्यक है। 132 के पक्ष में तो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी तर्क प्रस्तुत किये है। कर्मचारियों के हित में इन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। यदि सरकार ने कर्मचारियों को वेतन और मजूरी से वंचित किया तो बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री अल्वारिस (पंजीम) : मैं मंत्री महोदय पर इस बात का जोर दूंगा कि संशोधन संख्या 267 को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। यदि तालाबन्दी के कारण काम रूक जाय तो कर्मचारी को मजूरी अथवा वेतन मिलना चाहिए।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I would urge upon the Minister to accept the amendment No. 266, this is very necessary in the interests of the workers. Similarly in this content, I may also urge upon the Minister to accept my other amendment also *i.e.* No. 267. Every worker must get his or her leave salary and maternity leave salary.

श्री संजीवय्या : औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत जब कभी भी किसी मजदूर को हटाया जाता है उसे मुआवजा दिया जाता है। अत: इस दिशा में मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त का संदेश निराधार है। 40 रुपया मासिक लेने वाले कर्मचारी को लाभांश भी मिलता है और अधिकृत अवकाश भी। हमने इस बात पर अभी विचार नहीं किया कि औसत वेतन की स्थिति कम होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले संशोधन संख्या 143 और 144 मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

(एक) पृष्ठ 9, पंक्ति 9 और 10, के स्थान पर

"for the purpose of section 13, an employee shall be deemed to have worked in an establishment in any accounting year also in the days on which."

["धारा 13 से प्रयोजन के लिए यह समझा जायेगा कि किसी कर्मचारी ने एक संस्थान में किसी लेखा वर्ष में उन दिनों पर भी कार्य किया है जिन पर"] शब्द रखे जाय। (143)

(दो) पृष्ठ 9, पंक्ति 23 "Shall be included" ["शामिल किया जायेगा।"] शब्द हटा दिये जाय। (144)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

संशोधन संख्या 18, 20 से 22, 266, 267, 131 और 132 अध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendments Nos.* 18, 20 *to* 22, 266, 267, 131 *and* 132 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : "खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 14 को संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 14, *as amended, was added to the Bill.*

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 15 *was then added to the Bill.*

खंड 16 (कुछ विशिष्ट संस्थानों के सम्बध में विशेष उपबन्ध)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस में संशोधन प्रस्तुत कर सकते है ।

डा० रानेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 216 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बड़े : मैं अपने संशोधन संख्या 133 और 134 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० रानेन सेन : मेरा संशोधन संख्या 216 बड़ा ही सरल और महत्वपूर्ण है । इसमें केवल 'नये विभागों', यह शब्द हटाये जाने है । इससे इस स्थिति का उपचार निकल आयेगा कि 1000 कर्मचारियों को तो लाभांश मिलेगा और नये विभाग के 850 व्यक्तियों को यह नहीं मिलेगा ।

श्री बड़े : मेरी आपत्ति 6 वर्ष पर है । बाकी सभी विधानों में 3 वर्ष है, तो यहां 6 वर्ष क्यों है ।

श्री संजीवय्या : लाभांश आयोग ने 6 वर्ष की अवधि की सिफारिश की है और हमने उसे स्वीकार कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 133, 134 और 216 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*Amendment Nos.* 133, 134 *and* 216 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 16 *was added to the Bill.*

खंड 17 (अधिनियम के अन्तर्गत देने वाले लाभांश के लिए अन्तरिक तथा परम्परा वाले लाभांश का समन्वय)

श्री बड़े : मैं संशोधन संख्या 136 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 136 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/*Amendment No.* 136 *was put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 17 *was added to the Bill.*

खंड 18 (अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले राशि से कुछ राशियों का निकाला जाना)

श्री बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 137 प्रस्तुत करता हूं । मुझे अदालतों का अनुभव है । जोर से गाना भी बुरा व्यवहार हो सकता है । मेरा मतलब यह है की अवैध बात वहीं हो जो किसी प्राधिकार का उल्लंघन करे ।

श्री दाजी : मैं अपना संशोधन संख्या 217 प्रस्तुत करता हूं ।

[श्री दाजी]

यद्यपि मेरा संशोधन तनिक भिन्न है, परन्तु इससे वही कुछ प्रभाव होगा जो कि श्री बड़े के संशोधन का होगा। दुर्व्यवहार की परिभाषा बड़ी स्पष्ट है। इसमें यदि नैतिक बात लगा दी जाय तो मेरा इसमें सन्तोष हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 137 और 217 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendment Nos.* 137 *and* 217 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 18 विधेयक में जोड दिया गया।/*Clause* 18 *was added to the Bill.*

खंड 19 (लाभांश की अदायगी के लिये समय अवधि)

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 12 पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर—

"Pending before any authority under section 22, within a month from the date on which the award becomes enforceable or the settlement comes into operation, in respect of such dispute ;"

("धारा 22 के अंतर्गत एक मास में उस तारीख से जिस दिन पंचाट लागू होगा अथवा इस तरह के विवाद का निर्णय कार्यान्वित होगा, जो कि किसी प्राधिकार के समक्ष अनिर्णीत हो") रखा जाय। (1)

श्री अल्वारिस : मैं अपना संशोधन संख्या 268 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 138 प्रस्तुत करता हूं।

डा० मेलकोटे : मेरे विचार में संशोधन संख्या 1 को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। एक मास का समय ठीक ही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि पृष्ठ 12 पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर—

"Pending before any authority under section 22 within a month from the date on which the award becomes enforceable or the settlement comes into operation, in respect of such dispute ;"

("धारा 22 के अन्तर्गत एक मास में उस तारीख से जिस दिन पंचाट लागू होगा अथवा इस तरह के विवाद का निर्णय कार्यान्वित होगा जो कि किसी प्राधिकार के समक्ष अनिर्णीत होगा") रखा जाय। (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 138 और 268 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendment Nos.* 138 *and* 268 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 19, संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 19 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया। / *Clause* 19, *as amended, was added to the Bill.*

खंड 20 (कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों पर अधिनियम पर लागू करना)

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री काशीनाथ (अलवार) : मैं अपना संशोधन संख्या 68 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अल्वारिस (पंजिम) : मैं अपना संशोधन संख्या 269 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्रभात कार (हुगली) : मैं अपना संशोधन संख्या 98 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दाजी : हम खंड 20 में संशोधन करवाना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत-सी भेदभाव वाली बातें हैं । सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार किया गया है । सरकार को जब तक नियोजक होने का सुंदर नमूना प्रस्तुत नहीं करती तब तक काम नहीं चलेगा । सरकार के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि दूसरों को तो शिक्षा दे परन्तु आप वे काम न करे । ऐसा करना तो संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत भी वर्जित है । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ।

मेरी दूसरी आपत्ति इस दिशा में यह है कि इस प्रकार का भेदभाव करके, स्थिति को भ्रांतिपूर्ण बना दिया गया है । सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों में हलचल हो रही है । दुर्गापुर इस्पात कारखाने में इसी मास हड़ताल हो रही है और इसे आपात काल में किया जा रहा है । इस खंड 20 का एक ही प्रभाव होगा । सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों में असन्तोष फलेगा । मैं सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं कि कर्मचारियों को लाभांश देने से इन्कार नहीं किया जा सकता । इससे कई एक औद्योगिक विवादों का निपटारा करने में भी कठिनाइयां पैदा हो जायेगी । जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया जा रहा है, वह तो पूरा होगा नहीं, कर्मचारियों में अवश्य असन्तोष पैदा हो जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों को बोनस की अदायगी की छूट देना सर्वथा अनुचित है और इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में अशांति फैल जायेगी । जब कि इन्हीं हालतों में गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने बोनस देते हैं तो सरकारी क्षेत्र के कारखानों को बोनस की अदायगी से छूट देना एक पक्षपात का रवैया नहीं तो और क्या है ? इसी लिये हम अपने संशोधन पर जोर देते हैं ।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं ने इस खंड में संशोधन के लिये सूचना दी है । परन्तु मुझे नहीं पता कि उसका क्या बना । बोनस आयोग ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के संबंध में बोनस की अदायगी के प्रश्न पर विचार करने के लिये उससे नहीं कहा गया था । उससे इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा गया था कि क्या उन सरकारी उपक्रमों को बोनस देना चाहिये जिनकी आप अपने उत्पादों की बिक्री द्वारा उस वर्ष की सकल आय के 20 प्रतिशत से कम नहीं थी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले मज़दूरों में बड़ा असंतोष है । वे जानते हैं और महसूस करने लगे हैं कि उनसे साथ पक्षपात का रवैया अपनाया जा रहा है । कोई कारण नहीं है उनको बोनस मिलने के अधिकार से वंचित रखा जाये जबकि सरकारी उपक्रमों से मिलते जुलते गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मज़दूरों को बोनस दिया जा रहा है ।

खंड 20(1) का अर्थ दूसरे शब्दों में यह है कि सरकारी उपक्रमों के मज़दूरों को बोनस तब ही दिया जा सकता है जब कि उन उपक्रमों की गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा रही हो । मेरा निवेदन है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिस्पर्धा सदैव ही रही है । कच्चे माल, मजदूरों आदि सभी मामलों में प्रतिस्पर्धा रहती है । कौन-सा क्षेत्र नहीं है जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है ?

[श्री बडे]

इसलिये मैं महसूस करता हूं कि सरकार के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये पक्षपात का रवैया अपनाना उचित नहीं है । मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करे और बोनस सूत्र को सरकारी उपक्रमों पर भी लागू करें।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं अपने माननीय मित्र श्री बड़े की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने इस खंड में ऐसा गलत निर्णय क्यों लिया है । सरकार चाहती है कि औद्योगिक शांति हो, परन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बोनस की अदायगी से छूट दे कर तो औद्योगिक अशांति और औद्योगिक विवादों को बढ़ावा ही मिलेगा । सरकार का यह समझना कि उन सरकारी उपक्रमों को छूट देने से जो गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी । बड़ी भारी भूल है । कठिनाई अवश्य होगी । मज़दूरों का एक वर्ग में यह भावना पैदा हो जायेगी कि उसके साथ भेदभाव किया गया है । हम इस समय ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि देश में औद्योगिक शांति का होना बहुत जरूरी है ।

यदि सरकार अब भी इस सुझाव को स्वीकार कर ले और यथाशीघ्र, यदि संभव हो सके तो अगले सत्र में ही इस त्रुटि को दूर करने के लिये संशोधन ले आये तो बहुत अच्छा होगा । यदि सरकार यह कहती है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अधिक अच्छे हैं तो सरकार को मज़दूरों को यह आश्वासन देना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले मज़दूरों को कम से कम वे लाभ दिये जायेंगे जो गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिये जाते हैं ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवार) : माननीय श्रम मंत्री ने बार बार यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र के मज़दूरों की हालत अच्छी नहीं है । अब वह एक ऐसा विधेयक ला रहे हैं जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपनी इस ज़िम्मेदारी से टल सकें । सरकार का यह रवैया मेरी समझ में नहीं आता । इस खंड का प्रभाव यह होगा कि यदि कल को टाटा कम्पनी का अथवा सीमेंट उद्योग का राष्ट्रीकरण कर दिया जाता है तो जहां तक इस्पात उद्योग अथवा सीमेंट उद्योग का संबंध है इनको बोनस देना नहीं पड़ेगा क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी । अतः यह एक बहुत बुरा तर्क है । जब वे मुनाफा अर्जित करते हैं तो उन्हें बोनस अवश्य देना चाहिये । जब सरकार निगमित क्षेत्र में किसी उद्योग को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापित करती है तो फिर कोई भेद भाव नहीं होना चाहिये । अतः मेरा संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है । जब मैं रुरकेला, दुर्गापुर और भिलाई गया तो 'इन्टक' के लोग भी मेरे पास आये और उन्होंने शिकायत की कि वहां के प्रबन्ध कर्मचारी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं । वे लोग बहुत चालाक हैं । वे चीज़ों को अपने ढंग से पेश कर सकते हैं और मज़दूरों को बोनस देने से बचने के लिये प्रयत्न करते हैं । माननीय मंत्री को सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिये ।

श्री अल्वारिस (पंजिम) : मेरा संशोधन इस खंड को हटाने के बारे में है । यह खंड सिद्धान्त रूप में भी बुरा है और पक्षपात पूर्ण भी है । सिद्धान्त रूप में बुरा इस प्रकार है कि सरकार अपने उपक्रमों के लिये उस भार की छूट चाहती है जिसे वह गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लादना चाहती है ।

सरकारी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो दिन प्रति दिन फैलता ही जा रहा है । भविष्य में इसका विस्तार होता ही रहेगा । इस प्रकार इसमें अधिकाधिक मजदूर काम करने के लिये आयेंगे । यदि उनको बोनस के लाभ से वंचित रखा गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मज़दूरों में भविष्य में कितना असंतोष बढ़ेगा ।

इस खंड में कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र पर इस विधेयक के उपबन्ध तभी लागू हो सकते हैं यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा से इसकी आय इसकी सकल आय के 20 प्रतिशत से कम नहीं है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बोनस के लाभ से वंचित रखने का यह एक बहुत गलत तरीका है । यदि यह आय 21 प्रतिशत भी होगी तो भी प्रशासन उसको कम दिखाने का प्रयत्न करेगा ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपूर) : सरकार क्षेत्र में हम उद्योगों के विस्तार का तजर्बा कर रहे हैं और हम सरकारी क्षेत्र में अधिक उद्योग चाहते हैं। इसलिये सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों को बताये कि वह एक आदर्श नियोजक है। ऐसा करने के बाद ही आप इस प्रकार का कानून गैर-सरकारी क्षेत्र में लागू कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने मजदूरों को तो किसी लाभ से वंचित रख दो और साथ के साथ गैर-सरकारी क्षेत्र के मिल मालिकों से मजदूरों को वह लाभ देने के लिये कहो। सरकार को एक आदर्श स्थापित करना है और लाभ के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना है। इसलिये मेरा कहना है कि मेरे मित्र द्वारा दिये गये संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री प्रभात कार (हुगली) : खंड 20 में कहा गया है कि सरकारी उपक्रमों पर बोनस की अदायगी का उपबन्ध लागू होने के लिये उनसे 20 प्रतिशत उत्पाद प्रतिस्पर्धा वाले होने चाहिये। इस 20 प्रतिशत का पता कौन लगायेगा ? पहले कहा जा चुका है कि यह पक्षपातपूर्ण है। जबकि सरकारी क्षेत्र स्वयं माल तैयार कर रहा है तो कोई किसी भी हालत में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में भेदभाव नहीं बर्तना चाहिये। जैसा कि श्री दाजी के संशोधन में सुझाव दिया गया है इस खंड को हटा देना चाहिये।

श्री संजीवय्या : बोनस आयोग के निर्देशपदों में यह दिया गया था कि 'औद्योगिक नियोजन' शब्दों में गैर-सरकारी क्षेत्र में नियोजन तथा सरकारी क्षेत्र की उन स्थापनाओं में नियोजन शामिल हैं जो विभागीय रूप से नहीं चलाये जाते हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से जिनकी प्रतिस्पर्धा है। इसलिये विभागीय रूप से चलाये जाने वाले सभी उपक्रम इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आते। जहां तक उन उपक्रमों का संबंध है जो निगमों आदि द्वारा चलाये जाते हैं यदि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के 20 प्रतिशत के संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उनकी प्रतिस्पर्धा है तो उनपर इस विधेयक के उपबन्ध लागू होंगे। यह बोनस आयोग की सिफारिश है और हमने इसको शामिल कर लिया है। बोनस आयोग ने यह भी कहा है कि सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के संबंध में बोनस आयोग ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। यदि वे बोनस देते आये हैं तो वे देते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 68, 98 और 269 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendments Nos.* 68, 98 *and* 269 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 24 को लेता हूं। श्री दाजी इस पर मतविभाजन चाहते हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मिर) : इसको कल रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

बैठक वाले दिन के लिये उसी दिन पास देने पर प्रतिबंध

RESTRICTION ON ISSUE OF SAME-DAY PASSES

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना करनी है। जैसा कि माननीय सदस्यों को अब तक पता लग गया होगा कि पाकिस्तान ने देश के कुछ भागों में छाता सैनिक उतारे हैं। ऐसी भी खबर है कि उनमें से कुछ दिल्ली में भी आये हैं। इस लिये जहां तक संसद भवन की सुरक्षा का संबंध हैं मैं माननीय सदस्यों को खबरदार करना चाहता हूं कि उनको दर्शकों के लिये पास जारी करने की सिफारिश करते समय सावधानी बर्तनी चाहिये। पास अंधाधुन्द जारी नहीं किये जाने चाहिये। कई बार ऐसा देखा गया है कि माननीय सदस्य कोरे फार्मों पर हस्ताक्षर कर के उन्हें लोगों को दे देते हैं और बाकी ब्योरे वे स्वयं देते हैं। हमें इस मामले पर बड़ी गंभीरता से विचार करना है। दो प्रकार के फार्म हैं। एक फार्म पर तो दो दिन पूर्व सूचना देना अपेक्षित है। परन्तु दूसरी प्रकार के फार्म पर उसी दिन पास दिये जाते हैं। जहां तक इन फार्मों का संबंध है, मैं इन पर एक प्रतिबन्ध लगा रहा हूं; साधारणतया

[अध्यक्ष महोदय]

इन फार्मों पर पास तब तक जारी नहीं किये जायेंगे जब तक कि सदस्य स्वयं संतुष्ट न हो कि वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और प्रमाणित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवार) : कभी कभी लोक-सभा सचिवालय के कर्मचारी इन फार्मों पर सदस्यों से हस्ताक्षर चाहते हैं और हम उन के विश्वास दिलाने पर हस्ताक्षर कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को सावधानी बर्तनी चाहिये और केवल इसलिये हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये कि वह इस सचिवालय का कर्मचारी है। उसी दिन जारी किये जाने वाले पासों की संख्या बहुत सीमित की जायेगी। हमें दिन के दिन पास जारी करने को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। यदि किसी माननीय सदस्य का मित्र अथवा कोई रिश्तेदार उस समय आ जाता है और उसके लिये पास की आवश्यकता पड़ती है तो मैं इन मामलों में पास जारी करने की हिदायत दे दूंगा। अन्यथा माननीय सदस्य उसी दिन के लिये पास लेने से गरेज़ करेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 8 सितम्बर, 1965/17 भाद्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, September 8, 1965/Bhadra 17, 1887 (Saka).

भा०स०मू०ना०—वि 2—29 लोक सभा/65—26-5-66—600.